

नागरिक सुरक्षा योजना

2026

जिला झालावाड

अजय सिंह राठौड़ I.A.S
जिला कलक्टर एवं पदेन नियंत्रक
नागरिक सुरक्षा, झालावाड़ (राज.)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
01	जिला नागरिक सुरक्षा योजना	02
भाग - I		
02	नागरिक सुरक्षा परिचय व संगठन	03
भाग - II		
03	झालावाड़ जिले की रूपरेखा व जिला प्रशासन	06
भाग - III		
04	नागरिक सुरक्षा सेवायें, उनकी अधिकृत नफरी व सेवा प्रभारी अधिकारी	26
05	मुख्यालय (Headquarter Service)	27
06	संचार सेवा (Communication Service)	30
07	वार्डन सेवा (Warden Service)	33
08	अग्निशमन सेवा (Fire Service)	34
09	प्रशिक्षण सेवा (Training Service)	35
10	हताहत सेवा (Casualty Service)	36
11	बचाव सेवा (Rescue Service)	37
12	निस्तारण सेवा (Salvage Service)	37
13	पूर्ति सेवा (Supply Service)	38
14	डिपो व परिवहन सेवा (Depot & Transport Service)	38
15	शव निपटान सेवा (Corpse Disposal Service)	40
16	कल्याण सेवा (Welfare Service)	41
भाग - IV		
17	निष्क्रमण (Evacuation)	42
18	रिपेयर एवं डेमोलेशन	45
19	आवश्यक सेवायें व पशुओं की देखभाल	46
20	हवाई हमले की स्थिति में प्रकाश प्रबन्धन	47
भाग - V		
21	रासायनिक युद्ध	49
22	जैविक युद्ध	51
23	आणविक युद्ध	52
भाग - VI		
24	जिले में हवाई हमले/आपदा की दृष्टि से खतरे वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र/महत्वपूर्ण स्थान (VAs/VPs) की सूची	61
25	जिले में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सूची	62
26	जिले में उपलब्ध खोज व बचाव उपकरणों एवं अन्य संसाधनों की सूची	76

जिला नागरिक सुरक्षा योजना

यह विचित्र किन्तु वास्तविक है कि विश्व में सामाजिक, वैज्ञानिक एवं आर्थिक उन्नति के साथ-साथ बढ़ती प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं के कारण जन-धन हानि में अपार वृद्धि हुई है। झालावाड़ जिला प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं की सभावनाओं से अछूता नहीं है। आपदाओं से निपटने में नागरिक सुरक्षा के लिए किये जाने वाले उपायों एवं कार्य योजना के अभाव में कई बार प्रशासन भी कर्तव्य विमूढ़, असहाय एवं दिशा भ्रमित सा हो जाता है। अतः आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मुख्यतः मानव जनित आपदा जैसे-युद्ध के समय होने वाला हवाई हमला, बम विस्फोट, परमाणु, रसायन व जैविक युद्ध, ओद्योगिक दुर्घटनायें इत्यादि जिससे होने वाली जन-धन की हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए स्थानीय नागरिकों द्वारा एवं प्रशासन के सहायोग से अपने ही नागरिकों की होने वाली क्षति को कम से कम करने, उनका मनोबल बनाए रखने, आर्थिक उत्पादन जारी रखने इत्यादि एवं समस्त संभावित आपदाओं का आंकलन एवं सूचनाओं को संकलित कर एक संगठित नागरिक सुरक्षा योजना के रूप में कार्य योजना तैयार की गई है। झालावाड़ जिले की जनसंख्या की गणना 2011 के अनुसार 13.86 लाख है।

अतः तैयार की गई योजना में जनता को पूर्ण जानकारी देने के लिए अथवा घटनाओं के समय जनता के ही सहयोग से एक जुट कार्य करने हेतु एक प्रशिक्षित स्वयंसेवी संगठन जो कि प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं के समय कार्य के संचालन एवं सम्पादन में पूर्ण सहयोग करेगा, का निर्माण किया गया है। योजना तैयार करते समय व्यवहारिकता एवं क्रियात्मकता का ध्यान रखा गया है तथा प्रयास किया गया है कि सभी स्थानीय समस्याओं को इस योजना में समायोजित कर लिया जावे। फिर भी समय-समय पर आने वाली नयी समस्याओं से निपटने के उपायों को इस योजना में सम्मिलित कर लिया जावेगा।

भारत व राज्य सरकार द्वारा झालावाड़ जिला नागरिक सुरक्षा कैटेगरी III घोषित है।

दिनांक :

(अजय सिंह राठौड़)

जिला कलक्टर पदेन नियंत्रक
नागरिक सुरक्षा, झालावाड़

भाग – I

2.1 नागरिक सुरक्षा : परिचय

द्वितीय विश्व युद्ध (1939-45) के दौरान देश के मुख्य बन्दरगाह (मुम्बई व कोलकता) में हवाई हमले तथा अक्टूबर 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान देश के शहरों पर हुए हवाई हमलों में आगजनी व भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण हुए जान-माल का भारी नुकसान हुआ। इसे को देखते हुए भारत सरकार द्वारा नवम्बर 1962 में नागरिक सुरक्षा विभाग के गठन किये जाने हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसकी पालना में राजस्थान सरकार द्वारा 13 नवम्बर 1962 को अधिसूचना जारी कर राज्य के सीमावर्ती जिलों में बाहरी आक्रमण की स्थिति में स्थानीय नागरिकों की जान व माल की सुरक्षा हेतु स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु राज्य में 12 नागरिक सुरक्षा नगरों की अधिसूचना जारी कर, वहां नागरिक सुरक्षा इकाईयां स्थापित की गयी।

नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा 1965 एवं 1971 के भारत-पाक युद्धों के दौरान सक्रिय भागीदारी निभाते हुए, जान व माल के नुकसान को कम करने में सराहनीय सहयोग दिया गया। 2001 में गुजरात भूकम्प, 2004 में सुनामी व प्राकृतिक/मानवीकृत आपदाओं की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा 2005 में आपदा प्रबन्धन अधिनियम लाया गया। साथ ही नागरिक सुरक्षा विभाग में आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षित अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों का हवाई हमले के साथ ही आपदा/विपदाओं के दौरान सदुपयोग किये जाने हेतु नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में आंशिक बदलाव करते हुए, नागरिक सुरक्षा अधिनियम (संशोधन) 2009 जारी किया गया, जिससे इस विभाग की हवाई हमले के साथ-साथ आपदा प्रबन्धन में भी अहम भूमिका हो गयी है।

2.2 नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य

देश/राष्ट्र पर आने वाली संकटकालीन स्थिति में हो रहे जान-माल की क्षति को कम करने, खोज बचाव कार्य प्रभावितों के मनोबल को बनाये रखने एवं आर्थिक उत्पादन जारी रखने के लिए सरकार, स्थानीय जनता/संस्था/स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किया गया स्वैच्छिक प्रयास ही नागरिक सुरक्षा है। अर्थात् नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य "नागरिकों की सुरक्षा नागरिकों के द्वारा" करना है। इस उद्देश्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्य में सहयोग के लिए इच्छुक महिला व पुरुषों को नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण देकर नियंत्रक (जिला कलक्टर) के द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक मनोनीत किया जाता है। नागरिक सुरक्षा विभाग आपदा/विपदा एवं दुश्मन देश द्वारा आक्रमण किये जाने की स्थिति में स्थानीय लोगों को उनके माध्यम से ही (नागरिक सुरक्षा के स्थानीय स्वयंसेवक) किये जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी देने का कार्य करता है।

2.3 राज्य में नागरिक सुरक्षा विभाग

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के लागू होने के उपरान्त, नागरिक सुरक्षा विभाग के आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षित अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों के आपदा प्रबन्धन में उपयोग लिए जाने को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में आंशिक संशोधन कर "नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2009 संशोधन" किया गया है। इसके तहत नागरिक सुरक्षा विभाग को उसकी प्राथमिक भूमिका "बाहरी आक्रमण/हवाई हमला" के साथ-साथ द्वितीय भूमिका आपदा प्रबन्धन में दी गयी है। इससे नागरिक सुरक्षा विभाग की आपदा प्रबन्धन में अहम भूमिका को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2015 को जारी अधिसूचना के तहत नागरिक सुरक्षा विभाग को आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के अधीन कर दिया गया। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2017 को अधिसूचना जारी कर राज्य के समस्त जिलों को "नागरिक सुरक्षा जिले" घोषित कर दिया गया।

2.4 नियन्त्रण :

(क) निदेशालय, नागरिक सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर – नागरिक सुरक्षा विभाग का सीधा प्रशासनिक नियन्त्रण आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान के अधीन है। वर्तमान में आयुक्त (विभागाध्यक्ष) नागरिक सुरक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पास है। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 एवं रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार, उप निदेशक, सीनियर स्टाफ आफिसर एवं अन्य अधिकारी/कार्मिक स्वीकृत हैं।

(ख) नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान, जयपुर –नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण आयुक्त/निदेशक नागरिक सुरक्षा विभाग के अधीन है। वर्तमान में संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा, जयपुर के पास निदेशक, नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का अतिरिक्त प्रभार है। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 एवं रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार उप निदेशक, सहायक निदेशक एवं अन्य स्टाफ अधिकृत है।

(ग) नागरिक सुरक्षा जिला कार्यालय – जिले में जिला कलक्टर नागरिक सुरक्षा के नियंत्रक हैं। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 एवं रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार, नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के सहयोग हेतु जिले में उप नियंत्रक/सहायक नियंत्रक एवं अन्य अधीनस्थ स्टाफ स्वीकृत है।

(घ) नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा – वर्तमान में राज्य के स्वीकृत 12 नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा का सीधा प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा का है, जिसमें झालावाड़ जिला भी सम्मिलित है।

के जलदुर्गों में से एक है, एवं एकमात्र किला है, जो बिना नींव के खड़ा है। इस किले को 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था।

3.3 सामान्य जानकारी :- प्रशासनिक दृष्टि से जिला 08 उप-खण्डों, 12 तहसीलों, 1 उपतहसील, जिसमें 270 ग्राम पंचायतें, 344 पटवार मण्डल, 80 भू-अभिलेख निरीक्षक मण्डल है। जिले में, एक नगर परिषद झालावाड़, तथा छः नगरपालिकाएँ क्रमशः झालरापाटन, पिड़ावा, अकलेरा, भवानीमण्डी, खानपुर, डग है। झालावाड़ चार विधानसभा क्षेत्रों में विभक्त है।

क्र. स.	जिला	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार)	ग्राम पंचायत के वार्डों की संख्या
1	झालावाड़	मनोहरथाना	अर्जुनपुरा	3716	9
2	झालावाड़	मनोहरथाना	शोरती	5057	13
3	झालावाड़	मनोहरथाना	चन्दीपुर	4317	11
4	झालावाड़	मनोहरथाना	खेरखेडा	5514	13
5	झालावाड़	मनोहरथाना	जावर	5854	13
6	झालावाड़	मनोहरथाना	बनेठ	4870	11
7	झालावाड़	मनोहरथाना	समरोल	5075	13
8	झालावाड़	मनोहरथाना	टोडरी मीरा	4077	11
9	झालावाड़	मनोहरथाना	ठीकरिया	4194	11
10	झालावाड़	मनोहरथाना	कोलूखेडी मालियान	5566	13
11	झालावाड़	मनोहरथाना	रंवास्या	5525	13
12	झालावाड़	मनोहरथाना	सेमलीहाट	5297	13
13	झालावाड़	मनोहरथाना	टोडरी जगन्नाथ	5065	13
14	झालावाड़	मनोहरथाना	दांगीपुरा	4018	11
15	झालावाड़	मनोहरथाना	पिण्डोला	5059	13
16	झालावाड़	मनोहरथाना	खाताखेडी	4754	11
17	झालावाड़	मनोहरथाना	गरबोलिया	5316	13
18	झालावाड़	मनोहरथाना	चांदपुरा भीलान	4475	11
19	झालावाड़	मनोहरथाना	बडबद	4733	11
20	झालावाड़	मनोहरथाना	आंवलहेडा	3495	9
21	झालावाड़	मनोहरथाना	मनपसर	3630	9
22	झालावाड़	मनोहरथाना	कोलूखेडी कलां	5873	13
23	झालावाड़	मनोहरथाना	बांसखेडी मेवातियान	4110	11
24	झालावाड़	मनोहरथाना	बांसखेडा	3580	9

25	झालावाड	मनोहरथाना	सरेडी	4121	11
26	झालावाड	मनोहरथाना	कामखेडा	3493	9
27	झालावाड	मनोहरथाना	गुराडी	2783	7
28	झालावाड	मनोहरथाना	घडावली	2758	7
29	झालावाड	मनोहरथाना	छान	2789	7
30	झालावाड	मनोहरथाना	भूमरिया	2669	7
31	झालावाड	पिडावा	खारपाकला	5081	13
32	झालावाड	पिडावा	नोलाई	4346	11
33	झालावाड	पिडावा	कोटडी	4049	11
34	झालावाड	पिडावा	रमायदलपत	4044	11
35	झालावाड	पिडावा	दांता	4007	11
36	झालावाड	पिडावा	ढाबला भोज	4401	11
37	झालावाड	पिडावा	हरनावदा गजा	3960	9
38	झालावाड	पिडावा	रामपुरिया	2815	7
39	झालावाड	पिडावा	सरखेडी	3488	9
40	झालावाड	पिडावा	गेलानी	4139	11
41	झालावाड	पिडावा	गोविन्दपूरा	3963	9
42	झालावाड	पिडावा	डोला	5232	13
43	झालावाड	पिडावा	खेराना	3935	9
44	झालावाड	पिडावा	ओडियाखेडी	4519	11
45	झालावाड	पिडावा	धरोनिया	3801	9
46	झालावाड	पिडावा	शेरपुर	4265	11
47	झालावाड	पिडावा	बानोर	3728	9
48	झालावाड	पिडावा	हिम्मतगढ	5055	13
49	झालावाड	पिडावा	फतेहगढ	4170	11
50	झालावाड	पिडावा	सेमला	3406	9
51	झालावाड	पिडावा	उन्हैल	3849	9
52	झालावाड	पिडावा	सामरिया	3723	9
53	झालावाड	पिडावा	सिरपोई	3455	9
54	झालावाड	पिडावा	बोलिया बुजुर्ग	3692	9
55	झालावाड	पिडावा	सांगरिया	2919	7
56	झालावाड	पिडावा	ढाबला खीची	4034	11
57	झालावाड	पिडावा	हेमडा	4978	11

58	झालावाड़	पिड़ावा	माथनिया	4914	11
59	झालावाड़	पिड़ावा	ओसाव	3667	9
60	झालावाड़	पिड़ावा	मगीसपुर	3495	9
61	झालावाड़	पिड़ावा	गादिया	4521	11
62	झालावाड़	पिड़ावा	कनवाड़ी	3733	9
63	झालावाड़	पिड़ावा	सुनेल	14696	31
64	झालावाड़	पिड़ावा	कडोदिया	4755	11
65	झालावाड़	पिड़ावा	सलोतिया	3678	9
66	झालावाड़	पिड़ावा	चछलाव	3006	9
67	झालावाड़	पिड़ावा	लालगांव	3878	9
68	झालावाड़	पिड़ावा	दुबलिया	3969	9
69	झालावाड़	पिड़ावा	सेमलीखामँ	3694	9
70	झालावाड़	पिड़ावा	कालीतलाई	5239	13
71	झालावाड़	पिड़ावा	दीवल खेडा	3488	9
72	झालावाड़	पिड़ावा	सुवास	4581	11
73	झालावाड़	पिड़ावा	रायपुर	10117	23
74	झालावाड़	पिड़ावा	सालरी	5137	13
75	झालावाड़	पिड़ावा	सोयला	4250	11
76	झालावाड़	खानपुर	हरीगढ़	4592	11
77	झालावाड़	खानपुर	लायफल	2615	7
78	झालावाड़	खानपुर	बिशनखेडी	3832	9
79	झालावाड़	खानपुर	पखराना	2927	7
80	झालावाड़	खानपुर	पनवाड	6216	15
81	झालावाड़	खानपुर	आकोदिया	3901	9
82	झालावाड़	खानपुर	सरखण्डिया	3865	9
83	झालावाड़	खानपुर	दहीखेडा	4151	11
84	झालावाड़	खानपुर	भगवानपुरा	4931	11
85	झालावाड़	खानपुर	गाडरवाडा इंडी	3769	9
86	झालावाड़	खानपुर	जरगा	2960	7
87	झालावाड़	खानपुर	जोलपा	4492	11

88	झालावाड़	खानपुर	कंवरपुरा मंडवालान	3284	9
89	झालावाड़	खानपुर	डोबडा	2975	7
90	झालावाड़	खानपुर	सूमर	4279	11
91	झालावाड़	खानपुर	बैसार	2955	7
92	झालावाड़	खानपुर	गोलाना	3232	9
93	झालावाड़	खानपुर	कंवल्दा	2936	7
94	झालावाड़	खानपुर	मूण्डला	3451	9
95	झालावाड़	खानपुर	मरायता	3091	9
96	झालावाड़	खानपुर	बाघेर	2988	7
97	झालावाड़	खानपुर	खेडा	2363	7
98	झालावाड़	खानपुर	मोडी भीमसागर	2853	7
99	झालावाड़	खानपुर	बन्या	2973	7
100	झालावाड़	खानपुर	धानोदा कलां	4002	11
101	झालावाड़	खानपुर	बोरदा मऊ	4297	11
102	झालावाड़	खानपुर	गाडरवाडा नूरजी	3994	9
103	झालावाड़	खानपुर	लीमी	3479	9
104	झालावाड़	खानपुर	खण्डी	3860	9
105	झालावाड़	खानपुर	नागोनिया	2935	7
106	झालावाड़	खानपुर	पिपलाज	6335	15
107	झालावाड़	खानपुर	सोजपुर	2904	7
108	झालावाड़	खानपुर	अकावदखुर्द	4331	11
109	झालावाड़	खानपुर	बरेडा	5044	13
110	झालावाड़	खानपुर	श्योनगर ढाणी	4313	11
111	झालावाड़	खानपुर	चापाखुर	3053	9
112	झालावाड़	खानपुर	सारोला कलां	7954	17
113	झालावाड़	खानपुर	करनवास	2710	7

114	झालावाड़	खानपुर	मालनवासा	4219	11
115	झालावाड़	खानपुर	तारज	6515	15
116	झालावाड़	भवानीमंडी	पिपल्या	5974	13
117	झालावाड़	भवानीमंडी	श्रीछत्रपुर	5042	13
118	झालावाड़	भवानीमंडी	आंवली कलां	3419	9
119	झालावाड़	भवानीमंडी	मोगरा	5205	13
120	झालावाड़	भवानीमंडी	नारायणखेडा	4597	11
121	झालावाड़	भवानीमंडी	गुराडिया जोगा	5238	13
122	झालावाड़	भवानीमंडी	सरोद	4826	11
123	झालावाड़	भवानीमंडी	भैसानी	3917	9
124	झालावाड़	भवानीमंडी	आंकखेडी	4604	11
125	झालावाड़	भवानीमंडी	मिश्रौली	6187	15
126	झालावाड़	भवानीमंडी	नाहरघट्टा	3372	9
127	झालावाड़	भवानीमंडी	सिलेहगढ़	5341	13
128	झालावाड़	भवानीमंडी	सिंहपुर	3788	9
129	झालावाड़	भवानीमंडी	खोखरियाखुर्द	3573	9
130	झालावाड़	भवानीमंडी	करावन	3751	9
131	झालावाड़	भवानीमंडी	बिस्तुनिया	5090	13
132	झालावाड़	भवानीमंडी	गुराडियामाना	7476	17
133	झालावाड़	भवानीमंडी	गुढा	3113	9
134	झालावाड़	भवानीमंडी	गुराडिया कलां	4967	11
135	झालावाड़	भवानीमंडी	पगारिया	6232	15
136	झालावाड़	भवानीमंडी	आवर	5541	13
137	झालावाड़	भवानीमंडी	सूलिया	4082	11
138	झालावाड़	भवानीमंडी	अलावा	2942	7
139	झालावाड़	भवानीमंडी	कुण्डीखेडा	6325	15

140	झालावाड़	भवानीमंडी	घटोद	4487	11
141	झालावाड़	भवानीमंडी	गणेशपुरा	5357	13
142	झालावाड़	भवानीमंडी	भिलवाडी	5864	13
143	झालावाड़	भवानीमंडी	सरकन्या	3825	9
144	झालावाड़	भवानीमंडी	गुराडी	3000	7
145	झालावाड़	झालरापाटन	सालरिया	3300	9
146	झालावाड़	झालरापाटन	बावडीखेडा कलां	4160	11
147	झालावाड़	झालरापाटन	खेडला	3403	9
148	झालावाड़	झालरापाटन	कनवाडा	4039	11
149	झालावाड़	झालरापाटन	झूमकी	4822	11
150	झालावाड़	झालरापाटन	पिपलोद	5458	13
151	झालावाड़	झालरापाटन	डोण्डा	5291	13
152	झालावाड़	झालरापाटन	रुण्डलाव	4479	11
153	झालावाड़	झालरापाटन	समराई	5484	13
154	झालावाड़	झालरापाटन	कलमण्डीकलां	3342	9
155	झालावाड़	झालरापाटन	बडोदिया	4078	11
156	झालावाड़	झालरापाटन	मण्डावर	4578	11
157	झालावाड़	झालरापाटन	गोविन्दपुरा	4135	11
158	झालावाड़	झालरापाटन	तीतरवासा	4001	11
159	झालावाड़	झालरापाटन	टाण्डी सोहनपुरा	3866	9
160	झालावाड़	झालरापाटन	बोरदा	4165	11
161	झालावाड़	झालरापाटन	जूनाखेडा	5233	13
162	झालावाड़	झालरापाटन	गिरधरपुरा	3169	9
163	झालावाड़	झालरापाटन	लावासल	3500	9
164	झालावाड़	झालरापाटन	असनावर	8885	19
165	झालावाड़	झालरापाटन	दुर्गपुरा	5661	13
166	झालावाड़	झालरापाटन	डूंगरगांव	5488	13
167	झालावाड़	झालरापाटन	सलोतिया	3110	9
168	झालावाड़	झालरापाटन	गोरधनपुरा	4281	11
169	झालावाड़	झालरापाटन	गागरोन	4852	11
170	झालावाड़	झालरापाटन	खानपुरिया	4849	11
171	झालावाड़	झालरापाटन	अकतासा	5240	13

172	झालावाड	झालरापाटन	रूपारेल	5163	13
173	झालावाड	झालरापाटन	कोलाना	3860	9
174	झालावाड	झालरापाटन	पनवासा	3379	9
175	झालावाड	झालरापाटन	सिंघानिया	3014	9
176	झालावाड	झालरापाटन	झिरनिया	3759	9
177	झालावाड	बकानी	रीछवा	4838	11
178	झालावाड	बकानी	किशनपुरा	3674	9
179	झालावाड	बकानी	नसीराबाद	3491	9
180	झालावाड	बकानी	बडबड	3968	9
181	झालावाड	बकानी	सलावद	4163	11
182	झालावाड	बकानी	झिझनिया	4469	11
183	झालावाड	बकानी	रीझोन	4290	11
184	झालावाड	बकानी	देनगर	3868	9
185	झालावाड	बकानी	रेपला	4514	11
186	झालावाड	बकानी	करलगांव	4097	11
187	झालावाड	बकानी	नानोर	3891	9
188	झालावाड	बकानी	बडाय	3643	9
189	झालावाड	बकानी	बरखेडा	3670	9
190	झालावाड	बकानी	मोडी	3492	9
191	झालावाड	बकानी	बकानी	9812	21
192	झालावाड	बकानी	गुराडखेडा	4009	11
193	झालावाड	बकानी	गरवाडा	3722	9
194	झालावाड	बकानी	कुशलपुरा	4312	11
195	झालावाड	बकानी	थोबडियाखुर्द	3381	9
196	झालावाड	बकानी	आगरिया	3780	9
197	झालावाड	बकानी	खेरिया	4549	11
198	झालावाड	बकानी	रटलाई	8058	19
199	झालावाड	बकानी	पाटलिया कुल्मी	3354	9
200	झालावाड	बकानी	देवरी	3832	9
201	झालावाड	बकानी	झिकडिया	4298	11
202	झालावाड	अकलेरा	आमेठा	6503	15
203	झालावाड	अकलेरा	अमृतखेडी	3846	9
204	झालावाड	अकलेरा	आसलपुर	3226	9

205	झालावाड	अकलेरा	बैरागढ	6123	15
206	झालावाड	अकलेरा	बांसखेडी लोढान	5832	13
207	झालावाड	अकलेरा	भालता	4670	11
208	झालावाड	अकलेरा	बिन्दाखेडा	5187	13
209	झालावाड	अकलेरा	बोरखेडी गुजरान	5097	11
210	झालावाड	अकलेरा	बोरबन्द	4380	11
211	झालावाड	अकलेरा	चुरेलिया	3409	9
212	झालावाड	अकलेरा	देवली	3489	9
213	झालावाड	अकलेरा	देवरीचंचल	4457	11
214	झालावाड	अकलेरा	देवरीकलां	3027	9
215	झालावाड	अकलेरा	गेंहुखेडी	4872	11
216	झालावाड	अकलेरा	घाटोली	5569	13
217	झालावाड	अकलेरा	गोपालपुरा	4162	11
218	झालावाड	अकलेरा	गुलखेडी	3653	9
219	झालावाड	अकलेरा	झीकडीया	3664	9
220	झालावाड	अकलेरा	केवचीखुर्द	3445	9
221	झालावाड	अकलेरा	खारपा	3147	9
222	झालावाड	अकलेरा	कोहडीझर	5137	13
223	झालावाड	अकलेरा	ल्हास	5409	13
224	झालावाड	अकलेरा	लसुडिया शाह	4100	11
225	झालावाड	अकलेरा	मेढून	3049	9
226	झालावाड	अकलेरा	मिश्रोली	4527	11
227	झालावाड	अकलेरा	नयापुरा	2899	7
228	झालावाड	अकलेरा	पचोला	3513	9
229	झालावाड	अकलेरा	सरखण्डिया	4787	11
230	झालावाड	अकलेरा	सरडा	5247	13
231	झालावाड	अकलेरा	दहीखेडा	2959	7
232	झालावाड	अकलेरा	उचावदा	3654	9
233	झालावाड	अकलेरा	थनावद	4111	11
234	झालावाड	अकलेरा	थरोल	5555	13
235	झालावाड	अकलेरा	तुरकाडीया	5421	13
236	झालावाड	अकलेरा	उमरिया	4205	11
237	झालावाड	डग	पारापीपली	3942	9

238	झालावाड़	डग	कूण्डला	4352	11
239	झालावाड़	डग	रावन गुराडी	4716	11
240	झालावाड़	डग	पाडलिया	4468	11
241	झालावाड़	डग	रनायरा	4412	11
242	झालावाड़	डग	किटिया	5030	11
243	झालावाड़	डग	तलावली	4080	9
244	झालावाड़	डग	उन्हेल	5333	11
245	झालावाड़	डग	कुमठिया	4107	9
246	झालावाड़	डग	बर्डिया बीरजी	4808	11
247	झालावाड़	डग	रामपुरा	4531	11
248	झालावाड़	डग	चाडा	4416	9
249	झालावाड़	डग	सुनारी	4299	11
250	झालावाड़	डग	कछनारा	5058	11
251	झालावाड़	डग	तिसाई	3859	9
252	झालावाड़	डग	भड़का	3248	9
253	झालावाड़	डग	दुधालिया	5041	11
254	झालावाड़	डग	जगदीशपुरा	4888	11
255	झालावाड़	डग	डोडी	4297	9
256	झालावाड़	डग	डोबडा	4270	11
257	झालावाड़	डग	क्यासरा	4657	11
258	झालावाड़	डग	धतुरिया	4908	11
259	झालावाड़	डग	लुहारिया	3320	7
260	झालावाड़	डग	हरनावदा	3365	7
261	झालावाड़	डग	उमरिया	3583	9
262	झालावाड़	डग	मन्दिरपुर	3167	9
263	झालावाड़	डग	पिपल्या खुर्द	2865	7
264	झालावाड़	डग	देवगढ़	3326	9
265	झालावाड़	डग	केलुखेडा	6046	13
266	झालावाड़	डग	रोझाना	4974	11
267	झालावाड़	डग	गंगधार	5506	13
268	झालावाड़	डग	गुराडिया झाला	5357	11
269	झालावाड़	डग	कोल्वी उर्फ मंडी राजेन्द्रपुर	9757	19
270	झालावाड़	डग	बिलावली	3565	9
योग				1181467	2880

3.4 नदियां व बांध – झालावाड़ जिला नदियों, तालाबों और बांधों का जिला है। यहां पर 15 नदियों पर 47 बांध हैं जिनसे बारिश का 418 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी सहेजा जाता है। इसी से यहां पर हरियाली का द्वार खुलता है। जिले में कालीसिंध, छापी, भीमसागर, चंवली, हीचर बांध तो हैं ही। यहां कालीसिंध, छोटी कालीसिंध, आहू, नेवज, परवन, उजाड़, छापी, ल्हास, आमझर, रूपली, घोड़ा पछाड़, कंटाली, रिछड़, खरंड व चंवली नदियां बहती हैं।

3.5 परिवहन :-

- **वायु मार्ग** – झालावाड़ जिले में कोलाना हवाईपट्टी उपलब्ध है एवं अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है। जो जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर है।
- **रेल मार्ग** – झालावाड़ से रेल मार्ग द्वारा कोटा को जोड़ता हुआ देश के लगभग सभी राज्यों में यात्रा की जा सकती है। तथा भोपाल के लिए रेल लाईन का कार्य निर्माणाधीन है।
- **सड़क मार्ग** – झालावाड़ शहर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 है, जो कोटा-भोपाल को जोड़ता है एवं एनएच 552जी जो झालावाड़-उज्जैन को जोड़ता है। कई सरकारी बसें जिले से होकर बाहर जाती हैं। राज्य के भीतर और अंतरराज्यीय यात्रा के लिए निजी बसें भी उपलब्ध हैं।

3.6 जिला प्रशासन की सूची

पद	नाम	एस.टी.डी. कोड	कार्यालय न.	मोबाईल न.
जिला कलक्टर झालावाड़	श्री अजय सिंह राठौड़	07432	230403, 230404	9414350377
जिला पुलिस अधीक्षक, झालावाड़	श्री अमित कुमार	07432	230410	9555857662
अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड़	श्री अनुराग भार्गव	07432	230459	9414220495
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, झालावाड़	श्री भागचंद मीणा	07432	230010	9413352353
उपखण्ड अधिकारी				
उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़	श्री अभिषेक चारण	07432	230457	9636404643
उपखण्ड अधिकारी, असनावर	श्री कमल सिंह यादव	07432	244005	9413044400
उपखण्ड अधिकारी, अकलेश	श्री बृजेश चौधरी	07431	272203	7011684021
उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना	श्री पुष्कर कुमार मित्तल	07431	274712	9414793559
उपखण्ड अधिकारी, खानपुर	श्री रजत कुमार विजयवर्गीय	07430	261400	9460256727
उपखण्ड अधिकारी,	सुश्री श्रद्धा गोमे,	07433	222198	9131920672

पद	नाम	एस.टी.डी. कोड	कार्यालय न.	मोबाईल न.
भवानीमंडी	आई.ए.एस.			
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा	श्री दिनेश कुमार	07434	258453	7069723302
उपखण्ड अधिकारी, गंगधार	श्री छत्रपाल चौधरी	07435	284500	8078615530
तहसीलदार				
तहसीलदार झालरापाटन	श्री नरेन्द्र कुमार मीणा	07432	240268	9636725288
तहसीलदार असनावर	श्री रतनलाल	07432	244447	9549095829
तहसीलदार अकलेरा	श्री पुष्पेंद्र पांचाल	07431	272207	9555016947
तहसीलदार मनोहरथाना	श्री माधोलाल बैरवा	07431	274000	9928776344
तहसीलदार खानपुर	श्री हेमराज कपूर	07430	261221	9414444311
तहसीलदार बकानी	श्री रतनलाल	07432	245237	9549095829
तहसीलदार रायपुर	श्री हरिशंकर जांगिड	07434		9413018864
तहसीलदार पचपहाड़	श्री अब्दुल हफीज	07433	222085	7014725790, 8306174186
तहसीलदार सुनेल	श्री अजहर बेग	07434	253827	8826636122
तहसीलदार पिड़ावा	श्री सतीश चंद्र पाटीदार	07434	258237	8440957743
तहसीलदार डग	नायब तहसीलदार डग	07435	280204	
तहसीलदार गंगधार	श्री गणेश लाल खंगार	07435	284229	9460039650
नायब तहसीलदार (तहसील कार्यालय)				
नायब तहसीलदार, उप तहसील सारोलाकलां	श्री हेमराज कपूर	07430	261221	9414444311
खण्ड विकास अधिकारी				
खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति अकलेरा	श्री आदेश कुमार मीणा	07431	272018	8440999966
खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति भवानीमंडी	श्री महेश कुमार मीणा, अति. चार्ज	07433	223300	9413849727
खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति बकानी	श्री प्रभुलाल वर्मा	07432	245058	9783000105
खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति डग	श्रीमती कंचन बोहरा	07435	283324	9928339170
खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति झालरापाटन	श्री महेश कुमार मीणा	07432	240026	9413849727
खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति खानपुर	श्री रविन्द्र शर्मा	07430	261251	7976670119
खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति मनोहरथाना	श्री कैलाश चंद मीणा	07431	274226	9001621778

पद	नाम	एस.टी.डी. कोड	कार्यालय न.	मोबाईल न.
खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति पिड़ावा मुख्यालय सुनेल	श्री संजय कुमार शर्मा	07434	253223	9718787027
नगरीय निकाय				
आयुक्त नगरपरिषद झालावाड़	श्री अशोक कुमार शर्मा	07432	231136	9509079842
अधिकाधी अधिकारी, नगरपालिका झालरापाटन	अति. प्रभार आयुक्त नगरपरिषद झालावाड़	07432	240056	
अधिकाधी अधिकारी, नगरपालिका अकलेरा	श्री पुखराज मीणा	07431	294016	9413937198
अधिकाधी अधिकारी, नगरपालिका भवानीमंडी	श्री मनीष मीणा	07433	222033	9664225197
अधिकाधी अधिकारी, नगरपालिका पिड़ावा	इंचार्ज श्री मनीष मीणा	07434	258566	9664225197
अधिकाधी अधिकारी, नगरपालिका खानपुर	श्री धर्मराज मीणा			8875457555
अधिकाधी अधिकारी, नगरपालिका मनोहरथाना	इंचार्ज श्री पुखराज मीणा			9413937198
अधिकाधी अधिकारी, नगरपालिका डग	इंचार्ज श्री मनीष मीणा			9664225197
जिला स्तरीय अधिकारीगण				
उप वन संरक्षक, झालावाड़	श्री पवार सागर पोपट	07432	232230	7983108041
उप वन संरक्षक, वाईल्ड लाईफ मुकदरा नेशनल पार्क (कोटा)	श्री मुथु एस	0744	2470723	9566399871
सहायक वन संरक्षक, झालावाड़	श्री मुकेश सहजवानी	07432	232230	9929627400
सहायक वन संरक्षक, पिड़ावा	श्री संजू कुमार शर्मा			9462885957
सहायक वन संरक्षक, मुकन्दरा हिल्स दरा (कोटा)	श्रीमती शिल्पी			9461756856
सहायक खनि अभियंता, झालावाड़	श्री राकेश मेघवाल	07432	232414	9928719590
कोषाधिकारी, झालावाड़	श्रीमती मिथिलेश मीणा	07432	230439	9660352158
जिला आबकारी अधिकारी, झालावाड़	श्री मुकेश कुमार प्रजापत	07432	232651	9887272927
जिला रसद अधिकारी, झालावाड़	श्री जितेन्द्र, अतिरिक्त प्रभार	07432	230445	8619380080
प्रबंधक, खाद्य आपूर्ति निगम, झालावाड़	श्रीमती प्रियंका सैनी	07432		9460467867
जिला परिवहन अधिकारी, झालावाड़	श्री समीर जैन	07432	232307	9529287989
मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,	श्री पवन कुमार सैनी 9587942267	07432	231147	9549653294
सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, झालावाड़	श्रीमती शोभा वर्मा, अति. प्रभार	07432	232560	9460102834

जिला रोजगार अधिकारी, झालावाड़	एसीपी डीओआईटी अति. चार्ज	07432	232318	
जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी, झालावाड़	श्री राम सिंह मीणा	07432	232574	9571491391
मुख्य आयोजना अधिकारी, झालावाड़	श्री विनोद कुमार मीणा	07432	230447	9636546633
उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, झालावाड़	श्री आशीष यादव	07432	232425	9251676834
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, झालावाड़	श्री बलवीर सिंह गुर्जर	07432	234110	8561004547
सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, झालावाड़	श्री गिरिराज वैश्य	07432	232592	8823934925
उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग झालावाड़	डॉ ओमप्रकाश शर्मा	07432	232249	9413806765
क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, झालावाड़	श्री सतीश कुमार भारद्वाज	07432	231358	9414055247
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, झालावाड़	श्री शंभू सिंह रावत	07432	295196	8107935677
परियोजना प्रबंधक, अनु. जाति जनजाति झालावाड़	इन्चार्ज श्री रामनिवास यादव	07432	232129	7300016347
उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग,	श्री रविन्द्र कुमार मीणा, कार्यवाहक	07432	231771	9413005433
सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, झालावाड़		07432	231140	
सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण ईकाई, झालावाड़	श्री सुरेन्द्र कुमार पूनिया	07432		7014429744
उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,	श्री रामनिवास यादव	07432	231215	7300016347
अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह झालावाड़	श्री रविन्द्र मीणा			8125722638
जिला श्रम कल्याण अधिकारी, झालावाड़	श्री सुरेन्द्र सैनी	07432	232228	9462147385
संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग,	श्री अंकुर शर्मा	07432	294888	9460219538
संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, झालावाड़	डॉ. राजेश मेहता	07432	232434	9413666892
संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार, झालावाड़	श्री नरेश शर्मा	07432	232345	9983145320
संयुक्त निदेशक, संतरा उत्कृष्टता केन्द्र, झालरापाटन	श्री देवेन्द्र चौधरी			9414060356
उप निदेशक (शस्य), जैविक उत्कृष्टता केन्द्र, झालरापाटन	श्री उमेश धाकड़			9928351640
उप निदेशक, उद्यान विभाग,	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा	07432	232658	9414404937
वरिष्ठ वैज्ञानिक (प्रभारी), कृषि विज्ञान केन्द्र, झालावाड़	डॉ. संतोष झांझडिया	07432	230504	9462000090
परियोजना प्रबंधक, राजस्थान सीड्स कार्पोरेशन, झालावाड़	श्री विनोद सोलंकी	07432		8239175591
सहायक निदेशक, पर्यटक विभाग, झालावाड़	श्री सिराज कुरैशी	07432	230081	9772301200
उप निदेशक, अभियोजन विभाग, झालावाड़	श्री मुरारी लाल पारिस	07432	234201	9414086177
क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान	श्री अनुराग यादव	07432	295071	8094178389

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,				
भूमि अवाप्ति अधिकारी (जल संसाधन विभाग), झालावाड़	श्री मनीष मीणा, अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन	07432		8559851186
सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, झालावाड़	श्री हेमंत छीपा	07432	230448	9782794279
प्रबंधक, देवस्थान विभाग, झालावाड़	श्री कमल अग्रवाल, कार्यवाहक	07432		9887409494
संग्रहालयाध्यक्ष, राजकीय संग्रहालय, झालावाड़	श्री हिमांशु सिंह, अति. चार्ज (चित्तौड़गढ़)	07432	294383	9829916334
कनिष्ठ सहायक, राजकीय संग्रहालय, झालावाड़	श्री अजय शर्मा	07432	294383	7014802136
प्रबंधक, कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट गेस्ट हाउस,	श्री जे.पी.असवाल अधि. अभि. सिविल			9413348271
प्रबंधक, सर्किट हाउस, झालावाड़	श्री प्रमोद शर्मा	07432	230025	9818832172
सुपरवाइजर, सर्किट हाउस, झालावाड़	श्री उदयवीर सिंह	07432	230025	7737239040
प्रबंधक, गावंडी हट्स	श्री यशपाल गुर्जर			7568390341
जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केन्द्र झालावाड़	श्री दिनेश जांगिड	07432	232304	9982111102
जिला खेल अधिकारी, झालावाड़	श्री कृपा शंकर शर्मा	07432	233224	9001832969
जिला परियोजना प्रबन्धक, राजीविका मिशन, झालावाड़	श्री बलवीर सिंह गुर्जर कार्यवाहक	07432	231219	8561004547
राजस्थान कौशल विकास एवं आजीविका विकास निगम	श्री मनीष कुमार सोनी	07432		9660852099
मत्स्य विकास अधिकारी, झालावाड़	श्रीमती अमृता	07432		8952891370
सहायक मत्स्य विकास अधिकारी, झालावाड़	श्री नितिन शर्मा			7062745218
जिला टाउन प्लानर	श्री भूपेश मालव	07432		9414268110
सहायक टाउन प्लानर	श्री विशाल प्रसाद			8839692078
प्रभारी सैनिक विश्राम गृह	श्री कैलाश चंद धाकड			9799924583
भारत स्काउट एण्ड गाईड, झालावाड़	श्री रामकृष्ण शर्मा			8003097150
जिला प्रभारी, हिंदुस्तान स्काउट एण्ड गाईड,	श्री राहुल शर्मा			9982561835
कृषक प्रशिक्षण केन्द्र, पीएनबी आरसेटी झालावाड़	श्री चन्द्रशेखर सुमन			7575830200
बैंक, सहकारी बैंक				
लीड बैंक ऑफिसर, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, झालावाड़	श्री महेश सिसोदिया 9998883146	07432	232295	8696930073
प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, झालावाड़	श्री ओमप्रकाश जैन	07432	233090	8306306070
सचिव, भूमि विकास बैंक, झालावाड़	श्री जयदीप सिंह हाडा	07432	232573	9509109200
उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, झालावाड़	श्री अवतार सिंह मीणा	07432	232558	9414340524, 8058525034
चिकित्सा शिक्षा				
डीन, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज	डॉ. संजय पोरवाल	07432	233388	9414442137
अतिरिक्त प्राचार्य, मेडिकल				

कॉलेज				
अधीक्षक, श्री राजेन्द्र सार्वजनिक चिकित्सालय, झालावाड़	डॉ. अशोक शर्मा	07432	233277	9414194001, 8209237770
अधीक्षक, श्री हीरा कंवर बा महिला चिकित्सालय, झालावाड़	डॉ. संजय जैन	07432	232892	9414242030
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य				
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़	डॉ. मोहम्मद साजिद खान	07432	230009	7425051821
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़	डॉ. लेखराज मालव			9413056951
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़	डॉ. अरविंद नागर			9462808541
जिला क्षय रोग निवारण अधिकारी, झालावाड़	डॉ. मुकेश बंसल	07432	232687	9462994091
आर.सी.एच.ओ. झालावाड़	डॉ. मुकेश नागर			9828675534
ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, झालरापाटन	डॉ. सुनील मीणा			9649903503
ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बकानी	डॉ. अर्श महबूब			9636636671
ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अकलेरा	डॉ. कुलवीर सिंह राजावत			8058608080
ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मनोहरथाना	डॉ. कौशल लोधा			9116729677
ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खानपुर	डॉ. मुकेश नागर			9828675534
ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिडावा	डॉ. हरिप्रसाद लकवाल			7976263806
ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भवानीमंडी	डॉ. सुनील मीणा			9649903503
ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डग	डॉ. विकास जैन			9982139435
जलदाय विभाग				
अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत्त झालावाड़	श्री अमर सिंह मीणा, कार्यवाहक	07432	232285	9929341517
अधिशाषी अभियन्ता (मोने.), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, झालावाड़	श्री मोहरसिंह मीणा			9461518175
अधिशाषी अभियन्ता, खण्ड झालावाड़	श्री अमरसिंह मीणा			9929341517
अधिशाषी अभियन्ता, खण्ड भवानीमंडी	श्री संजीव गौतम			9413054427
कनिष्ठ भू जल वैज्ञानिक, भू जल विभाग, झालावाड़	श्री अनिल पालीवाल	07432	232684	7976200630, 8560870417
सहायक अभियंता, भू जल विभाग, खण्ड झालावाड़	श्री ताविश			7827455518
जलदाय विभाग (प्रोजेक्ट)				
अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (प्रोजेक्ट) झालावाड़	श्री अरविंद खींची	07432		9414183060
अधिशाषी अभियन्ता,	श्री प्रवीण कुमार			9461095710

परियोजना खण्ड II				
अधिकाधी अभियन्ता, परियोजना खण्ड भवानीमण्डी	श्री संजीव गौतम			9413054427
सार्वजनिक निर्माण विभाग				
अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त झालावाड	श्री मुकेश चंद मीणा	07432	233336	9414256305
अधिकाधी अभियन्ता, सानिवि खण्ड झालावाड	श्री दीपक तूंदवाल	07432	230449	8058828289
अधिकाधी अभियन्ता, सानिवि खण्ड अकलेरा	श्री देवीशंकर मीणा	07431	272226	9785871325
अधिकाधी अभियन्ता, सानिवि, खण्ड खानपुर	श्री सत्यनारायण मीणा			7976717394
अधिकाधी अभियन्ता, सानिवि, खण्ड भवानीमंडी	श्री श्याम बिहारी मालव	07433	222430	9694276959
अधिकाधी अभियन्ता, सानिवि, खण्ड चौमहला	श्री सत्यनारायण मीणा			8003511207
अधिकाधी अभियन्ता, सानिवि, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड झालावाड				
अधिकाधी अभियन्ता, सानिवि, कोलाना हवाई पट्टी	श्री लालचंद बागरी			9414844220
अधिकाधी अभियन्ता, सानिवि, गुण नियंत्रण झालावाड	श्री देवीशंकर मीणा	07432	230040	9785871325
अधिकाधी अभियन्ता, सानिवि, ईलेक्ट्रिकल खण्ड झालावाड	श्री रचित शर्मा			9928381860
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण				
परियोजना निदेशक, एन.एच. ए.आई. कोटा	श्री संदीप अग्रवाल			9414310548
रेजीडेंट इंजीनियर, एन.एच.ए. आई. पी.आई.यू. कोटा	श्री बी.एस. राठौड			6350067374
प्रबंधक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	श्री बजेन्द्र मीणा			7054845045
आर.एस.आर.डी.सी				
परियोजना अधिकारी, आर. एस.आर.डी.सी. झालावाड	श्री ललित मेघवाल			9929957899
आर.यू.आई.डी.पी.				
अधिकाधी अभियन्ता, आर.यू. आई.डी.पी	श्री रामबाबू			8619066998
रिडकोर				
परियोजना निदेशक, रिडकोर	श्री अमित गर्ग			8955351886
कृषि विपणन बोर्ड				
अधिकाधी अभियन्ता, कृषि विपणन बोर्ड, झालावाड	श्री रामप्रसाद जाटव			9413387105
जल संसाधन विभाग				
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, झालावाड	श्री देवकी नंदन शर्मा			8955754498
अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, वृत्त झालावाड	श्री महेन्द्र सिंह मीणा	07432	231059	9680241927
अधिकाधी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, खण्ड झालावाड	श्री बाबूलाल गहलोत			9672154011
अधिकाधी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, खण्ड अकलेरा	श्री सत्येन्द्र कुमार मीणा			9414149335
अधिकाधी अभियन्ता, जल	श्री वीरेन्द्र सिंह			9680988790

संसाधन विभाग, चंवली परियोजना नहर खण्ड				
अधिकाधी अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजगढ परियोजना, खण्ड भवानीमंडी	श्री कमलेश कुमार			9549252252
जल संसाधन विभाग परियोजना				
अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, झालावाड	श्री अजीत जैन	07432	233309	7737216000
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम				
मुख्य अभियंता, कालीसिंध सुपर थर्मल पावर प्लांट,	श्री डी के मित्तल	07432	243002	9413349526
टी.ए. टू मुख्य अभियंता, कालीसिंध प्लांट, झालावाड	श्री हिमांशु			9414085253
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम				
अधिकाधी अभियंता, 220 के. वी. जी.एस.एस. झालावाड	श्री अश्विनी कानूनगों	07432	232271	9413383094
सहायक अभियंता, 220 के.वी. जी.एस.एस. झालावाड	श्रीमती संगीता गुर्जर	07432	232271	9057510843
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड				
अधीक्षण अभियंता, जेवीएनएल लिमिटेड वृत झालावाड	श्री विश्वभर सहाय	07432	230030	9413390976
अधिकाधी अभियंता, जेवीएनएल, खण्ड झालावाड प्रथम	श्री केदारलाल बडोदिया	07432		9413390979
अधिकाधी अभियंता, जयपुर जेवीएनएल, झालावाड द्वितीय	श्री पंकज सक्सेना	07432		9414044190
अधिकाधी अभियंता, जेवीएनएल, खण्ड भवानीमंडी	श्री रईस अहमद	07433		9413390980
शिक्षा				
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झालावाड	श्री राम सिंह मीणा	07432	294338	9571491391
प्रारंभिक शिक्षा				
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक, झालावाड	अति. चार्ज जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक	07432	294053	
माध्यमिक शिक्षा				
जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, झालावाड	श्री भीमसिंह जाट	07432	294338	9664247432
अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक झालावाड	श्री पवन पाटीदार			9950132199
अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (शैक्षिक),	श्री बालचंद कारपेंटर			9413281436
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान, झालावाड	श्री कल्याणमल वर्मा			9413806241, 9024348506
सहायक परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान,	श्री सीताराम मीणा			9413101504
प्रधानाचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, झालावाड	श्री वेद प्रकाश	07432	211356	9982686273
प्रधानाचार्य, नवोदय विद्यालय, पचपहाड	श्री दयाशंकर चतुर्वेदी	07433		9413588331
प्राचार्य, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, झालरापाटन	श्रीमती रजनीगंधा सोनी	07432	240129	8058823191
प्रभारी, महिला शिक्षण विहार, झालावाड	श्री शिव चौबदार	07432	230954	9414886739
पुस्तकालयाध्यक्ष, राजकीय	श्री कैलाश चंद राव	07432	232784	9887104543

हरिश्चन्द्र सार्वजनिक जिला पुस्तकालय झालावाड़				
उच्च शिक्षा				
प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झालावाड़	श्री रामकल्याण मीणा	07432	232315	8302813785
प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, झालावाड़	डॉ. चारुलता तिवारी	07432	232415	8290190456, 9414569438
प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, खानपुर	डॉ. उषा जैन	07430		9413185859
प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मनोहरथाना	डॉ. बृज मोहन बैरवा	07431		9602026563
प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, पिडावा	डॉ. ताराचंद	07434		9636364246
प्राचार्य, राजकीय बिड़ला महाविद्यालय, भवानीमंडी	डॉ. मनीष गुप्ता	07433	222176	9587424668, 9413344928
प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, चौमहला	डॉ. ओमप्रकाश	07435		9462724593
प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, मुंडेरी	श्री राकेश मीणा	07432		7792853690
डीन, उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, झालावाड़	श्री इन्द्रभूषण मौर्य	07432	241155	9887095532
प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय असनावर				
प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत रटलाई	श्री अवधेश मिश्रा			9928372739
प्राचार्य, होटल मैनेजमेंट संस्थान, झालरापाटन	श्री महेश बैरवा	07432		9829383057
तकनीकी शिक्षा				
प्राचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, झालावाड़	डॉ. नितिन आर्य	07432	242811	9660333137
प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,	श्री ए के एल संतानिया	07432	233282	9460090145
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान				
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, झालावाड़	श्री प्रेमचंद गुप्ता	07432	231314	9413276380
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, झालरापाटन	श्री पवन कुमार			8094705427
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अकलेरा	श्री पवन कुमार			8094705427
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खानपुर	श्री पवन कुमार			8094705427
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पिडावा	श्री उपेन्द्र उपकार सिंधव			8107748463
कृषि उपजमंडी समिति				
सचिव, कृषि उपजमंडी समिति, झालरापाटन	श्री गोविंद सिंह	07432	240023, 242090	6375112186
सचिव, कृषि उपजमंडी समिति, अकलेरा	श्री गोविंद सिंह, अति. चार्ज	07431	272228	6375112186
सचिव, कृषि उपजमंडी समिति, मनोहरथाना	श्री फूलचन्द मीणा	07431		9829679754
सचिव, कृषि उपजमंडी समिति, खानपुर	श्री हरिमोहन बैरवा	07430	261225	9461788564
सचिव, कृषि उपजमंडी	डॉ हेमलता मीणा	07433	222058,	9166953154

समिति, भवानीमंडी			222180	
सचिव, कृषि उपजमंडी समिति, चौमहला	श्री जवाहरलाल नागर			9414175802
महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य भंडारन निगम, झालरापाटन	श्री अनिल सिंह			9413385793
महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य भंडारन निगम, खानपुर	श्री सत्यनारायण मीणा			9414041527
महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य भंडारन निगम, भवानीमंडी	श्री रुपेन्द्र सिंह			9617392688
प्रभारी, सैनिक विश्राम गृह झालावाड़	श्री कैलाश चंद धाकड़			9680887549
जगमग हेल्प लाईन, कलेक्ट्रेट झालावाड़		07432	230645, 230646	
सहकारी उपभोक्ता भण्डार	श्री सिद्धीक मंसूरी	07432		9460747896
केन्द्र सरकार के कार्यालय				
जिला आयकर अधिकारी, झालावाड़	श्री सुखचंद मीणा	07432	231171	9530400620
अधीक्षक, मुख्य डाकघर, झालावाड़	श्री प्रदीप कुमार जैन	07432	232359	9461134677, 7878284166
पोस्टमास्टर, मुख्य डाकघर, झालावाड़	श्री हरीश सोनी			9829189124
जिला दूरसंचार प्रबंधक, बी. एस.एन.एल. झालावाड़	श्री विजय कुमार बालू	07432	233600	9425132585
सहायक महाप्रबंधक, बी.एस. एन.एल. झालावाड़	श्री एन.के. गालव			9414001596
जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, झालावाड़	श्री महेन्द्र राठौर	07432	230310	9785383066
प्रबंधक, दूरदर्शन केन्द्र, झालावाड़		07432	232321	
कार्यक्रम प्रमुख, आकाशवाणी केन्द्र, झालावाड़	श्री खेमचंद मीणा	07432	232593	
जिला अफीम अधिकारी, झालावाड़	श्री अरविंद सक्सेना	07432	294103	9407202148
जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड, झालावाड़	श्री वासुदेव मीणा			8209590232
डिपो मैनेजर, भारत खाद्य निगम, भवानीमंडी	श्री रमेशचंद यादव			7568048908
सेक्शन इंचार्ज, रेलवे स्टेशन झालावाड़ सिटी				
स्टेशन इंचार्ज, रेलवे स्टेशन झालावाड़ सिटी	श्री हरीश मीणा			9001017934, 9799662052

भाग – III

4.1 नागरिक सुरक्षा सेवायें – नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत हवाई हमले नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम (Revised Edition 2011) एवं नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त (Revised Edition 2003) के तहत हवाई हमला एवं अन्य आपदाओं के दौरान जान व माल की सुरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु, नागरिक सुरक्षा कार्यों को निम्नानुसार 12 सेवाओं में विभक्त किया गया है :-

क्र. सं.	सेवा का नाम	नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की अधिकृत नफरी	वर्तमान में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक
1.	मुख्यालय	-	-
2.	संचार सेवा	-	-
3.	वार्डन सेवा		38
4.	अग्निशमन सेवा	-	-
5.	प्रशिक्षण सेवा	-	-
6.	हताहत सेवा	-	125
7.	बचाव	-	80
8.	साल्वेज सेवा	-	-
9.	पूर्ति सेवा	-	114
10.	डिपो व परिवहन सेवा	-	136
11.	कल्याण सेवा	-	102
12.	शव निपटान सेवा	-	-
	योग		595

नॉट :- रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स पॉलिसी 2009 के तहत नागरिक सुरक्षा की आपदा प्रबन्धन में अतिरिक्त भूमिका दिये जाने के उपरान्त, भारत सरकार द्वारा गठित कमेटी द्वारा उक्त 12 नागरिक सुरक्षा सेवाओं के स्थान पर निम्नानुसार 07 नागरिक सुरक्षा सेवाओं के गठन की सिफारिश की गयी है :-

1. मुख्यालय व संचार सेवा
2. वार्डन सेवा
3. हताहत सेवा
4. प्रशिक्षण सेवा
5. अग्निशमन सेवा
6. बचाव व साल्वेज सेवा
7. कल्याण सेवा

(इसके साथ ही उक्त 07 नागरिक सुरक्षा सेवाओं के अतिरिक्त जन-जागरुकता कार्यक्रम (Public Awareness) एवं सामुदायिक क्षमतावर्द्धन (Community Capacity Building) जैसे अतिरिक्त कार्य भी नागरिक सुरक्षा के माध्यम से संचालित किये जा सकेंगे।)

- 4.2 नागरिक सुरक्षा सेवा के कमान अधिकारी/प्रभारी अधिकारियों का मनोनयन**
 – नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा 5(1) में प्रदत्त शक्तियों नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा द्वारा निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा सेवाओं के कमान अधिकारी/प्रभारी अधिकारी मनोनीत किये गये हैं :-

क्र.सं.	नाम सेवा	पद	दूरभाष नंबर
1.	मुख्यालय सेवा	नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा झालावाड़	07432-230403
3.	वार्डन सेवा	उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा, (अति० जिला कलक्टर) झालावाड़	230459
4.	अग्निशमन सेवा	आयुक्त, नगर परिषद्, झालावाड़	231136
5.	प्रशिक्षण सेवा	अति० जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) झालावाड़	230459
6.	हताहत सेवा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, झालावाड़	230009
7.	बचाव	अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, झालावाड़।	233336
8.	साल्वेज सेवा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद झालावाड़	240268
9.	पूर्ति सेवा	जिला रसद अधिकारी, झालावाड़	230445
10.	डिपो व परिवहन सेवा	जिला परिवहन अधिकारी, झालावाड़	232307
11.	कल्याण सेवा	सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग झालावाड़	231215
12.	शव निपटान सेवा	सेनेटरी इन्स्पेक्टर नगर परिषद्, झालावाड़	231136

- 5. मुख्यालय सेवा (Headquarter Service)** – मुख्यालय व संचार सेवा के अन्तर्गत नियंत्रक (जिला कलक्टर) द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत प्रदत्त शक्तियों, अधिकारों व नियमों के आधार पर नागरिक सुरक्षा की विभिन्न सेवाओं के लिए सम्बन्धित सरकारी तन्त्र को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जाकर आम जनता के मनोबल/जानमाल की क्षति को कम से कम करने के लिए कार्य विकेंद्रित कर नियन्त्रित किया जाता है।

5.1 **नियंत्रक (Controller)** – राज्य सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम (27) 1968 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट को जिले में नागरिक सुरक्षा का “नियंत्रक” नियुक्त किया गया है। नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के कार्य निम्नानुसार हैं :-

- जिले की नागरिक सुरक्षा की योजना और उसके कार्यों पर सामान्य नियंत्रण रखना।
- नागरिक सुरक्षा कार्यों के तहत महत्वपूर्ण मामलों में निर्णायक की भूमिका निभाना।
- विभिन्न उप-नियंत्रण केन्द्रों के बीच या निकटवर्ती क्षेत्रों से पारस्परिक सहायता प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है।
- स्थिति की पर नियंत्रण हेतु समस्त सेवा प्रभारियों व संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश देने एवं इसकी जानकारी उच्च-अधिकारियों को भेजने का कार्य।
- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना तथा उन्हें विभागानुसार समुचित प्रबंधन का आदेश देना।
- आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना। आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत, जानकारी आदि के लिए अलग-अलग काउन्टर बनाना।
- आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर सभी सूचनाओं को इकट्ठा करवाना तथा राज्य नियंत्रण कक्ष तक सूचनाओं को भेजना।
- सभी विभागों में समन्वय करना।
- समय समय पर उच्च अधिकारियों तथा मीडिया हेतु सूचनाएं व आकड़ें तैयार रखवाना।
- बाहरी आक्रमण की स्थिति में हवाई हमले से होने वाले संभावित खतरे एवं उससे निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 के तहत हवाई हमले से पहले, दौरान व बाद में किये जाने वाले उपाय/कार्य।

5.2 **मुख्यालय सेवा के कर्तव्य** :- नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम के अनुसार मुख्यालय सेवा के कर्तव्यों को निम्नानुसार तीन भागों में बाँटा गया है:-

(क) **शान्तिकाल में कर्तव्य** :-

- नागरिक सुरक्षा संबंधी योजना पूर्ण रूप से तैयार करना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओं के सभी उपकरण प्राप्त करना, सही रखना तथा उचित भण्डारण करना।
- नागरिक सुरक्षा की योजना के अनुसार नागरिकों का प्रशिक्षित करना, सेवाओं को तैयार करना, उनका कार्य क्षेत्र निर्धारित करना।
- आवश्यक सेवाओं की आपातकालीन योजना बनाना।
- वाहनों की संख्या का आंकलन कर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- वाहनों के ढाँचे में परिवर्तन आवश्यकतानुसार चाहिए तो उसका प्रबन्ध करना।
- आपातकालीन समय में डीजल, पेट्रोल, ऑयल ग्रीस तथा स्पेयर पार्ट्स की माँग बढ़ जाती है। उनकी आपूर्ति हेतु योजना बनाना एवं नियंत्रण में रखना।

- रोशनी पर प्रतिबन्ध लगाने के आदेश की आवश्यकता होने पर प्रकाश प्रतिबन्ध आदेश G.P.C.D. के पृष्ठ सं. 174 से 184 तक निर्दिष्ट है, को लागू कराना एवं उसका कड़ाई से पालन करना।
- हवाई हमलों के दौरान स्थानीय आर्मी के एक प्रतिनिधि को नियन्त्रण कक्ष में बैठाने की व्यवस्था कराना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओं के प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति करना G.P.C.D. में निर्दिष्टानुसार सेवा प्रभारियों को कार्य बॉटकर योजना बनाने में मदद लेना।

(ख) चेतावनी से पूर्व (प्रिकॉशनरी स्टेज) के कर्तव्य :-

- नागरिक सुरक्षा उपायो का पूर्वालोकन करना।
- जनसाधारण को नागरिक सुरक्षा प्रबन्धों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था करना।
- जनता को अग्निषमन हेतु प्रशिक्षित करना।
- नागरिक सुरक्षा जन आवश्यकता हेतु निर्धारित मकानों के अधिग्रहण करने की सूचना देकर कार्यवाही करना।
- एडवाइजरी कमेटी (को-ओर्डिनेशन कमेटी)/नागरिक सुरक्षा सेवा प्रभारी अधिकारियों से विचार विमर्ष कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा आवश्यक सेवाओं वाले भवनों/कार्यालयों को सुरक्षित करवाना।
- टेलीफोन विभाग को नागरिक सुरक्षा के लिए अतिरिक्त टेलीफोन की मांग देना।
- शान्ति काल में किए गए सभी प्रयासों को मूर्तरूप में तैयार रखना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओं के लिए स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं से आवश्यक सहयोग हेतु बैठक करना।
- नागरिक सुरक्षा संचार व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखवाना।
- आवश्यकता पड़ने पर पास वाले नागरिक सुरक्षा नगर से सहायता लेने की योजना बनाना।
- निष्क्रमण योजना की पूर्ण तैयारी करना।
- नागरिक सुरक्षा भण्डार की समुचित व्यवस्था हेतु राज्य सरकार से उचित बजट प्राप्त करना।
- समयानुसार रिपोर्ट भिजवाना।

(क) युद्ध काल में कर्तव्य :-

- समस्त नागरिक सुरक्षा प्रयासों को पूर्ण रूप से कार्यशील बनाना।
- सभी वांछित वाहन, मकान आदि का अधिग्रहण करना, सभी नागरिक सुरक्षा सेवाओं के आपसी तालमेल को देखना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओं को वांछित सामान उपलब्ध कराते रहना एवं उनका भण्डारण करना।
- पशु पक्षी आदि की सुरक्षा व्यवस्था निश्चित कराना।
- सभी नागरिक सुरक्षा उपायो का समय-समय पर निरीक्षण करते रहना।

- डीजल पेट्रोल ऑयल वाहन के पुर्जे आदि का भण्डारण सुरक्षित रखना।
- प्रकाश व्यवस्था की जनता में जानकारी देते हुए उसकी समय व्यवस्था को कडाई से लागे कराना।
- जन कार्यो हेतु वांछित भवन, कार्यालयो की समुचित सुरक्षा कराना।
- शैडो कन्ट्रोल रूम में आवश्यक साधनो की उचित व्यवस्था करना।
- समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना एवं राज्य सरकार को भेजना।


6. संचार सेवा (Communication Service)

6.1 चेतावनी प्रणाली :-नागरिक सुरक्षा में चेतावनी प्रणाली को दो भागों में विभक्त किया गया है।

6.2 नियंत्रण कक्ष – नागरिक सुरक्षा की विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्लापों का नियंत्रण करने के लिए, नागरिक सुरक्षा सेवाओं का आपसी सांमजस्य बनाये रखने के लिए तथा युद्ध संबंधी सूचनाएँ एकत्रित कर उच्चाधिकारियों को सूचित करने के लिए, नियन्त्रक (जिला कलक्टर) एवं अन्य नागरिक सुरक्षा सेवाओं के ऑफिसर कमान्डिंग के साथ बैठ कर युद्ध/आपदा की स्थिति की समीक्षा और उनको कार्य रूप देने के लिए इत्यादि हेतु चिन्हित स्थान में “नियंत्रण कक्ष” स्थापित किया जाता है, जहां से समस्त नागरिक सुरक्षा गतिविधियों का संचालन किया जाता है। जिला झालावाड़ में नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 07432-230645 एवं 230646 है।

6.3 चेतावनी प्रणाली – नागरिक सुरक्षा प्रयासों को सही रूप से क्रियान्वित करने के लिए चेतावनी प्रणाली का सुव्यवस्थित होना, खतरे के उद्गम स्थल में चेतावनी की प्राप्ति तथा नियंत्रण कक्ष से नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों एवं जनता में आवश्यक चेतावनी का प्रसारण करना, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके अभाव में समस्त नागरिक सुरक्षा प्रयास एवं प्रयत्न चाहे वे कितने ही सुदृढ़, समुचित एवं सुव्यवस्थित क्यों न हो, निष्प्रभावी हो जायेंगे। चेतावनी प्रणाली प्रक्रिया के माध्यम से बिना समय नष्ट किये सूचना को संबधित सेवाओं, स्वयंसेवकों तथा आमजन तक पहुंचाया जाता है। चेतावनी प्रणाली को दो प्रकार की होती हैं :-


6.3(क) बाह्य चेतावनी प्रणाली (External Warning System):- चेतावनी प्रणाली द्वारा बिना समय नष्ट किये जैसे ही शत्रु के बम वर्षक विमान हमारी वायु सेनाओं के राडारों पर नजर आते हैं, उनकी सूचना वायु सेना उतरलाई के नियन्त्रण कक्ष “एयर डिफेन्स डाइरेक्टिव सेन्टर, (ADDC)” से “टाउन सिविल डिफेन्स कन्ट्रोल सेन्टर (TCDC) झालावाड़ को दी जाती है, जो वर्तमान में जिला कलक्टर कार्यालय में संचालित है।



6.3(ख) आन्तरक चतावनी प्रणाली – बाह्य चतावनी प्रणाला से प्राप्त सूचनाए स्थानीय आमजन तक देने की विधि के लिए समस्त जिला नागरिक सुरक्षा नियंत्रण केन्द्रों पर ARP यंत्र (Air Raid Precaution Instrument) किये जाते हैं। इस प्रणाली से दो प्रकार से सूचनाए प्रसारित की जाती है।

- (i) टेलीफोन
- (ii) विद्युत सायरन

Internal Communication Schema



Message to Civil Authorities as per Emergency Communication Plan

- District Collector
- Police authorities
- Fire services authorities
- Emergency services authorities
- Hospital authorities etc and others

6.4 नागरिक सुरक्षा में चेतावनी प्रणाली के साधन :- समय-समय पर भारत सरकार की संचार नीति राज्य सरकार को प्रेषित कर नागरिक सुरक्षा में संचार साधन उपलब्ध कराये जाते हैं। राज्य सरकार नीति अनुरूप संचार साधनों हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड में उपलब्ध नवीन तकनीक के साधनों की जानकारी एवं साधनों की उपलब्धता तथा उन पर होने वाले व्यय को मध्य नजर रखते हुए, अपने नागरिक सुरक्षा नगरों में विभिन्न साधन उपलब्ध कराती है, जो निम्नानुसार है:-

टेलीफोन :-

- बाहरी संचार व्यवस्था के तहत वायु सेना नियंत्रण कक्ष को रीजनल सिविल डिफेन्स कन्ट्रोल सेन्टर तक एक टेलीफोन नॉन एक्सचैन्ज लाईन से जोडा जाता है।
- आर.सी.डी.सी.सी से टी.सी.डी.सी.सी. तक व आगे एस.सी.डी.सी.सी. तक चेतावनी देने हेतु टेलीफोन की एन.ई. लाईन द्वारा विशेष सुविधा 'कान्फ्रेस कॉल फेसेलिटी' प्रदत्त की जाती है।
- टेलीफोन द्वारा ही शहर में विशेष अधिकारियों/वार्डन पोस्टों, कार्यालयों को एक साथ चेतावनी सूचना देने की सुविधा "साइमलटेनियस ब्रॉड कास्ट फैसेलिटी" द्वारा प्रदत्त कराई जाती है।

वायरलैस :- नागरिक सुरक्षा संचार व्यवस्था को सुदृढ बनाये रखने के लिए भारत सरकार ने राज्यों में नागरिक सुरक्षा नेट पर वायरलैस उपलब्ध कराये हैं ताकि टेलीफोन लाईन में खराबी आने पर वायरलैस से सूचना दी जा सके और निर्धारित कार्य समय पर पूर्ण हो, सुनिश्चित किया जा सके।

मोटरसाईकिल :- आउट डोर संदेश स्थानीय स्तर पर भिजवाने हेतु उपरोक्त दोनो व्यवस्थायें ठप्प होने की स्थिति में नियंत्रण कक्ष से मोटर साईकिल द्वारा संदेश भेजे जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आपात समय में परिवहन विभाग से आवश्यकतानुसार वाहन की मांग की जाती है।

6.5 चेतावनी प्रणाली के संदेश - नागरिक सुरक्षा में समय की बचत के लिए एवं संदेश की एक रूपता बनाये रखने के लिए संचार साधनों पर सीमित शब्दों के संदेश प्रसारित किये जाते हैं। ये निम्नानुसार है :-

हवाई हमला चेतावनी संदेश	कार्यवाही	किसके लिए होगा
"पीला"	तैयारी संदेश	केवल संबंधित अधिकारियों को दिया जाना है।
"लाल"	खतरे का संदेश	आमजन एवं सभी अधिकारियों को
"हरा"	खतरा टलने का संदेश	आमजन एवं सभी अधिकारियों को
"सफेद"	हवाई हमला चेतावनी संदेशों को निरस्त करना	जिन्हें पीला संदेश की सूचना दी गयी उनको दी जानी है

7. वार्डन सेवा (Warden Service)

7.1 वार्डन सेवा संगठन – वार्डन सेवा नागरिक सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी का कार्य करती है। जिले में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों में से योग्यता/वरिष्ठता के आधार पर उसी क्षेत्र के निवासी जो शारीरिक व मानसिक रूप से फिट/स्वस्थ हो व जिनके विरुद्ध किसी भी माननीय न्यायालय में अपराधिक मामले दर्ज/विचाराधीन नहीं हों, को संबंधित नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत प्रावधानानुसार वार्डनों (अवैतनिक ऑनरेरी पदाधिकारी) का चयन किया जाता है। नागरिक सुरक्षा संगठन में उपलब्ध स्वयंसेवकों में से ही वरिष्ठता/योग्यता के आधार पर वार्डनों का चयन प्रथम 03 वर्ष या उसकी नागरिक सुरक्षा सदस्यता पूर्ण होने (जो भी पहले हो) तक संबंधित नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा द्वारा किया जाता है। उक्त वार्डनों के कार्य मूल्यांकन के आधार पर, यदि नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा उचित समझे तो उनकी नागरिक सुरक्षा सदस्यता का अगले 03 वर्ष के लिए नवीनीकरण करते हुए, उसे पुनः नागरिक सुरक्षा वार्डन नियुक्त कर सकता है। युद्ध/आपदा की स्थिति में नुकसान को कम से कम करने, स्थानीय लोगों को नागरिक सुरक्षा व आपदा प्रबन्धन कार्यों में जागरूक करने व उन्हें नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक बनने के लिए प्रेरित करने, उनका मनोबल बनाये रखने एवं क्षेत्र में नागरिक सुरक्षा कार्यों को प्रभावी बनाये रखने इत्यादि को देखते हुए नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम एवं रिवेंपिंग ऑफ सिविल डिफेन्स पॉलिसी के तहत भारत सरकार द्वारा गठित सलाहकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर निम्नानुसार वार्डनों को मनोनयन किया जाता है :-

क्र.सं.	वार्डन पदनाम	जनसंख्या/अन्य आधार	
		नगरीय क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
1.	मुख्य वार्डन	जिलास्तर पर 01	
2.	अतिरिक्त मुख्य वार्डन		
3.	उप मुख्य वार्डन	जिलास्तर पर 02 (01 उप मुख्य वार्डन शहरी क्षेत्र व 01 उप मुख्य वार्डन ग्रामीण क्षेत्र)	
4.	डिवीजनल वार्डन	02 लाख जनसंख्या पर 01	उपखण्ड स्तर पर 01
5.	डिप्टी डिवीजनल वार्डन	02 लाख जनसंख्या पर 01	उपखण्ड स्तर पर 01
6.	पोस्ट वार्डन	20000 जनसंख्या पर 01	05 ग्राम पंचायतों (आवश्यकतानुसार) पर 01
7.	डिप्टी पोस्ट वार्डन	20000 जनसंख्या पर 01	05 ग्राम पंचायतों (आवश्यकतानुसार) पर 01
8.	सेक्टर वार्डन	4000 जनसंख्या पर 02	प्रति ग्राम पंचायत 02
उक्त वार्डनों में से आवश्यकतानुसार प्रति 50000 की जनसंख्या के आधार पर उपलब्ध वार्डनों में से ही 01 घटना अधिकारी मनोनीत किया जा सकेगा।			

7.2 **वार्डन के कर्तव्य** – वार्डन अपने क्षेत्र का परिचित, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। वार्डन के कर्तव्य व कार्यों के मध्येनजर सोच समझ कर प्रभावशाली व्यक्ति का चयन वार्डन के लिए किया जाता है। वार्डन अपने व्यक्तिगत के प्रभाव से स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करता है। वार्डन का कार्य क्षेत्र नियमानुसार है :-

हवाई हमले/आपदा से पहले कार्य	हवाई हमले/आपदा के दौरान के कार्य	हवाई हमले/आपदा के बाद कार्य
<p>वार्डन अपने क्षेत्र की दिन के समय के लिए एवं रात्रि के समय के लिए सम्पूर्ण जानकारी रखता है।</p> <p>वार्डन अपने क्षेत्र के सभी परिवार जन की सम्पूर्ण जानकारी रखता है तथा एक हाउस होल्ड, रजिस्टर तैयार करता है।</p> <p>वार्डन आपदा के समय नागरिक सुरक्षा नागरिक सुरक्षा उपायो के लिए विभिन्न स्थानों की जानकारी रखते हुए उनको वार्डन डायरी में लिखकर रिकॉर्ड तैयार रखता है।</p> <p>वार्डन अपने क्षेत्र के लिए नागरिक सुरक्षा सेवाओं में स्वयं सेवक प्रशिक्षित करने के लिए क्षेत्र के लोगो को प्रेरित करता है।</p> <p>वार्डन अपने अधीन गृह अग्निशमन दल के लिए स्वयं सेवको का चयन कर उनको नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित करता है, नामों की सूची बनाकर प्रशिक्षण अधिकारी को देता है।</p> <p>वार्डन आमजन को किसी भी आपदा से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा उपायो की जानकारी विस्तृत से समय-समय पर देता है।</p> <p>वार्डन अपने क्षेत्र में प्रशासन की सहायता पहुंचने से पूर्व कार्य प्रारम्भ करने हेतु "सैल्फ हैल्प पार्टी" तैयार करता है।</p>	<p>वार्डन नियन्त्रण कक्ष से सूचना पर अपने क्षेत्र में स्थित वार्डन पोस्ट पर अपनी उपस्थिति देता है।</p> <p>वार्डन अपने साज सामान से लैस होकर नागरिको को अपने क्षेत्र में सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह सहायको की मदद से देता है।</p> <p>वार्डन अपने क्षेत्र में सायरन नहीं सुनाई दिये जाने की स्थिति में अन्य साधनो से तदनुसार जानकारी देने का काम करता है।</p> <p>घटना स्थल पर नियन्त्रण के दौरान कार्य कर रहे विभिन्न दलों को कार्य क्षेत्र की जानकारी देने का कार्य, अधिकारियों व आमजन के मध्य सभी उचित सम्पर्क रखने का कार्य करते हैं।</p>	<p>वार्डन हवाई हमले के तुरन्त बाद क्षेत्र का दौरा कर विस्तृत जानकारी लेता है।</p> <p>वार्डन अपने क्षेत्र में उपलब्ध/कार्यरत नागरिक सुरक्षा की राहत सेवाओं/अन्य बचाव दलों की जानकारी लेता है।</p> <p>वार्डन घटना के बाद आमजन में फैले आतंक को रोकने व स्थानीय लोगों में आश्वासन व धैर्य बनाये रखता है।</p> <p>वार्डन अपने क्षेत्र की आवश्यक सेवाओं में आई रूकावटों को यथा संभव शीघ्र चालू कराने की कार्यवाही करता है।</p> <p>वार्डन निरंतर नियन्त्रण कक्ष के सम्पर्क में रहता है।</p>

8. **अग्निशमन सेवा (Fire Service)** – हवाई हमलों के दौरान अग्नि दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इस स्थिति से निपटने के लिए निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा का गठन किया गया है।

8.1 **गृह अग्निशमन दल (House Fire Party)** – आग लगने की स्थिति में आग को प्रारंभिक स्थिति में ही नियंत्रण किये जाने के लिए स्थानीय लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। इसके लिए नागरिक सुरक्षा गृह अग्निशमन दलों का गठन किये जाने का प्रावधान है जिसमें प्रति 1000 जनसंख्या पर एक 04 सदस्यीय नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के गृह अग्निशमन दल

का गठन किया जावेगा, जो आग को बढ़ने से रोकने में सहायक होगा। ये दल उस क्षेत्र के नागरिक सुरक्षा वार्डन के अधीन कार्य करेंगे। इसके लिए उनको आवश्यकतानुसार अग्निशामक उपकरण उपलब्ध करवाये जावेंगे।

8.2 **ट्रेलर पंप पार्टी** – छोटी जगह पर अग्निशमन कार्य हेतु नागरिक सुरक्षा में प्रति 50,000 की जनसंख्या के आधार पर एक 09 सदस्यीय ट्रेलर पंप पार्टी का गठन किया जावेगा, जिसमें निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा के 09 स्वयंसेवक सदस्य होते हैं – लीडर – 01, फायरमैन – 06, वाहन चालक – 01 एवं संदेशवाहक – 01 इत्यादि।

8.3 नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा – बड़ी आग पर नियन्त्रण के लिए जिले में नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा के साथ ही नगरीय निकाय की फायर-बिग्रेड कार्यरत हैं।

9. **प्रशिक्षण सेवा (Training Service)**—किसी भी प्रकार के कार्य योजना की सफलता क्रियात्मक रूप तभी ले सकती है जब उन योजनाओं पर कार्य करने वाले व्यक्ति विधिवत प्रशिक्षित/जानकारी प्राप्त किये हुए हों। नागरिक सुरक्षा कार्यों में कुछ कार्य तकनीकी आधार पर सम्पादित किये जाते हैं, जैसे अग्निशमन, बचाव कार्य, घटना स्थल पर सर्वेक्षण दल का कार्य, प्राथमिक चिकित्सा दल का कार्य, संचार इत्यादि। नागरिक सुरक्षा सेवाओं के अन्तर्गत जनता के हित में जनता के द्वारा होने वाले कार्य में आपसी समन्वय, अनुशासन एवं राष्ट्रीय भावना की आवश्यकता होती है। नागरिक सुरक्षा में संबंधित क्षेत्र इच्छुक सेवा भावी एवं कुछ तकनीकी जानकार व्यक्तियों का चयन कर उन्हें नागरिक सुरक्षा का बुनियादी व सेवा प्रशिक्षण दिया जाता है।

9.1 नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य

- नागरिक सुरक्षा सेवाओं के लिए आम जन में सही सेवाभावी व्यक्तियों का चयन करना।
- चयनित आम जन को शान्तिकाल एवं युद्ध के समय नागरिक सुरक्षा कार्यों का विस्तृत प्रशिक्षण देकर स्वयंसेवक चिन्हित करना।
- स्वयंसेवकों को उनके कर्तव्यों व जिम्मेदारियों की जानकारी देना।
- स्वयंसेवकों द्वारा आम जनता में अपेक्षित अनुशासन, संगठन की भावना उत्पन्न कराना ताकि नागरिक, नागरिक-सुरक्षा के लिए सदस्य के रूप में सामंजस्य से काम कर सकें।
- प्रशिक्षण कार्यों को शान्ति काल में उपयोगी बनाना ताकि आमजन अच्छे नागरिक के साथ-साथ नागरिक सुरक्षा के लिए स्वयंसेवक भी बन सकें।
- स्वयंसेवकों को कर्तव्य निभाने के लिए अभ्यास कराना, तकनीकी जानकारी देना एवं नागरिक सुरक्षा की प्रक्रिया समझाना।
- स्वयंसेवकों की सहायता से नागरिकों में जन-जन तक स्वयं की सुरक्षा की जानकारी फैलाना।

9.2 प्रशिक्षण की नीति

जिला/नागरिक सुरक्षा ईकाइ स्तर पर	राज्य स्तर पर	राष्ट्रीय स्तर पर
बुनियादी प्रशिक्षण सेवा प्रशिक्षण सयुक्त प्रशिक्षण	<ul style="list-style-type: none"> ● नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राज. जयपुर ● हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, राज. जयपुर 	<ul style="list-style-type: none"> ● राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय/राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, नागपुर ● केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, नागरिक सुरक्षा व गृह रक्षा, बैंगलोर ● राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान (NIDM), दिल्ली
<p>नॉट :- इसके साथ ही पुनश्चर्या प्रशिक्षण भी प्रतिपादित होना आवश्यक है ताकि नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक पहले प्राप्त प्रशिक्षण को भूले नहीं व नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबन्धन संबंधित कार्यों का अपडेशन हो सके।</p>		

10. **हताहत (चिकित्सा) सेवा (Casualty Service)** – हवाई हमले/आपदा व विपदा की स्थिति में जनता का मनोबल बनाये रखने के लिए हताहतों को तुरन्त चिकित्सा सहायता के तहत प्राथमिक उपचार देना, उन्हें नजदीकी अस्पताल भिजवाना, उनके परिवार को जानकारी देना व हताहतों का मनोबल बनाये रखना अतिआवश्यक है। इसके नागरिक सुरक्षा संगठन में चिकित्सा सेवा (हताहत सेवा) का गठन किया गया है। नागरिक सुरक्षा हताहत सेवा निम्नानुसार कार्य करती है :-

10.1 **स्थाई प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट** – नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार प्रथम दो लाख के लिए 20,000 जनसंख्या पर 01 पोस्ट के हिसाब से व दो लाख से अधिक आबादी की स्थिति में प्रति 40,000 जनसंख्या पर 01 पोस्ट के हिसाब से स्थाई प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट बनायी जावेगी। उक्तानुसार प्रति पोस्ट पर प्रति पारी के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामित निम्नानुसार निर्धारित स्टाफ निम्नानुसार होगा :- डॉक्टर – 01, नर्स – 01, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की 04 सदस्यीय प्राथमिक उपचार दल – 03, लिपिक – 01, सफाईकर्मी – 01 एवं संदेशवाहक – 01 इत्यादि होगा।

10.2 **प्राथमिक चिकित्सा दल (नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक)** – नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार तीन दल प्रति स्थाई फस्ट एड पोस्ट के आधार पर (एक दल प्रति शिफ्ट हेतु) गठन किया जाता है। नागरिक सुरक्षा प्राथमिक उपचार दल के सदस्य – लीडर – 01, प्राथमिक उपचार कर्ता – 03, वाहन चालक – 01 मय एम्बूलेंस के गठित किया जावेगा।

10.3 **मोबाईल प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट** :- नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार प्रति 06 लाख की जनसंख्या के आधार/आवश्यकतानुसार 01 मोबाईल प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट गठित की जा सकेंगी। उक्तानुसार प्रति पोस्ट पर प्रति पारी के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामित निम्नानुसार निर्धारित स्टाफ निम्नानुसार होगा :- डॉक्टर – 01, नर्स – 01, प्राथमिक उपचारकर्ता – 01, वाहन चालक – 01 एवं सफाईकर्मी – 01 इत्यादि होगा।

10.4 **अस्पताल सेवायें** :-आपातकाल में घायलों को सही समय पर उच्चस्तरीय इलाज देना आवश्यक हो जाता है। नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार प्रति 750 नागरिक सुरक्षा व्यक्ति के लिए एक बिस्तर के अनुसार योजना बनायी जावेगी।

11. **बचाव सेवा (Rescue Service)** – मानवीकृत/प्राकृतिक आपदाओं व हवाई हमलों की स्थिति में क्षतिग्रस्त/ध्वस्त हुए भवनों में फंसे/मलबे में दबे हताहतों को खोज व बचाव के तरीकों से बाहर निकालने तथा उनमें से कीमती सामान को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर रखने इत्यादि कार्य किया जाता हैं।

11.1 **बचाव कार्य** – हवाई हमले एवं अन्य आपदाओं के दौरान क्षतिग्रस्त भवनों में बचाव कार्य उक्त भवनों तकनीकी (भवनों की बनावट से सम्बन्धित) पर निर्भर है। उक्त भवनों से बचाव कार्यों के दौरान राज्य का सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास निर्माण से संबंधित इंजीनियर, लेबर एवं भारी मशीनरी की सेवायें अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। अतः नागरिक सुरक्षा बचाव सेवा के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिले में उपलब्ध अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता को इस सेवा को प्रभारी बनाया जाना चाहिए। नागरिक सुरक्षा बचाव दल के स्वयंसेवक सदस्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की देख रेख में प्रभावी बचाव कार्यों को करने में सक्षम हैं।

11.2 **बचाव दल का गठन** – जिले में बाहरी बचाव दलों के घटना स्थल पर पहुंचने से पूर्व स्थानीय स्तर पर किये जाने वाले खोज व बचाव कार्यों के लिए, प्रति 50,000 की जनसंख्या के आधार पर आपदा व बचाव कार्यों में प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के एक 08 सदस्यीय बचाव दल का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे – लीडर –01, बचाव कर्ता –06, वाहन चालक – 01 मय वाहन इत्यादि।

12. **निस्तारण सेवा (Salvage Service)** – नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य जान माल के नुकसान को कम से कम होने देना है। इसमें सफलता तभी मिलेगी जब दुर्घटना के बाद लावारिस सामान/वस्तुओं को उपयोगी जानकर संगठन के दल द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेकर सुरक्षित रख लिया जावे।

हवाई हमले/आपदा की स्थिति में, सूचना के बाद कई परिवार अपने घरों को बन्द कर अन्यत्र चले जाते हैं। हवाई हमले/आपदाओं की स्थिति में से कई मकान ध्वस्त हो जाते हैं व मकानों में रहने वाले घायल हो जाते हैं। घायलों को अस्पताल भेज दिये जाते हैं। कई मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। दुर्घटना क्षेत्र के परिवारों के रिश्तेदार समय की नाजुकता के कारण दुर्घटना स्थल पर नहीं जा सकते हैं। ऐसे में मकान बन्द व सूने रहते हैं। उन्हे बिना सुरक्षा के छोड़ने से असामाजिक तत्वों को अपना कार्य करने का मौका मिल सकता है। नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा आपदा के समय इस समस्या से निपटने के लिए पूर्व में ही प्रबन्धन करने के लिए, निस्तारण सेवा का गठन किया जाता है। इसका मुख्य कार्य नामांकित सदस्यों की सहायता से लावारिस सामान को अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखवाना है।

12.1 निस्तारण सेवा के कर्तव्य :- हवाई हमले तथा आपदा/विपदा एवं घटना/दुर्घटना की स्थिति में क्षतिग्रस्त भवनों में दबे/लावारिस सामान/वस्तुओं को उपयोगी जानकर संगठन के दल द्वारा जिला प्रशासन की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा जावेगा। निस्तारण सेवा के मुख्य कर्तव्य निम्नानुसार हैं :-

- सूने, ध्वस्त, क्षतिग्रस्त मकान जिनके मालिक मौजूद नहीं हैं, उन मकानों में से कीमती, उपयोगी वस्तुओं को सुरक्षित निकालना।
- अभिरक्षित वस्तुओं का उचित सुरक्षित भण्डारण करना।
- प्राप्त की गई वस्तुओं का स्पष्ट लेखा जोखा रखना।
- मालिक/वारिस की उचित पहचान के बाद नियमानुसार वापिस सामान को सुपुर्द करना।

नोट :- घटना स्थल से प्राप्त कीमती सामान को जिला प्रशासन द्वारा राजकीय कोष या अन्यत्र अभिरक्षा में रखे जाने की समुचित व्यवस्था की जावेगी।

13. पूर्ति सेवा (Supply Service) — नागरिक सुरक्षा संगठन की क्रियाएँ, प्रक्रियाएँ आपातकालीन समय में कई दिशाओं में भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए होती हैं, जैसे —आगजनी, मलबे में फंसे व्यक्तियों को निकालना, घायलों का प्राथमिक उपचार करना, हवाई हमले की सूचनाएँ देना, बेघर लोगों को राहत प्रदान करना आदि। इन कार्यों के लिए विभिन्न तकनीकी/साधारण सामान आदि की आवश्यकता होती है, जिनके प्रबन्धन की योजना पहले से ही तैयार करना आवश्यक है। इसके साथ ही बेघर लोगों के लिए स्थापित आश्रय स्थलों पर खाने-पीने के सामान की भी पूर्ति करना होता है। इसके लिए जिले में जिला रसद अधिकारी को नागरिक सुरक्षा पूर्ति सेवा का प्रभारी बनाया जाना उचित होगा।

14. डिपो एवं परिवहन सेवा (Depot & Transport Service)

14.1 डिपो सेवा — हवाई हमले/आपदा व विपदा की स्थिति में घटना स्थल पर नियंत्रण व तत्काल नागरिक सुरक्षा की सेवाओं को भेजे जाने के लिए उक्त सेवाओं को मय आवश्यक उपकरण व वाहनों के किसी एक निश्चित स्थान पर एकत्रित रखना, जहाँ से नियंत्रक (जिला

कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के निर्देशानुसार घटना स्थलों पर भिजवाना होता है, इसके लिए प्रति 06 लाख की जनसंख्या/प्रति उपखण्ड स्तर पर 01 नागरिक सुरक्षा डिपो बनाया जावेगा। डिपो में नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक तीन पारियों में उपलब्ध रहते हैं, जहां उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। स्वयंसेवकों के लिए सेवा वार उपकरण रखने की पर्याप्त व्यवस्था कराई जाती है। स्वयंसेवकों के मनोरंजन के लिए कुछ साधनों की व्यवस्था कराई जाती है। साथ ही स्वयंसेवकों को घटना स्थल तक लाने के लिए समुचित वाहन डिपो में रहते हैं। डिपो के स्थान का चयन करते समय यह ध्यान में रखा जाता है कि दुश्मन राष्ट्र के हमले के लिए टारगेट, आपदा से प्रभावित क्षेत्र, महत्वपूर्ण संस्थाओं के आस-पास डिपो स्थापित नहीं किया जावे।

डिपो में उपलब्ध सेवाएँ – घटना पर तुरन्त नियन्त्रण करने हेतु विभिन्न कार्यों के दक्ष स्वयंसेवक सेवा वार डिपो में तीन पारी में उपलब्ध रहते हैं। डिपो में रहने वाली सेवाएँ निम्नानुसार हैं।

- प्राथमिक चिकित्सा दल मय वाहन
- बचाव दल मय वाहन
- अग्निषमन सेवा
- मोबाइल कैन्टीन सेवा
- मृतक निवारण दल मय वाहन
- साल्वेज टीम मय वाहन
- मोबाइल फर्स्ट एड पोस्ट मय वाहन
- स्थाई प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के वाहन मय वाहन चालक
- घटना नियन्त्रण अधिकारी
- डिपो स्टॉफ
- यातायात सेवा का स्टॉफ
- सभी सेवाओं के लिए मैसिंग स्टॉफ

14.2 ट्रान्सपोर्ट सेवा – नागरिक सुरक्षा सेवाओं की कार्य कुशलता एवं गति युद्ध/आपदा के दौरान स्वयंसेवकों को तुरन्त घटना स्थल पर जनता की सहायता के लिए पहुंचने पर निर्भर करती है। यह कार्य उचित यातायात साधनों से संभव है। नागरिक सुरक्षा में ट्रान्सपोर्ट सेवा का गठन नागरिक सुरक्षा सेवाओं को समय पर वांछित भरोसेमन्द वाहन उपलब्ध कराने हेतु किया गया है। ट्रान्सपोर्ट सेवा के मुख्य कार्य :-

- नागरिक सुरक्षा के कार्यों हेतु विभिन्न प्रकार के वांछित वाहन उपलब्ध कराना।
- सभी उपलब्ध वाहनों को दुरुस्त रखना।
- सभी वाहनों में ऑयल, डीजल की नियन्त्रित व्यवस्था रखना।
- सभी वाहनों का नियमानुसार बीमा करवाना।

- वाहनों की मरम्मत का कार्य सही समय पर करवाना।
- वाहनों के आवगमन का रिकॉर्ड रखना।
- सेवाओं की आवश्यकतानुसार यदि वांछित वाहन उपलब्ध नहीं है तो नियमानुसार ढाँचे में अस्थाई परिवर्तन करना।
- इस प्रकार के वाहन प्राप्त करना जिनके मालिक अधिक से अधिक राष्ट्र सेवा हेतु योगदान देने को तत्पर है।

15. मृतक निपटान सेवा (Corpse Disposal Service) – हवाई हमलों/आपदाओं में कभी-कभी दुर्घटना स्थल पर अधिक संख्या में व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। घटना के समय व्यक्ति अपने बचाव के लिए चिन्तित रहते हैं व मृतकों को छोड़ अन्यत्र चले जाते हैं। जिला प्रशासन व नागरिक सुरक्षा सेवाओं के सामने मृतकों के मिलने के दो कारण होते हैं—

- सीधे दुर्घटना की चपेट में सम्पूर्ण क्षेत्र का आ जाना।
- घटना के बाद व्यक्तियों का अपने बचाव के लिए दुर्घटना स्थल से सब कुछ छोड़कर चले जाना। इससे दुर्घटना स्थल के आसपास बच्चे, अपाहिज व्यक्ति, अशक्त वृद्ध रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में जनता का मनोबल कम होने की पूर्ण संभावनायें रहती हैं और महामारी फैलने का अन्देशा रहता है।

मृतकों की पहचान एक बड़ी समस्या है, जिसके मुख्य कारण शरीर का विकृत होना, शरीर जल जाना, कुचल जाना, मलवे में दबा होना, बन्द मकान में अधिक समय तक रह जाना, मृतक का अन्य क्षेत्र से आकर वहां रहना आदि। ऐसे में सभी मृतकों की पहचान न होने के बाद भी अपने प्रयासों से धर्म निर्धारण कर धर्मानुसार अन्तिम संस्कार करना इस सेवा का मुख्य कार्य है। उक्त स्थिति से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा संगठन में घटना स्थल पर मृतकों के निवारण हेतु “मृतक निवारण सेवा” गठित की गई है। इस सेवा के कर्तव्य निम्नानुसार है :-

- घटना स्थल पर पूछताछ कर मृतकों की तत्काल पहचान करने का प्रयास करना।
- मृतकों का पंचनामा तैयार करवाना।
- प्रत्येक मृतक शरीर से मूल्यवान/पहचान के लिए आवश्यक वस्तु निकालकर उनका रिकॉर्ड रखते हुए संभाल कर रखना।
- प्रत्येक मृतक जिनके वारिस नहीं मिले की फोटो रिकॉर्ड में रखना।
- मृतक की पहचान के लिए निम्नानुसार बिन्दुसार रिपोर्ट रखना :-

(अ) शव किस स्थान से प्राप्त हुआ।

(ब) शव के वस्त्र का विवरण।

(स) मृतक के लिंग, आयु, शारीरिक पहचान के चिन्ह, मृतक का रंग, आंखों का रंग, ऊंचाई आदि का विवरण।

(य) मृतक की ऊंगलियों की छाप का रिकॉर्ड रखना।

(र) जिन मृतकों की पहचान नहीं की जा सकती है, के धर्म निर्धारण का विवरण।

16. **कल्याण सेवा(Welfare Service)** – आपदा/विपदाओं एवं हवाई हमले की स्थिति में प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता समय पर नहीं पहुंचने की स्थिति में आमजन अपने प्रशासन के प्रति विश्वास खोने लगता है और जनता के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लोग बेघर हो जाते हैं व उनका अपना सब कुछ नष्ट हो जाता है। परिवार के सदस्य बिछुड़ जाते हैं। इस प्रकार की महाविपतियों में पूरे समुदाय के जीवन को सामान्य बनाना ही प्रमुख कार्य रहता है ताकि आम जनता का मनोबल बना रहे। नागरिक सुरक्षा संगठन में इन कार्यों हेतु कल्याण सेवा का गठन किया गया है जिसके निम्नानुसार मुख्य कार्य है :-

- **सूचनाएँ एकत्रित करना** – प्रभावित लोगों की सही सूचना उनके संबंधियों देना अथवा आमजन में उपलब्ध कराई गई प्रशासनिक व्यवस्था की सूचना देना इत्यादि कार्य जिससे आमजन का मनोबल बना रहे।
- **बेघर लोगो का प्रबन्ध** – आश्रय स्थलों की स्थापना कर बेघर लोगों के रहने की व्यवस्था, उनके भोजन वस्त्रादि की व्यवस्था करना।
- **निष्क्रमण की स्थिति** – ऐसी स्थिति में जहां खतरे की दृष्टि से अधिक असुरक्षा है उस क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थान पर व्यवस्थित तरीके से ले जाने के लिए तथा मार्ग में गन्तव्य तक भोजन, पानी, औषधी, वस्त्र आदि तथा आवाजाही की सहायता प्रदान करना।

16.1 **कल्याण सेवा के कार्य**

(अ) **सूचना एवं प्रसार :-** सूचना केन्द्र को पूर्ण रूप से सूचित बनाये रखने के लिए स्थानीय पुलिस विभाग, थाने, चौकियों, अस्तपताल, वार्डन पोस्ट, फर्स्ट एड पोस्ट को निर्देश जारी कर संबधित क्षेत्र की पूर्ण जानकारी सुचना केन्द्र में उपलब्ध रखी जावेगी। सभी सूचना केन्द्र अपनी सूचनाएँ मुख्य सूचना केन्द्र को देंगे।

- हवाई हमले से पहले व बाद में नागरिक सुरक्षा द्वारा किये गये सभी प्रकार के कार्यों की व्यवस्था की जानकारी जनता में देना।
- हवाई हमले के बाद की सही स्थिति से जनता को अवगत कराना, घायल व मृतकों की जानकारी प्राप्त की सूची उपलब्ध रखना तथा जनता को जानकारी देते रहना।
- विभिन्न शिविरों तथा केन्द्रों की सूचना प्रसारित करना।

(ब) **प्रसारण वाहन** – आपातकाल में सूचनार्थ लेने-देने के कार्य त्वरित गति से किए जाने हेतु प्रत्येक सूचना केन्द्र पर प्रसार वाहन उपलब्ध कराया जावेगा।

(स) **आश्रय स्थल** – आपातकाल में बेघर लोगों के अस्थाई निवास हेतु शहर की शालाओं, धर्मशालाओं को नागरिक सुरक्षा कार्यों हेतु अधिग्रहित किया जाकर जनता के लिए सुविधा मुहैया कराई जाती है। जब बड़े पैमाने पर लोग घर छोड़कर जाने लगते हैं तो आश्रय स्थल की व्यवस्था करनी पड़ती है।

(द) **आपातकाल भोजन केन्द्र** – प्रत्येक केन्द्र पर इसके लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था बनाये रखने के लिए दुकानों/संस्थानों को चिन्हित किया गया है ताकि दुर्घटना स्थल पर

भोजन सामग्री की काला बाजरी मुनाफाखोरी रोकी जा सके। इसके अतिरिक्त आश्रय स्थल पर भोजन बनाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

(य) मोबाइल कैंटीन – दुर्घटना स्थल पर नागरिक सुरक्षा कार्य कर्ताओं व पीड़ित आमजन के लिए अस्थाई नाश्ते/भोजन के लिए मोबाइल कैंटीन की व्यवस्था कराई जावेगी। मोबाइल कैंटीन एक लाख जनसंख्या पर एक के हिसाब से उपलब्ध कराई जावेगी। इसके लिए निम्न स्टॉफ स्वयं सेवक उपलब्ध कराये जावेगे :-

सुपरवाइजर	–	1 प्रति कैंटीन
सहायक	–	3 प्रति कैंटीन
वाहन चालक	–	1 प्रति वाहन

(र) हाउसिंग एवं बिलेटिंग :- हाउसिंग एवं बिलेटिंग एक लाख जनसंख्या पर 01 से गणना कर संधारित किये जाते हैं।

ओवरसीयर (हाउसिंग ऑफिसर)	1 प्रति सैन्टर
लिपिक	1 प्रति सैन्टर
सन्देश वाहक	1 प्रति सैन्टर

(ल) आपातकालीन वस्त्रादि व्यवस्था – बेघर लोगों की शरण स्थल में मौसम के अनुसार सभी आयु वर्ग हेतु पहनने, ओढ़ने के लिए वस्त्रादि उपलब्ध कराने पड़ सकते हैं। अतः इस हेतु अभियान चलाया जाकर पर्याप्त वस्त्रादि उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाती है। साथ ही शान्तिकाल में स्वयंसेवी संस्थाएँ जो वस्त्रादि एकत्रित कर वितरण का कार्य करती हैं, का सहयोग पूर्णरूपेण लिया जावेगा।

भाग – IV

17. निष्क्रमण (Evacuation) – नागरिक सुरक्षा योजना का महत्वपूर्ण भाग निष्क्रमण 'Evacuation' है, जो कि अपने आप में एक सम्पूर्ण योजना है। निष्क्रमण की कार्यवाही अति आवश्यक होने पर ही की जानी चाहिए। आम जनता खतरे के स्थान से सुरक्षित स्थान की ओर मय कीमती सामान, पशु, वाहनों तथा परिवारजनों के साथ पहुंचना अथवा सरकार द्वारा सुव्यवस्थित तरीकों से पहुंचाना निष्क्रमण है। निष्क्रमण के प्रकार :- संकट से पहले व संकट से बाद।

17.1 संकट से पहले – संकट से पहले निष्क्रमण की सूचना शहर के जिन-जिन भागों से निष्क्रमण कराया जाना है जिला प्रशासन द्वारा इसकी सूचना वहां के निवासियों अवश्य दी जायेगी। प्रशासन द्वारा उस भाग में यह आदेश प्रसारित कराने होंगे कि किस भाग से, किस प्रकार, किस भाग के लिए निष्क्रमण किया जावेगा, वहाँ क्या-क्या सुविधाएँ उपलब्ध रहेंगी।

17.2 संकट के बाद – घटना घटित होने के बाद दुर्घटना की स्थिति अनुसार सम्बन्धित स्थान की निष्क्रमण योजना तत्काल बनाई जाकर प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

17.3 नियन्त्रक (कलक्टर) स्थिति को मध्ये नजर रखते हुए निर्णय करेंगे कि अमुक-अमुक स्थान से जन जीवन को अल्पावधि के लिए कैम्प में ले जाना होगा। उसके बाद नागरिक सुरक्षा से संबन्धित धाराओं का प्रयोग करते हुए नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत नागरिक सुरक्षा नियम 1968 की धारा 6 के अंतर्गत निष्क्रमण के आदेश प्रसारित करेंगे तभी कैम्प की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। कैम्प स्थल पर सामाजिक संस्थाएँ नियन्त्रक (जिला कलक्टर) की लिखित सहमति प्राप्त करने पर ही कार्य करने के लिए सक्षम होंगी। निष्क्रमण के समय आने वाली समस्याएँ निम्नानुसार हैं :-

- जनता को पता नहीं होता है कि पलायन किस ओर करना है।
- जनता घबराहट में भगदड़ मचाकर गलत, खतरनाक व बिना सुविधा वाले रास्तों पर जा सकती है, साथ ही आवश्यक सेवाओं के आने-जाने में अवरोधक बन सकती है।
- वे आमजन जो स्वयं के वाहनों से घर बार छोड़कर निकल जाते हैं जानकारी के अभाव में सही गन्तव्य तक नहीं पहुँच सकते, भगदड़ से पुलिस प्रशासन की दुविधा बढ़ती है। यातायात धीमी गति, अधिक भीड़ व तेज गति से चलने वाले वाहन व पशुओं द्वारा बाधक हो सकता है।
- असामाजिक तत्व बढ़ सकते हैं।
- सामाजिक परिवार जन आपस में बिछुड़ सकते हैं, विशेषतः बच्चों का गुम हो जाना।
- मूलभूत सुविधाओं की कमी होना व उसकी व्यवस्था करना।

17.4 **रास्ता** – निष्क्रमण कराने के लिए आमजन में पी.आर.ओ द्वारा माइक पर कैम्प स्थलों पर एकत्रित होने की सूचना दी जावेगी, ताकि आमजन को निष्क्रमण हेतु एक स्थान पर एकत्रित कर साधनों द्वारा गन्तव्य तक पहुँचाया जा सके। इसके लिए हवा के विपरीत दिशा वाला रास्ता अपनाया जाना चाहिये।

17.5 **चैक पॉइन्ट कार्य** – स्थानीय प्रशासन द्वारा निष्क्रमण की सूचनाएँ एकत्रित करने, सरकार को सूचनाएँ देने जिसमें वाहन मय जनता के अपने निर्दिष्ट की ओर बढ़ रहें हैं व किसी प्रकार की समस्या है/नहीं है आदि सूचना एकत्रित करने के लिए चैक पॉइन्ट बनाये जावेंगे। सभी चैक पॉइन्टों पर साधारण जल पान की दुकानों की व्यवस्था की जावेगी। मेडिकल सहायता प्रदान कराई जावेगी दवा की दुकानों की व्यवस्था की जावेगी। इसके लिए स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित किया जावेगा।

17.6 **प्रभारीगण** – कैम्प में एकत्रित स्थान से आमजन को प्रभारी निष्क्रमण वाहनों द्वारा/रेल द्वारा रवाना करेंगे। प्रभारीगण कैम्प स्थल का सम्पूर्ण लेखा जोखा रखेंगे। सूचना के लिए माइक बैटरी सहित, रात्रि में प्रकाश व्यवस्था, टैण्ट आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए जिला

प्रशासन/स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग प्राप्त कर करेंगे। कैम्प की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रभारी की होगी। उपरोक्त कैम्प अधिकारियों के कार्य क्रमवार निम्नांकित है :-

- **कैम्प कमान्डैन्ट** :- कैम्प की सम्पूर्ण व्यवस्था कैम्प कमान्डैन्ट करेंगे। वित्त व्यवस्था की जिम्मेदारी, उच्चाधिकारियों से तालमेल रखना।
- **डिप्टी कैम्प कमान्डैन्ट** :- कैम्प कमान्डैन्ट के आदेशों की पालना में कैम्प की सम्पूर्ण व्यवस्था योजना बनाना। कैम्प में जनता के रहने, सोने, खाने इत्यादि सुविधाओं की व्यवस्था योजना बनाना। कैम्प में जनता के रहने वालों की नामावली तैयार कर रिकार्ड संधारित करना, कैम्प के वाहनों की लॉग बुक का संधारण करना, उच्चाधिकारियों को सूचित रखना। इसके लिए दो नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक जिन्हें लिपिकीय कार्य आता हो, उपलब्ध रहेंगे। लिपिक कैम्प के सम्पूर्ण लिपिकीय कार्य करेंगे।
- **लेखाधिकारी** :- कैम्प के मद में होने वाले आय व्यय का सम्पूर्ण ब्यौरा रखना एवं समय-समय पर उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करना।
- **वैलफेयर व सप्लाई अधिकारी** :- कैम्प में रहने वालों की भोजन व्यवस्था, जल व्यवस्था, सूचना व्यवस्था, वस्त्र/बिस्तर व्यवस्था, कैम्प आवास के लिए प्रकाश की समुचित व्यवस्था मय अल्टरनेट व्यवस्था आदि कार्यों की जिम्मेदारी होगी। इनके कार्य क्षेत्र में कैम्प से संबंधित सामान की आवक व्यवस्था रखने, कैम्प में सभी को आवंटित होने के लिए भोजन के कार्ड एवं राशन प्राप्त करना आदि होंगे।
- **चिकित्सा सहायता** :- सी.एम.एच.ओ. द्वारा कैम्प स्थल के लिए एक फिजीशियन, एक कम्पाउन्डर व एक सहायक नर्स निरन्तर उपलब्ध कराए जायेंगे। कैम्प में प्राथमिक चिकित्सा दवाएं सदैव उपलब्ध रहेंगी।

17.7 **विधुत कार्य** – कैम्प स्थल पर विधुत से संबंधित कार्य विधुत विभाग को आवंटित होंगे। संबंधित विभाग के सहायक अभियन्ता कैम्प स्थल के विधुत प्रभारी रहेंगे। कैम्प स्थल के लिए एक जनरेटर प्रशासनिक/जन सहयोग से प्राप्त कर उपलब्ध रखा जावेगा।

17.8 **जलदाय** – कैम्प स्थल पर पीने एवं नहाने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जलदाय विभाग को दी जाकर पूरी कराई जावेगी। किसी भी आपातकाल स्थिति में जन जीवन के आक्रोश से बचने के लिए राष्ट्रीय हित में आवश्यकता को देखते हुए अधिक लोगों को शहर से बाहर ले जाना/भेजना/पलायन करना पड सकता है ऐसी स्थिति में कैम्प कमान्डैन्ट को कैम्प लगाने के लिए नियन्त्रक (जिला कलक्टर) द्वारा आदेश प्राप्त होंगे।

18. रिपेयर्स एण्ड डिमोलेशन्स – किसी भी स्थान पर हवाई हमलों अथवा अन्य मानवीकृत/प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अधिक संख्या में भवन क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इस प्रकार के क्षतिग्रस्त भवन अथवा क्षतिग्रस्त हिस्से यदि तुरन्त ठीक नहीं कराये जायें और उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाये, तो उनसे कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं, जो निम्नानुसार है :-

- अधूरे ढहे हुए मकान अथवा उनके हिस्से भी ढह सकते हैं, इससे आस-पास में जानमाल का अधिक नुकसान हो सकता है।
- क्षतिग्रस्त मकान जो मरम्मत से ठीक हो सकते हैं, यदि उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाये तो, अधिक समय बाद वे मरम्मत के योग्य नहीं रहेंगे।
- क्षतिग्रस्त मकान रेलवे लाइनों, व्यवस्त सड़कों अथवा अन्य आवश्यक सेवाओं के भवनों के आसपास हैं, तो उनके अचानक गिरने से यातायात व आवश्यक सेवायें बाधित होंगी और दुर्घटना हो सकती है।
- क्षतिग्रस्त मकान मरम्मत के अभाव में वैसे ही रहने दिया जाये, तो जन मानस में घटना की भयानकता का अहसास निरन्तर बना रहता है एवं उनके मनोबल पर विपरीत असर होता है। जन मानस अपने प्रशासन के प्रति विष्वास खोने लगते हैं तथा शत्रु की महता स्वीकार कर सकते हैं।

18.1 रिपेयर दल का गठन – उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए, सड़कों की मरम्मत, मलबा हटाने के लिए एवं क्षतिग्रस्त मकानों को गिराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग जिम्मेदार है कि वे अपने स्तर पर उपरोक्त कार्यों हेतु एक दल गठित कर उनके लिए आवश्यक साजो समान निर्धारण कर अपनी योजना नियन्त्रण (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा को भेजेंगे। इस दल में नागरिक सुरक्षा के सदस्य भी सम्मिलित होंगे। इस दल को निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्य प्रारम्भ करने होंगे ताकि कार्य व्यवस्थित रूप से शीघ्र सम्पन्न हो सके :-

- (क) क्षतिग्रस्त मकान (निजी/सरकारी/व्यावसायिक स्थान) की मरम्मत शीघ्रता शीघ्र कराना चाहिये। निजी मकान वाले अपने स्वयं के प्रयासों से मरम्मत करना चाहें और उन्हें रिपेयर मैटेरियल की आवश्यकता होवे तो उनकी मांग पर उन्हें सामान देना पड़ सकता है। सरकारी भवनों की मरम्मत हेतु अधिक मात्रा में सामान रिजर्व रखना होता है।
- (ख) रिपेयर दल केवल आवश्यक मरम्मत करेंगे, मकान में भीतरी सजावट अथवा कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं बनायेगें, यह बात विशेष ध्यान में रखी जानी चाहिए।
- (ग) मरम्मत तभी की जावेगी यदि :-

- क्षतिग्रस्त मकान का वास्तव में आवासीय उपयोग हेतु काम में लिया जाना है।
- क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत के बाद उसमें परिवार जन आवास हेतु आने वाले हैं।
- क्षतिग्रस्त मकान कम मरम्मत में रहने योग्य बन सके।

- क्षतिग्रस्त मकान के रहवासी मरम्मत भार नहीं उठा सकते हों तो मरम्मत की सहायता की जावेगी।
- निजी एवं व्यवसायिक मकानों की मरम्मत उनके मालिकों द्वारा शान्ति कालीन व्यवस्था में जैसे करवाते हैं वैसे ही कारवाई जावेगी।
- उनके गिरने से अन्य भवन, यातायात/रेलवे/अस्पताल प्रभावित होते हैं।

18.2 सड़कों की मरम्मत तथा मलबा हटाना – घटना स्थल के आस पास सड़क पुलिया, रेलवे पुल, रेलवे लाईन आदि क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इन स्थानों को पुनः आवागमन योग्य बनाने हेतु एक दल का गठन किया जावेगा। साथ ही सड़क/रास्तों पर एवं पुलियाओं/मकानों के गिरने से फैला हुआ मलबा भी हटाने का कार्य करेगा।

18.3 मकानों को गिराना – क्षतिग्रस्त मकान जो किसी भी प्रकार की मरम्मत के योग्य नहीं है व कभी भी अपने आप साथ वाले भवन/सड़क/रेल लाइन पर अचानक गिर कर अधिक हानि कर सकते हैं। इस प्रकार के मकानों से दुर्घटना के अन्य कारण भी बन सकते हैं। अतः इन्हें गिराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग एक दल बनाकर कार्य सम्पादित करवा जावेगा।

19. आवश्यक सेवाओं का रख रखाव – निम्नलिखित आवश्यक सेवाओं के विभागाधिकारियों द्वारा प्रत्येक के लिए मरम्मत दल नागरिक सुरक्षा नियन्त्रण कक्ष के लिए नामांकित कर आपात काल में उपलब्ध कराये जायेंगे।

- दूर संचार विभाग के बाहरी लाइन मैन।
- जलदाय विभाग के पाइप लाइन पर कार्य करने वाले।
- विद्युत विभाग के लाइन मरम्मत करने वाले।
- नगर निकाय द्वारा सफाई कर्मी।
- सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गठित रिपेयर दल।

19.1 पशुओं की देखभाल – आम दिनों में भी पशु आवारा घुमते रहते हैं तो हवाई हमला व अन्य आपदाओं की स्थिति में पशुओं की देखभाल पर अधिक ध्यान रखना होगा। आपदा/विपदा के बाद पशु घायल अवस्था/मृत अवस्था में मिल सकते हैं, पालतू पशु अपने बाड़े से निकल कर भागने लगते हैं, यहा तक कि आवारा पशु एवं जगली जानवर ज्यादा डरावनी आवाजें निकालकर, अपने बचाव के लिए बेतहाशा भागते हैं। इससे मनुष्यों के अधिक घायल होने का अन्देशा रहता है। पशु अपने बचाव के लिए हमला बोल सकते हैं। अतः नागरिक सुरक्षा योजना में पशु पालन विभाग द्वारा निम्नानुसार बिन्दुवार योजना बनाकर कार्य कराया जाना आवश्यक है :-

- आपातकाल में पशु नियंत्रण, दाना चारा नियन्त्रण व्यवस्था जिला पशु पालन विभाग की होगी।

- पशु पालन विभाग द्वारा शहर के सुरक्षित क्षेत्र में स्थान निश्चित कर दुधारू पशुओं के मालिकों को उन पशुओं को निश्चित स्थानों पर रखने की व्यवस्था के लिए आदेश प्रदान करेंगे।
- गम्भीर घायल जानवरों के इलाज की व्यवस्था करेंगे।
- मृत पशुओं का निपटान उचित विधि से करवायेंगे, ताकि महामारी नहीं फैल सके।
- आपातकाल में दवाओं की व्यवस्था, स्टोर रखने की व्यवस्था, कार्य के लिए आवश्यक सामान व उनकी भण्डारण की व्यवस्था, कर्मचारियों के कार्यों का बंटवारा कर उनको निर्दिष्ट करने की व्यवस्था इत्यादि जिला पशु पालन अधिकारी द्वारा शान्ति काल में योजना तैयार की जावेगी।
- पशुओं की देखभाल योजना बनाने में आपातकालीन समय में उपरोक्त बिन्दुओं पर क्रियान्वयन करने के लिए पशु पालन विभाग द्वारा अपने स्तर पर दलों का गठन करेगा। जिससे घायल जानवरों को चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकेगी व साथ ही मृतक पशुओं को हटाकर महामारी से बचाव किया जा सकेगा। इस हेतु नागरिक सुरक्षा विभाग जिला पशु पालन विभाग से योजना प्राप्त कर अपने पास रखेगा।

20. हवाई हमले की स्थिति में प्रकाश नियन्त्रण – इतिहास में पिछले युद्धों में देखने में आया है कि शत्रु द्वारा हवाई हमला ज्यादातर रात्रि में ही किये गये हैं। इसके मुख्य दो कारण हैं – पहला “रात्रि के अन्धकार में शत्रु के विमानों पर मार करना अत्यन्त कठिन कार्य होता है, इससे शत्रु को उद्देश्यपूर्ति के लिए समय मिल जाता है”। दूसरा “सांयकाल/रात्रिकाल में जनजीवन के भोजन/सोने का समय होता है। अतः दुश्मन राष्ट्र को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनजीवन को अधिक से अधिक अस्त-व्यस्त करने का अवसर मिल जाता है”। शत्रु राष्ट्र के विमानों को हमले करने से रोकने के लिए वायु सेना ने अपने अत्याधुनिक हथियार तैयार कर तैनात किये होते हैं फिर भी शत्रु अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए शहरी सीमा की ओर बढ़ते हुए बम वर्षा करने में सफल हो सकते हैं। शत्रु के विमानों को शहर की विधुत व्यवस्था उँचाई से उसके उद्देश्य बिन्दु (टारगेट) तक जाने में अधिक सहायक होती है। उपरोक्त कारणों के आधार पर एक राष्ट्र प्रकाश नियन्त्रण की व्यवस्था से दुश्मन राष्ट्र के उद्देश्यों की पूर्ति में बाधक बन सकता है। प्रकाश नियन्त्रण व्यवस्था को निम्नानुसार दो भागों में विभाजित किया गया है।

- सम्पूर्ण ब्लेक आउट करना जिसमें उँचाई से व नजदीक से बाहर किसी प्रकार की प्रकाश की प्रकाश किरणें दिखाई नहीं दें।
- प्रकाश की मात्रा वोल्टेज के नियन्त्रण से उसके फैलाव एवं चमक की रेट को कम किया जाना।

20.1 भवन की प्रकाश व्यवस्था

- भवन/घर की प्रकाश व्यवस्था घर से बाहर दिखाई नहीं देनी चाहिए।

- प्रकाश व्यवस्था के लिए खिड़कियों/दरवाजों पर जो काँच के होते हैं गहरे भूरे रंग के कागज लगाने चाहिए। गत्ते/अखबारों से भी ढक सकते हैं।
- भवन/घरों के बाहर छत पर बल्ब नहीं लगायें, की व्यवस्था होनी चाहिए।
- भवन/घरों में संध्या समय के बाद कम दर की विद्युत व्यवस्था की जानी चाहिए।
- भवनों/घरों में कार्य अधिक से अधिक संध्या पूर्व निपटा लेना चाहिए ताकि कम प्रकाश व्यवस्था माकूल बनी रहे।

20.2 सड़क पर प्रकाश व्यवस्था

- सड़क पर लगी लाइटों को कम बोल्टेज में फ़ैलाने की व्यवस्था।
- सड़क पर लगी ट्यूब लाइट आदि को कम संख्या में लगाकर व्यवस्था बनाये रखना।
- खम्भों पर लगे बल्ब/ट्यूब लाइट पर शैड का प्रयोग किया जाना चाहिए।

20.3 वाहनों की प्रकाश व्यवस्था

- चोपहिया वाहन :- किसी भी वाहन की सीधी रोशनी वाली लाइट के गिलास को दो भागों में उपर नीचे करते हुए निचले आधे हिस्से पर एक परत पतले भूरे पेपर की लगाना और उपरी आधे भाग पर दो पेपर भूरे लगाने चाहिए।
- रेलगाड़ी – रेल की हैड लाइट का एक तिहाई भाग भूरे पेपर से ढक कर कम दर की विद्युत का इस्तेमाल करना चाहिए। यात्रियों के डिब्बों में विद्युत व्यवस्था के लिए कम वोल्टेज के बल्ब प्रकाशित होना चाहिए। खिड़की के काँच गहरे भूरे कागज/ रंग से अपारदर्शी किये जाने चाहिए।
- दुपहिया/तिपहिया वाहनों की हैड लाइट एक तिहाई काले रंग की होनी चाहिए। बाजार में साइन बोर्ड की प्रकाश व्यवस्था को नियंत्रण में रखना आवश्यक है, इस हेतु स्थिति अनुसार नियंत्रक (कलक्टर) व्यवस्था बनाये रखेंगे।

भाग – V

21. रासायनिक युद्ध (Chemical Warfare) – रासायनिक युद्ध उत्प्रेरक रासायन के द्वारा फैलाया जाता है, जिसका सीधा हानिकारक प्रभाव मानव पेड़-पौधे जीव जन्तुओं पर पड़ता है। इसमें उच्च रासायनिक गैसों जैसे टैबुन सररीन, मस्टर्ड चौकिन, बायोबैन्जिल साइनाइट एवं अन्य विशैली गैसों का प्रयोग किया जाता है। इन गैसों के द्वारा शत्रु राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य जनता का मनोबल गिराना, कामदारों को अस्थाई रूप से विकलांग बनाना, पेड़ पौधों एवं जीव जन्तुओं को दूषित कर खाद्यान्न संकट पैदा करना आदि होता है।

21.1 रासायनिक गैसों का वर्गीकरण :- रासायनिक युद्ध में प्रयोग में लाई जाने वाले गैसों की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं

क्र.सं.	गैस	पहचान करने का तरीका	मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव
1.	<p>तांत्रिक</p> <ul style="list-style-type: none"> • टैबुन : सायनो फास्फोरिक अम्ल की संजात होती है रंगहीन अस्थिर द्रव के रूप में होती है। • सररीन : फ्लोओरो फॉस्फोरिक अम्ल की संजात होती है। रंगहीन, अस्थिर द्रव के रूप में होती है। 	<p>अत्यधिक मन्द फल जैसी गंध/सामान्यत गंध द्वारा पहचान नहीं होती पर रासायनिक परीक्षणों से पहचान हो जाती है।</p> <p>गंधहीन होती है, विशेष रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पहचान की जाती है।</p>	<p>देखने में परेशानी होती है। गला और छाती भारी हो जाती है। फेफड़े का शोफ होना (लंग ईडीमा), नीलापन पसीना आना, अतिसार, मृत्यु होना।</p>
2.	<p>व्रण गैस (बिलस्टर ग्रुप)</p> <ul style="list-style-type: none"> • मस्टर्ड गैस, तेलिय द्रव के रूप में होती है। गहरे भूरे से लेकर हलके पीले रंग की होती है रबर, चमड़े, कपड़े लकड़ी में छेद कर देती है, चिर स्थायी होती है। क्लोरिन (अर्थात् – विरंजक चूर्ण) (ब्लिचिंग पाउडर) द्वारा आसानी से निश्प्रभावित हो जाती है। • लेविसाइट (आर्सेनिक योग) : शुद्ध रूप में होने पर रंगहीन द्रव की तरह होती है पर अशुद्ध रूप में होने पर भूरे रंग की होती है। एक अदृश्य गैस छोड़ती है। अत्यधिक प्रभावशाली और चिर स्थायी होती है पर पानी और अम्लों द्वारा आसानी से समाप्त हो जाती है। 	<p>लहसून प्याज या मूली या सरसों की गंध के समान गंध होती है।</p> <p>जिरेनियम (फूलों) की गंध की तरह गंध होती है।</p>	<p>वाष्पन, प्रभाव, आंखे जलने लगती है और सूज जाती है त्वचा लाल हो जाती है और उस पर फफोले पड जाते है खॉसी उठती है आवाज नहीं निकलती और बाद में श्वसनी शोध (ब्रॉन्काइटिस) या न्यूमोनिया हो जाता है द्रव प्रभाव आंखों पर तत्काल किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पडता पर कुछ घण्टों में अति गंभीर लक्षण दिखाई पडने लगते है त्वचा दो घण्टे में लाल हो जाती है और फफोले 12 से 24 घण्टों में पडते है।</p> <p>वाष्पन : नाक, आंखों और फेफड़ों में क्षोभ उत्पन्न होता है। मस्टर गैस की तुलना में त्वचा को कम प्रभावित करती है।</p> <p>द्रव : आंखों पर तत्काल और गंभीर प्रभाव डालती है। मस्टर्ड गैस की तुलना में इससे त्वचा पर अधिक तेजी से फफोले उत्पन्न हो जाते हैं।</p>

<p>3.</p>	<p>श्वास रोधी गैसे</p> <ul style="list-style-type: none"> ● फॉस्जीन : प्राय : अदृश्य गैस होती है, धातुओं को संक्षारित करती है। चिरस्थायी नहीं होती। ● डाइफॉसजोन : रंगहीन द्रव्य के रूप में होती है। अर्द्धस्थायी होती है। ● युक्सोरीन : हरे रंग की गैस होती है, धातु को संक्षारित करती है, चिर स्थायी नहीं होती। ● क्लोरोपिक्रिन : रंगहीन होती है, वाष्पशील द्रव के रूप में होती है, अर्द्ध स्थायी रूप में होती है। 	<p>गीली घांस के सडने की गंध की तरह गंध होती है। धूम्रपान अरुचिकर हो जाता है।</p> <p>फॉस्जीन की तरह इसकी पहचान की जाती है।</p> <p>विरंजक चूर्ण (ब्लीचिंग पाउडर) की गंध की तरह गंध होती है।</p> <p>तीखी गंध होती है।</p>	<p>जीवन के लिए अत्याधिक हानिकारक होती है। पहले प्रभावों में खॉसी उठती है, आँसू निकलते रहते हैं, छाती में दर्द होता है, श्वसन में कठिनाई होती है। बाद में फुफ्फुस शोफ (पल्मोनरीईडीमा) हो जाता है। इसके प्रभाव 24 घण्टे में दिखाई पडने लगते हैं।</p> <p>फॉस्जीन की तरह प्रभावित करती है।</p> <p>इसके प्रभाव भी फॉस्जीन की तरह होते हैं पर अधिक होते हैं पर अधिक क्षोभ उत्पन्न करते हैं और कम जहरीलें होते हैं।</p> <p>इसके प्रभाव क्लोरीन की तरह होते हैं अधिक हानिकारक होते हैं।</p>
<p>4.</p>	<p>अश्रु गैस</p> <ul style="list-style-type: none"> ● के.एस.के : गहरे भूरे द्रव के रूपम मे होती है, गैसीय अवस्था मे अदृश्य होती है। चिर स्थायी होती है। ● बी.बी.सी. (ब्रोमोबेन्जिल सायनाइड) : पीले भूरे क्रिस्टलो मे शुद्ध रूप मे होती है। लेकिन सामान्यतः भरे द्रव मे चिरस्थायी रूप से प्रयोग मे लायी जाती है। ● सी.ए.पी (क्लोरिन फेनॉन) इसके रंगहीन क्रिस्टल होते हैं, गैसीय अवस्था मे अदृश्य होती है, चिरस्थायी नहीं होती । ● नासिका को प्रभावित करने वाली : डाइफेनाइल क्लोरसाइन (डी.ए) (डी.ए) (डी.एम.और डी.सी) सामान गैसे होती है। रंगहीन या चमकदार पीले क्रिस्टल होते हैं। गर्म किए जाने पर गंधहीन धुआ निकलता है। अदृश्य है, पास के स्थान को छोडकर, चिरस्थायी नहीं होती। 	<p>प्रभावो द्वारा पहचान की जाती है। फल जैसी गंध होती है</p> <p>प्रभावो द्वारा पहचान की जाती है। तीखी चुभने वाली गंध होती है।</p> <p>प्रभावों द्वारा पहचान की जाती है</p> <p>केवल प्रभावों द्वारा पहचान की जाती है</p>	<p>सी.ए.पी.(नीचे उल्लेख किया गया है) की तरह प्रभावित करती है पर त्वचा पर इसका प्रभाव नहीं होता।</p> <p>इसके प्रभाव उपर्युक्त के.एस.के.की तरह होते हैं (जीवन को किसी प्रकार का खतरा नहीं होता)।</p> <p>आंखों मे जलन होती है, त्वचा पर काफी मात्रा मे तत्काल और गहरा क्षोभ होता है।</p> <p>छीके आती है, जलन होती है और छाती, गले, नाक और मसूडों मे दर्द होता है। बाद मे मानसिक दबाव होता है। लेकिन 5 मिनट में ही इसके प्रभाव होते हैं।</p>

22. जैविक युद्ध (Biological Warfare) – जैविक युद्ध में किसी शत्रु के लोगों को उसके पालतू और अन्य पशुओं को मारने, उन्हें विकलांग बनाने या उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए या फसलों को नष्ट करने के लिए रोग उत्पन्न करने वाले जीवित रोगाणु या उनसे उत्पन्न होने वाले रोगाणु का सप्रयोजन प्रयोग किया जाता है। ये जीवाणु स्वतः ही कम समय में अधिकाधिक संख्या में उत्पन्न होते रहते हैं तथा महामारी का रूप ले लेते हैं।

22.1 जैव युद्ध का उद्देश्य :-

- मनोबल गिराने और आतंक फैलाने के लिए।
- चुने हुए लोगों जैसे औद्योगिक कामगारों आदि को विकलांग बनाने के लिए।
- लोगों पर किए जाने वाले सामान्य आक्रमण के एक भाग के रूप में।
- फसलों और पशुओं पर आक्रमण करके खाद्य पदार्थों की कमी उत्पन्न करने के लिए।

22.2 नागरिक सुरक्षा में जैव युद्ध से बचाव – किसी भी राष्ट्र में युद्ध के हमलों को रोकने का कार्य सेना द्वारा किया जाता है फिर भी तोड़फोड़ जैव युद्ध की आशंका के बचाव के लिए प्रत्येक नागरिक को सतर्क रहना आवश्यक है। नागरिक सुरक्षा द्वारा प्रशासन की सहायता से रोग फैलने के तरीकों एवं उनसे बचाव के तरीकों की जानकारी का कड़ाई से पालन नागरिक सुरक्षा कार्यों के माध्यम से कराई जावेगी। प्रशासन द्वारा चिकित्सा विभाग की सहायता से पानी खाद्य पदार्थों की जांच का कार्य समय-समय पर किया जाते हुए पुलिस और सेना की सहायता से साथ ही आमजन के सहयोग से पानी और खाद्य पदार्थों का रोगाणुओं से बचाव कराया जावेगा। पानी का जीवाणविक विश्लेषण बचाव में सहायक हो सकता है, साथ ही पानी का समुचित क्लोरीनीकरण भी कराना आवश्यक है।

22.3 जैविक युद्ध से सामान्य बचाव

- रोग का पता शीघ्रता से प्रारंभिक चरण में लगाना।
- आम जन को एक दूसरे के सम्पर्क में आने से रोकना।
- दूषित खाद्य पदार्थ, पानी के नमूनों की जाँच हेतु अतिरिक्त प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध कराना।
- सम्बन्धित रोग के टीकों की समुचित व्यवस्था करवाना तथा सूचना विभाग द्वारा टीके के प्रति सक्रियता जागृत करना।
- संक्रमणित फसलों व पशुओं को नष्ट करना।
- अस्पताल/प्राइवेट क्लिनिकों में रोगाणुओं को निष्प्रभावित करने हेतु पर्याप्त औषधियों का भण्डारण करवाना
- रोगाणु श्वॉस द्वारा त्वचा के सम्पर्क में आने पर एवं कीटों के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं इस रोगाणु रोधक “नासा पैड” प्रयोग में लाना।
- आश्रय स्थलों को समुचित प्रतिरोधक बनाना एवं दूषित वस्तुओं की सूची बताते हुए उनके प्रयोग पर प्रतिबन्ध की चेतावनी देना।

- चिकित्सा विभाग औषधियों के समुचित वितरण एवं भण्डारण के लिए योजना बना कर कार्यवाही करना।
- नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जानकारी के अनुसार वार्डन के माध्यम से जैव युद्ध एवं उसके बचाव की जानकारी आमजन तक पहुँचाने का कार्य करेगा।

22.4 जैव युद्ध से मनुष्य, पशुओं व पौधों तथा फसलों पर रोगाणुओं का प्रभाव

मनुष्य पर रोगाणुओं का प्रयोग	पशुओं पर रोगाणुओं का प्रयोग	पौधों और फसलों पर रोगाणुओं का प्रयोग
<p>जीवाणु :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● वैसीलस एन्थ्रेसिस (गिलटी) ● साल्मोनेला टाइफॉस (टाइफॉइड) ● पास्चुरेला पेस्टिस (प्लेग) ● थिब्रियो कॉमा (हैजा) <p>विषाणु (वाइरस) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● एन्फाल्यूएंजा विषाणु (एन्फ्यूएंजा) ● संक्रमी यकृत शोथ का विषाणु (पीलिया) (वाइरस ऑफ इन्फेक्टिव हेपाटाइटिस) ● मसूरी का विषाणु (चेचक) (वैरिऑला वाइरस) <p>रिकेट्टिसिया : रिकेट्टिसिया प्रीवेजकी (महामारीवाला टाइफस)</p> <p>जीवविश (टॉक्सिन) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● बॉटुलिन जीवविश (बाटुलिज्म) ● स्टेफिलोकॉकस जीवविश (अन्नविषाक्तता) 	<p>जीवाणु :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● वैसीलब एन्थ्रेसिस (गिलटी) ● ब्रुसेला गुप ब्रेसेलारूग्णता (ब्रेसेलोसिस) <p>विषाणु (वाइरस) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● मुख पाद रोग विषाणु ● पशुप्लेग विषाणु (कैंटल प्लेग) (रिडरपेस्ट वाइरस) 	<ul style="list-style-type: none"> ● हैलमिन्थोस्पोरियम ऑरिजेइ (चावल पर) ● पाइरिकुलेरिया ऑरिजेइ (चावल पर) ● कार्नीलैक्टीयरियम सेपेडॉनिकम (आलू पर)

23. **परमाणु युद्ध (Nuclear Warfare)** – परमाणु बम में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 की जब न्यटानों से बमबारी की जाती है तो उसमें से ऊष्मान गामा किरणों, एक्स किरणों और कौंध के रूप में दिखाई देने वाले प्रकाश के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में परमाणु निकलती हैं। तापमान लगभग दस मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जो अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु को वास्तव में पिघला देता है और कई मिलियन वायुमंडलीय दाब उत्पन्न करता है। परमाणु बम के विष्फोट से प्रकाश और ऊष्मा विकिरण, विष्फोट एवं तत्काल और विलंबित विकिरण इत्यादि प्रकट होते हैं।

23.1 **ऊष्मा के प्रभाव** – जब कोई न्यूक्लीय अस्त्र अधिस्फोटित होता है तो कुल ऊर्जा का 35 प्रतिशत तेज ऊष्मा और प्रकाश के रूप में निकलता है। यह ऊर्जा आग के गोले के रूप में निकलती है। किसी भी परमाणु बम ऊष्मा की लहर लगभग 1, 1/2 सैकंड तक रहती है पर बड़ी क्षति पहले आधे सैकंड के दौरान होती है। यह कौंध के रूप में होती है और इसकी गति प्रकाश की गति के समान होती है। ऊष्मा की लहर के बने रहने की अवधि अनुमाप विधि के अनुसार बढ़ती है। किसी 10 मेगाटन के बम से निकलने वाली ऊष्मा 20 सैकंड तक रहती है और इसके कारण बड़ी क्षति पहले 10 सैकंड के दौरान होती है।

23.2 **प्रारंभिक और द्वितीयक आग** – घटना स्थल के आसपास कुछ दूरी तक प्रत्येक वस्तु आग द्वारा पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। इससे लगभग 01 मील क्षेत्र में आग लग जाती है, जिसे प्रारंभिक आग के रूप में जाना जाता है। द्वितीयक आग की स्थिति में इमारतें गिरने, घरेलु आग लगने, गैस के पाइप फटने और बिजली के तार के शॉर्ट सर्किट हो जाने इत्यादि कारणों से आग लग जाती है।

23.3 **परमाणु बम के विष्फोट का प्रभाव** –

- इससे कुल ऊर्जा का 45 प्रतिशत विष्फोट झटके के रूप में होना।
- उक्त झटके दो चरणों में होते हैं – 1. दाब और 2. चूषण।
- इमारत का विष्फोट के झटके सहन करने का सामर्थ्य जिसमें इमारत की मजबूती, आकार और खुले भागों (दरवाजे व खिड़कियां आदि) पर निर्भर करता है।
- The effects of Nuclear explosion can conveniently be divided into followings: -
 - (a) Blast effect -45%
 - (b) Heat effect -35%
 - (c) Radiation effect -20% (5% Initial & 15% Residual Radiation)

Three Friends of Nuclear Warfare	Three Rules for Protection Against External Radiation	Three Rules to Prevent Intake of Radioactive Materials.	Effects on Human Body	Full Turnout Gear.
<ul style="list-style-type: none"> • Time • Distance • Radiation 	<ul style="list-style-type: none"> • Time - Keep exposure time as short as possible • Distance - Keep as far away as possible from the source • Source - Shield body from source wherever possible 	<ul style="list-style-type: none"> • Use B. A. (Breathing Apparatus) sets • Do not eat, drink & smoke in contaminated area • Withdraw from radiation area if you sustain open wounds 	<ul style="list-style-type: none"> • Radiation sickness • Delayed effects • Long term effects • Genetic effects 	<ul style="list-style-type: none"> • Helmet • B.A. (Breathing Apparatus) set. • Turnout coat. • Gloves. • Turnout paint. • Rubber boots. • Radiation Survey Meters. • Eye shield.

23.4 मनुष्य के शरीर पर विष्फोट के प्रभाव – मानव शरीर इमारतों की तुलना में दाब को अधिक शक्ति के साथ सहन कर सकता है, जिससे सीधे विष्फोट के कारण लोगों को अधिक चोट नहीं पहुंचेगी पर विष्फोट के अप्रत्यक्ष प्रभावों के कारण कई लोगों को चोट लगेगी, जैसे – इमारतें ढहना, मलवा गिरना, शीशे के टुकड़ों का उड़ना इत्यादि। इससे लगभग 02 मील के क्षेत्र में प्रभाव होंगे।

23.5 परमाणु युद्ध – विकिरण प्रभाव – जमीन पर या जमीन के निकट किसी भी परमाणु अस्त्र के अधिस्फोटित होने पर ऊपर उठने वाला आग का गोला जमीन से बहुत सारी मिट्टी और अन्य सामग्री अपने साथ ऊपर ले जाता है। यह समस्त सामग्री रेडियोधर्मी हो जाती है और किसी ऐसे बड़े क्षेत्र में गिरती है जिसके ऊपर छत्रक रुपी बादल चलते रहते हैं। रेडियोधर्मी सामग्री के गिरने से उसके बड़ी मात्रा में फैलने का खतरा उत्पन्न हो जाता है।

23.6 मनुष्यों पर विकिरणों का प्रभाव – परमाणु विकिरणें मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं को मारकर उसके शरीर को हानि पहुंचाती हैं। मनुष्य के समस्त शरीर पर होने वाले विकिरण के जैविक प्रभाव क्रमशः निम्नलिखित चार दशाओं में स्पष्ट हो जायेंगे :-

- विकिरण के कारण बीमार पड़ जाना – इसमें थकावट, मतली, अपाचन, भूख न लगना आदि इसके प्रारम्भिक लक्षण होते हैं जो उल्टी, अतिसार (दस्त की बीमारी) का रूप ले सकती है।
- विलंबित प्रभाव – त्वचा के नीचे रक्तस्राव होने के कारण रक्त के दाग उभर आने से शरीर से बालों का झड़ना जैसे विलंबित प्रभाव लगभग चार सप्ताह तक होते हैं।
- दीर्घकालिक हानियां – अरक्तता (अनीमिया), रक्त कैंसर, अस्थि या ऊतक विकिरण कैंसर और ट्यूमर इत्यादि जो सामान्यतः विकिरण होने के कई वर्ष बाद होती है। इसमें मनुष्य आयु से पहले वृद्ध हो सकता है।
- आनुवांशिक हानि – यदि जनन-द्रिया और जनन कोशिकाएं जो आने वाली पीढ़ियों की वंशागत विशेषता को आगे बढ़ाती हैं, विकिरण से प्रभावित होती हैं व आनुवंशिक हानि होती है।

23.7 परमाणु बम के विष्फोट के कारण विकिरण से उत्पन्न होने वाले खतरे

- प्रारम्भिक विकिरण—ये विष्फोट के केन्द्र से गामा किरणों के रूप में बाहर निकलती हैं व भेदक होती हैं :-

खाली जमीन (ग्राउण्ड जीरो से दूरी)	कुल मात्रा	मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव
1/2 मील पर	5000 आर	यह स्थिति निश्चित रूप से विघातक होती है।
3/4 मील पर	500 आर	50 प्रतिशत घातक।
1 मील पर	100 आर	1 प्रतिशत लोगों का बीमार पड़ना।
1-1/2 मील पर	5 आर	कोई प्रभाव नहीं

- **अवशिष्ट विकिरण** – उसका अवपात (फाल आउट) – परमाणु बम के हवा में विष्फोट होने के बजाय यदि वह भूमि तल के निकट विष्फोटित होता है तो रेडियोधर्मी कण मिट्टी आदि के बड़े और भारी कणों को संदूषित कर देते हैं और ये तेजी से जमीन पर जमा हो जाते हैं। इससे उस क्षेत्र में विकिरण का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसमें शरीर या कपड़ों के संपर्क में आने से त्वचा जल सकती है। सांस लेने या अंतग्रहण द्वारा शरीर में प्रवेश करने पर घातक विश का कार्य करती है, जिससे तेज विकिरण रोग, आनुवंशिक रोग या मृत्यु हो जायेगी। जमीन पर जमा रेडियोधर्मी कण खुले खाद्य पदार्थों, पानी और फसलों को संदूषित कर सकते हैं।

23.8 रेडियोधर्मी सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए संरक्षण –

- **समय** – रेडियोधर्मिता तेजी से क्षीण हो जाती है। यह लगभग 2 दिन के अंदर इसके मान का 1/100 भाग हो जाती है।
- **दूरी** – किसी भी एक समान संदूषित क्षेत्र से कुल मात्रा का 1/3 भाग 12–1/2 फुट के घेरे से प्राप्त होता है, कुल मात्रा का आधा भाग 25 फुट के घेरे से प्राप्त होता है और कुल मात्रा का 3/4 भाग 100 फुट के घेरे से प्राप्त होता है। यदि इन घेरों के भीतर दीवारें, रुकावटें या अन्य हो तो यह मात्रा कम हो जाएगी, इसलिए भीतर रहना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक होगा।
- **आड़ बनाना** – रेडियोधर्मिता की मात्रा कम करने के लिए विभिन्न सामग्रियों द्वारा की गई स्क्रीनिंग की व्यवस्था उन सामग्रियों के घनत्व के आधार पर की जाती है। 2.2 इंच कंकरीट इस मात्रा को आधा कम कर देती है

23.9 **Suggested Role of District Magistrates of the Districts.**

During Peace Conditions	<ul style="list-style-type: none"> ● Assess the effects that could take place during an attack. ● Prepare teams to work during disasters. ● Educate the public ● Evaluate resources available ● Demand for extra resources from the Govt ● Train the teams of officers/men from within the District for Disaster Management ● Liaise with the neighboring Districts/States ● Prepare the Evacuation Plans ● Carryout periodical rehearsals of the Disaster Plans
During an Attack	<ul style="list-style-type: none"> ● Proper Warning System ● Taking of Shelter ● Arrangement of First Aid to the victims ● Control Rumors & give positive information ● To arrange proper NBC kit to the teams to work in NBC affected area

After the Attack	<ul style="list-style-type: none"> • After the blast wave had passed, there would be ample time before the start of fallout (about half an hour in the case of a large bomb). Instruct people to get into a prepared refuge against the fallout • After the blast wave had passed people should quickly inspect all rooms in the house or building, including spaces under the roof for proper sealing • Advise people to extinguish fires after the blast wave • Nagar Nigam Jaipur and Nagar Parisad/Nagar Palika of towns are responsible for disposal of dead bodies with the help of local people • Arrange for urgent repairs or weatherproofing which could be completed within half an hour. Curtains or sheets should be tacked over broken windows to keep gross amounts of fall out from being blown into the rooms. There would be no cause to worry about small amounts of fall out getting into damaged parts of the house provided it was not allowed to get into food or water consumed in the refuge room. If dust was visible later in any room it should be swept and dumped outside • Except possibly in the area damaged by a nuclear explosion, a fall out warning would be given, to indicate that fall out was imminent. After the blast wave had passed and until the imminent warning was received all necessary help and first aid should be given to neighbors.
Work of Radiological Unit and Decontamination unit	<ul style="list-style-type: none"> • Remove all outer clothing and place it in a room or cupboard separate from your refuge room. It would be useful to have bags of polythene or similar material into which contaminated articles could be placed since the bags could be handled later with a much smaller risk of spreading the contamination. In removing the outer clothing care should be taken not to shake it, as this would disperse radioactive dust unnecessarily into the atmosphere. • The hands, head and neck should then be thoroughly washed and scrubbed with soap and warm water while standing over a hand basin. This washing should be repeated at least once, taking care to brush water the nails thoroughly • Removal of dust from the clothing by means of an efficient household vacuum cleaner • Soaking & stirring the clothing in a solution of household detergent either 5 minutes in a washing machine or 5 minutes vigorous stirring (with a suitable stick) in a bath bucket followed by thorough rinsing in clean water
Metrological Deptt	<ul style="list-style-type: none"> • One should remain in the refuge for the first 2 days after the explosion or until you had been told that your district was free from radioactive fallout. If you did not receive any instructions you should stay in your refuge as long as possible (i.e. you should not remain any longer than was necessary in other parts of your house. Above all you should not go out of doors until you receive further instructions. A small transistor would be handy and useful • If you do not receive instructions before the end of the third day, it might be because you were in an area of high dose rate. If so, it would be all the more necessary for you and your family to remain in your refuge room, to spend as little time as possible in other parts of the house and to avoid

	<p>outdoor exposure until you had been told what you might safely do</p> <ul style="list-style-type: none"> • If the dose rate in your area were above certain intensity you would be told exactly when and where you would be collected. You would have to be ready at the exact time and place; otherwise, you might imperil not only your own life but also the lives of those who were accepting heavy risks carefully calculated in time, in trying to remove you and your family and neighbors
--	---

a. EVACUATION AGAINST A NUCLEAR ATTACK

The present day potential of nuclear weapons warrants the use of all possible means of protection against a nuclear attack. Education of the population, achieving the best possible protection factor in shelters, early warning system and evacuation of the population from target areas forms the mainstay of the protection. Traffic problems and mode of conveyance poses the toughest problem. To assess the same the following must be assessed: -

- (a) An estimate of the number of individuals who could be moved to practicable locations under variable conditions.
- (b) Techniques and measures of control, supervision, and management needed to affect the movement of the population;
- (c) Specific recommendations for improving the facilities available, for the purpose of accelerating the evacuation; and
- (d) A suggested procedure and standards for use as a prototype in the conduct of comparable studies in other communities.

b. BASIC REQUIREMENTS AND ASSUMPTIONS

1. **Map Study**. A detailed map, study of the city and area is the logical starting point for staff consideration of evacuation problems. Features of topography that will hinder traffic will be identified, as well as natural barriers that limit direction. Highways routes should be shown in some detail and tentatively rated for adaptability to evacuation. Nearby cities, which are potential targets, should be related to the area. All staff members should be familiar with the study.

2. **Definition of Evacuation Area**. The size of the area to be evacuated in and around an urban target area is dependent upon the size and importance of the target. An evacuation movement study must be predicted on a realistic estimate of probable damage. Therefore an evacuation area would be a target area and the reception area necessary to support its evacuees.

3. **Vulnerable Urban District**. A vulnerable urban district exists under either of the following conditions of industrialization or population: -

(a) **Industrialization**. The area enclosed by a line drawn through centers of contiguous 4-mile diameter circles, in each of which there are enough industrial plants (having a total of 100 or more workers on all shifts) to total combined employment of 16,000 workers.

(b) **Population**. The area enclosed by a line drawn through centers of contiguous 4-mile diameter circles, in each of which there is a resident or daytime population of 200000 persons.

Within the 10-mile buffer zone outside of and surrounding the vulnerable urban district protective construction is a requirement for new hospitals.

4. **Reception Area.** The areas to which people must be moved must lie beyond the outer limits of the evacuation zone. Planning of reception areas is beyond the scope of a traffic movement study and, as has been pointed out earlier, may probably be best done by city and State Civil Defence agencies concerned with health and welfare. The traffic movement plan should, however, take into account some of the requirements of reception areas. For example, evacuation routes should be checked and designated far enough into the safe area to insure connection with an adequate highway system. This facilitates radial or lateral secondary movement of evacuation traffic. The movement study should also include data on places and volume of discharge into the overall reception area, on which detailed support planning may be based.
5. **Psychological Assumptions.** The question of how people will behave during evacuation has been the subject of much speculation. Questions frequently raised are: Will all the people be willing to leave the city? Will people leave if they are separated from the families? Will the behavior of drivers be rational? The committee on Disaster Studies of the National Research Council of the USA is studying disaster behavior. It is assumed then, that if a plan for evacuation traffic is adopted and thoroughly publicized, people generally will follow the plan. There is little basis yet, however, for the conclusion that emergency conditions will result in a general increase in normal abilities and skills.
6. **Effectiveness.** At an early stage in evacuating planning the need is evident for a means of measuring the effectiveness of the plan developed. Such a basis for appraisal furnishes an index of effectiveness. The basic quantities to be checked by use of the effectiveness index are time, distance, and people. The distribution of people under normal circumstances, movement distances required to reach safety, and rate of movement can thus be determined. Since warning time is unknown, the entire range is time from zero (in case of complete surprise in attack) to that required for persons to reach safe areas should be plotted. Several factors influence making an index. One is the availability of information necessary to carry out computation or estimation of the factors. Another is the index used in other evacuation studies; the effectiveness of several cities, evacuation plan is more easily compared if they have common indices. Individual civil defence functions such as rescue, medical, engineering and welfare might find special information in these indices useful in planning details of operation. Some indices of effectiveness are listed below: -
- (a) Total number (or percent) of survivors expressed as a function of warning time (i.e. time from warning until explosion).
 - (b) Number of persons reaching the safe area expressed as a function of warning time.
 - (c) Number of persons in each damage zone expressed as a function of warning time.
 - (d) Number of uninjured survivors expressed as a function of warning time.
 - (e) Number of uninjured survivors who will be in the safe area at some arbitrarily selected time (say two hours) after the explosion.
7. **Preconditioning.** It is assumed that the Civil Defence warning system is or will be effective, that all responsible persons within the evacuation area are familiar with the warning system, and that people know what they should do under the evacuation plan at any given time. This implies the existence of a simple, well-publicized plan with operating guidelines such as route markers and necessary control points adequately manned.

8. **Delay Time.** It is assumed that some period, probably less than a half hour elapses between the warning signal and the time evacuation movement reaches full effectiveness. During this period people will stop their normal activities, leave their homes or places of employment, and proceed to their designated transportation.
9. **Direction of movement.** The Administrative Authorities at district level will be held responsible to give direction for movement during evacuation as per the wind directions/weather report received from the Metrological Department.
10. **Traffic Drainage Areas.** It is assumed that for each one-way evacuation route passing from the city into the reception zone there is a corresponding drainage-area, or sector of the city whose traffic is tributary to that route. The area should be so selected that its generated traffic is within the capacity of the route. Stated another way, drainage areas should be designated so that all routes will be equally overloaded. This will result in the most efficient use of the route system. Neither evacuation routes nor boundaries between drainage areas should be crossed, except by authorized emergency vehicles. This does not preclude movement of vehicles by other than primary routes (i.e. streets other than the final exit from the evacuation area) from the A and B zones to C and D zones or beyond, thus moving a large percentage of the total population to areas of less hazard from the primary weapons effects.
11. **Route Capacity.** It is assumed that the route capacity, under ideal conditions is 1,000 vehicles per lane per hour that the probable capacity under average conditions is 800 vehicles per lane per hour and that such capacity will be reduced to 500 vehicles per lane per hour under emergency conditions. For different routes capacity may vary widely, depending on different roadway and traffic conditions. Capacity is the product of traffic density and speed of movement. Possible capacity is expressed as the maximum number of vehicles that can pass a given point on a lane or roadway during 1 hour under the prevailing roadway or traffic conditions. There is substantial evidence that the largest number of vehicles that can pass a point one behind the other in a single traffic lane, under ideal conditions, is between 2,000 and 2,200 passenger cars. Sustained hourly volumes in this range have rarely been observed, although the traffic demand has been sufficient to exceed them on many occasions. This ideal capacity can be approached only under the following conditions: -
 - (a) That there are at least 2 lanes for the exclusive use of vehicles traveling in 1 direction.
 - (b) That all vehicles travel 30 to 40 miles per hour.
 - (c) That there is adequate width of traffic lanes, shoulders, and clearance of vertical obstructions.
 - (d) That there are no restrictive sight distances, grades, improperly super elevated curves, inter-sections, or interference by pedestrians.
12. **Conditions.** The evacuation traffic movement plan should be able to function effectively at any time it might be put into operation. To assure this, it must be designed to cover a range of conditions, including those prevailing when the warning would probably be received. Examination of the plan in light of several variable conditions may reveal the need for special provisions or even complete changes in the plan.

13. **Time.** Because of movement of people to and from areas by night and day, both distributions of people and vehicles should be examined. Areas of the city, which are deficient in transportation during either of these times, should be given supplemental arrangements under the plan.
14. **Strategic Evacuation.** Individuals might undertake this type of evacuation voluntarily on a limited scale recommended by local governments in case of threat of attack.
15. **Route Improvements.** Improving highway routes can accelerate evacuation of an area. Varying stages of improvement can be expected. A quantitative appraisal of their extent and effectiveness will indicate the degree of acceleration of evacuation they add to the plan.
16. **Wind Directions.** The Metrological Department will be held responsible for intimating about wind directions regularly to the Administrative Authority and Shelter Manager.

भाग – VI

24. जिले में हवाई हमले/आपदा की दृष्टि से खतरे वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र/महत्वपूर्ण स्थान (VAs/VPs) की सूची :-

S.No.	Name of VA/VPs	Name of Area	No. Of VA/VPs	Assessed Priority
1	Commn Nodes Postal/Telegraph/ Telephones Key Points	BSNL Exchange, Barmer	1	B
		Head Post office Barmer	1	B
2	TV & Radio Stations	Army Exchange, Woreless, Chotan	1	A
		All India Radio Station, Barmer	1	B
		Aakashwani Reley Centre, Jalipa	1	B
		Wreless Repiter Station, Police, Barmer	1	B
		High Power Transmitting Crntre, Chotan	1	B
3	Bridges/ Rope-way/Railway Station	Munabab International Railway Station	1	A
		Gondhav bridge	1	B
		Railway Station, Barmer	1	B
		Railway Station, Ramsar, Gagriya, Gadraroad, Jaisindhar Station & Uttarial	1	B
		Roadways Bus Stand, Barmer	1	B
		Railway Bridge, Tilwara	1	B
4	Petroleum & Natural Gas	Mandla Oil Field, Nagana	1	A
		Rageshwari Oil Field nagar	1	A
		Nagana Terminal Centre, Nagana	1	A
5	Mines & Gas works	Lighite Project, Giral	1	A
6	Electric Power Station/ Grid Sub Stations	Thermal Power Plant, thumbli	1	B
		Rajwest Power Plant, Bhadresh	1	A
		132 KV Power Supply Centre, Barmer	1	A
7	Water Supply/Sewage key points	Water Source, Bhadkha	1	B
		PHED office, Barmer	1	B
8	Internment Camps	NIL	NIL	NIL
9	Civil Airfields & Est.	NIL	NIL	NIL
10	Govt factories/ Industrial Installations	NIL	NIL	NIL
11	Food & Oil Storage Depots	Food Corportation, Barmer	1	B
		Pursottam Das Jahdish Chandra Petrol Pump	1	B
		Mandan & Co. Petrol Pump, Balotra	1	B
12	Dams, Barrages			
13	Treasuries/Banks/ Commercial Markets	NIL	NIL	NIL
14	Pvt Factories/ Industrial Installations	NIL	NIL	NIL
15	Facilities of the Department of Space	NIL	NIL	NIL
16	Atomic Energy Est.	NIL	NIL	NIL
17	Imp. Govt. Buildings	Govt. Hospital, Barmer/Balotra	2	B
		Collectorate, Barmer	1	A
18	Miscellaneous key points	Jain Temple, Nakora	1	C
		Rani Bhatiyani Temple	1	C
		Viratra Mata Temple, Dhok	1	C
		Nagnechiya Temple, Nagana (Kalyanpur)	1	C
19	Metro Rail	NIL	NIL	NIL
20	Fertilizers Industries	NIL	NIL	NIL
21	Any other special from your perspective	NIL	NIL	NIL

26. नागरिक सुरक्षा जिलों में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सूची

क्रसं	सदस्य संख्या	स्वयंसेवक का नाम मय पिता का नाम	मोबाईल नं.
1.	001	बृजराज सिंह / बालसिंह	8290402920
2.	002	कालूलाल / माधोलाल	6376512294
3.	003	दिनेश तिवारी / अशोक	9001823880
4.	004	आयुष मीणा / सम्पतराज	7976108837
5.	005	सुरेन्द्र कुमार / जगमोहन	9782780177
6.	006	सोनू मीणा / ओमप्रकाश	9602280704
7.	007	पवन लोधा / कन्हैयालाल	9799437093
8.	008	मनोहरलाल / बापूलाल	9667341936
9.	009	राधेश्याम / नानूरामलोधा	9610360929
10.	010	दिलीप कुमार / मनोहरलाल	9587641001
11.	011	हितेश कुमार / जगदीश	9414273917
12.	012	नरेश कुमार शर्मा	9530351691
13.	014	भगवान सिंह / छगनलाल	9521228123
14.	015	पिटूलाल / जमनालाल	9982046148
15.	016	रामेश्वर / रामदयालमीणा	8209077522
16.	018	राहुल / बजरंगलाल	9928966552
17.	019	जगदीश / कालूलाल	9521015946
18.	020	मांगीलाल / बीरमचन्द्र	9950505761
19.	021	कोमलमीणा / कल्याण	9460814878
20.	022	निरंजनलोधा / बीरमचन्द्र	9680176357
21.	023	मुकेश / रामचन्द्र	9462139710
22.	024	सुनील / राधेश्याम	9784408961
23.	025	ओमप्रकाश / कन्हैयालाल	9680737273
24.	026	विष्णुपाटीदार / जेतराम	8003130775
25.	027	रणवीरसिंह / बजरंगसिंह	8003162541
26.	028	पप्पूलाल / परमानन्द	9229800720
27.	030	पूरीलाल / गिरधारीलाल	7665379550
28.	031	नितेशपारेता / प्रेमचन्द्र	9680782450
29.	032	लखनवेषणव / कन्हैयालाल	8078684763
30.	033	कपिलचौधरी / बद्रीलाल	9461504286
31.	034	सुरेन्द्र / मनोहरलाल	9772154203
32.	036	धनश्याम / जगन्नाथलोधा	7073207215
33.	037	सम्पतराज / रत्तीरामभील	9660803455
34.	038	विक्रम सिंह / रघुनाथ	8239791106
35.	039	हरिशकुमार / ललितकुमार	7742960032
36.	040	भागीरथ / नन्दलाल	7732829363
37.	041	कमलेश / पानमल	7023743247
38.	042	रिंकू / श्यामबिहारी	8104007148
39.	043	पवनकुमार / मोतीलाल	8290607224
40.	044	अनवरआलम / अ.हकीम	9413241411
41.	045	जगदीशनागर / हंसराज	9950993068
42.	047	विजय / देवीलाल	9119241650
43.	049	समीर / मो0 इस्माईल	8829856131

44.	050	किशोरकुमार / दिलिपकुमार	8875774380
45.	51	शम्भूलाल / भेरूलाल	6377031411
46.	52	श्रीराम / ब्रजमोहन	9694947784
47.	53	वीरेन्द्र सिंह रावत / चन्द्रमोहन सिंह रावत	9462458494
48.	54	पुरीलालकारपेंटर / सत्यनारायण कारपेंटर	8094832550
49.	56	रमेशचंद्रराठोर / मांगीलाल राठोर	9001980554
50.	57	करण सिंह भील / लक्ष्मीनारायण भील	9649310014
51.	58	राजेंद्रकुमार / हंसराज	9636119234
52.	59	बन्टीमीणा / जगदीश मीणा	8107384290
53.	60	राकेशकुमारसोनी / श्यामलाल	9079822650
54.	61	बीरमचन्द्रलोधा / रामकिशन	9571829585
55.	62	लालचन्द योगी / बंशीलाल योगी	9828358715
56.	63	लालचंदगुर्जर / कारूलाल	9602360893
57.	65	प्रहलादनाथ / शिवलाल नाथ	9549357807
58.	66	राकेशकुमारवर्मा / शंकरलालरेगर	8890271168
59.	67	आबिद खान / अ० मजिद	9116921253
60.	68	प्रेमनारायण कारपेन्टर / देवीशंकर	9413805097
61.	69	ललित / विनोद कुमार	8000768809
62.	70	कुलदीपकिराड / मानसिंह किराड	8107181459
63.	71	अशोककुमारमीणा / दानमल मीणा	8955942566
64.	72	कमलेश / भेरूलाल	7232855961
65.	73	राकेशकुमारमेघवाल / रामेश्वर	7023191971
66.	74	अनिलकुमारमीणा / गोरूलाल मीणा	9680653874
67.	75	राधेश्यामगुर्जर / रामकल्याण	9166869102
68.	76	दयारामपोटर / कन्हैया लाल	8502062075
69.	77	मोहनलाल / भंवरलाल	8000746185
70.	78	सतीशकुमारगुर्जर / भगवती प्रसाद	9024321906
71.	79	रामपाल भील / जयलाल भील	9928107552
72.	80	राहुल दावरे / सुदेश दावरे	7976789659
73.	81	दुर्गेशभील / प्रभुलाल	
74.	82	तूफान सिंह भील / रामसिंह	9610845439
75.	83	दिनेश चंद किराड / चंद्र सिंह किराड	7665713255
76.	84	मौहम्मदकैफअहमद / अब्दुल अलीम	9887321489
77.	85	नन्दरामभील / हजारी लाल	9571433635
78.	86	विनोदजोगी / रामकिशन	9351823416
79.	87	अकील खान / सलाम खान	8949658049
80.	88	हरीराम / जगदीश	9784792410
81.	89	आसिफमोहम्मद / चांद मोहम्मद	9529613858
82.	90	केलाश चंद भील / मांगीलाल	9413461932
83.	91	जितेन्द्रकुमारराठोर / रतन लालराठोर	9166852795
84.	92	दानिश खान / अ० रहीम	9166866623
85.	93	रामभरोस / गोपाल	9660406094
86.	94	रामस्वरूपभील / रामसिंह	9351022817
87.	95	कुलदीपमीणा / दानमल मीणा	7742882820
88.	96	आदिलहुसेन / अख्तर हुसेन	7023442691

89.	97	रामबिलासगुर्जर / रामकिशन	9982049984	
90.	98	बुद्धि प्रकाशवर्मा / सत्यनारायण	9680441536	
91.	99	अरशदपठान / शरीफपठान	9166728369	
92.	100	मांगीलाललोधा / ब्रदीलाल	9680599002	
93.	101	श्रीकल्याण / मोती लाल	7340472720	
94.	102	रणजीत सिंह सिसोदिया / सज्जन सिंह	6377846771	
95.	103	जयनारायण मेघवाल / भैरूलाल मेघवाल	7742122845	
96.	104	राजेन्द्रकुमारबैरवा / धन्नालाल बैरवा	8529903155	
97.	105	जय कश्यप / बृज किशोर	9660660772	
98.	106	मो0 आदिल / मो0 शफीक	7877876100	
99.	107	दौलतराममीणा / भूरालाल मीणा	7878330711	
100.	108	सुरेशकुमारभील / बनेसिंह भील		
101.	109	धनराजवर्मा / भंवरलाल वर्मा	9549175699	
102.	110	विशालगुर्जर / जगदीश प्रसाद	8005924021	
103.	111	सिन्धीजोगी / पटवारी नाथ	8107224017	
104.	112	भगवानदासलोधा / फुलचंद	9660431010	
105.	113	बनवारी / रोडूलाल	9079814578	
106.	114	दुलीचन्द / राम कल्याण	9571280362	
107.	115	महावीरवैष्णव / प्रहलाद दास	9660016616	
108.	116	प्रदीपनागर / जानकीलाल	8529068126	
109.	117	अलीहेदर / नासिर अब्दुल	9950856560	
110.	118	राकेशपाटीदार / प्रहलाद पाटीदार	9001494591	
111.	119	कालुराम / रामरतन	7232852481	
112.	120	गोकुल सिंह / किशन सिंह	6377686964	
113.	121	भूनेशगौतम / प्रहलाद गौतम	7737513806	
114.	122	रामचरण / बालाबक्स	8529802305	
115.	123	हरकचन्द / बलराम	9664020289	
116.	124	फरीदमोहम्म / अब्दुल रशीद	9166335334	
117.	125	नासिर / हमीद	7023494085	
118.	126	राजेशकुमार / रमेश चंद	8003416779	
119.	127	देवीशंकर शर्मा / भवरलाल	8503980301	
120.	128	राकेश कुमार / भवंरलाल	8769429770	
121.	129	नेमीचन्द सुमन / रामनाथ सुमन	9001330166	
122.	130	दिलीप कुमार मीणा / मोहनलाल	9950353077	
123.	131	ब्रज मोहन भील / गणेशलाल	9588083364	
124.	132	दीपक / श्यामलाल	9352636182	
125.	133	अनिल पारेता / राधेश्याम पारेता	7742256732	
126.	134	विशाल रावल / पुरुषोत्तम रावल	7877708845	
क्र.सं.	सीडी सं.	नाम	पिता / पति का नाम	मोबाईल नम्बर
127.	135	राम नरेश पोटर	मोहन लाल पोटर	8003383100
128.	136	अंकित कुम्हार	राजू लाल कुम्हार	9358115010
129.	137	रामबाबु	बीरमलाल माली	9660130266
130.	138	राहील	नोशाद खान	9001013568
131.	139	द्वारकीलाल	देवीलाल माली	9660410844
132.	140	दुर्गालाल	नारायण माली	7891062550

133.	141	सुजानसिंह	देवीलाल	7425956655
134.	142	धीरज कुमार	गोपाल मीणा	8107141649
135.	143	सुनील	रामनिवास मीणा	8890842087
136.	144	भोलाराम	परमानंद मीणा	8003208837
137.	145	शिवराज गुर्जर	श्री मुरारी गुर्जर	6375958903
138.	146	भुवनेश्वर	गोपाललाल	6377368837
139.	147	मुकेश गुर्जर	रामवीर गुर्जर	6376218080
140.	148	लेखराज मेरोठा	देवकरण	8696057489
141.	149	विशाल वर्मा	कन्हैयालाल वर्मा	8619944223
142.	150	रोशन सिंह	शिव नारायण	9511571174
143.	151	पवन भील	कन्हैया लाल	8290037936
144.	152	मनीष कुमार	शम्भूलाल वैष्णव	7742491443
145.	153	दीपक	धनश्याम	9256606652
146.	154	सुनील गुर्जर	उम्मेद सिंह गुर्जर	8955277117
147.	155	अन्तिम लोधा	दुलीचन्द	9521270583
148.	156	प्रधान सिंह	अर्जुनसिंह	7014570442
149.	157	लोकेन्द	चेतन प्रकाश	9636942716
150.	158	लालचन्द सुतार	केसरीलाल	8769372098
151.	159	मोहित वर्मा	संतोष वर्मा	9462053712
152.	160	दीपक वर्मा	संतोष वर्मा	8000591711
153.	161	राहुल नागर	कन्हैयालाल नागर	7976725944
154.	162	संदीप कुमार शर्मा	राजूलाल शर्मा	9571598294
155.	163	श्री मनिष गुर्जर	श्री मांगीलाल	8107348745
156.	164	भोलाराम	मांगीलाल	8005961132
157.	165	श्री हेमराज कश्यप	श्री राधेश्याम कश्यप	9252408267
158.	166	श्री इजराज सिंह झाला	श्री बृजराज सिंह झाला	7357438848
159.	167	महेश कुमार लुहार	श्री रतनलाल	9829476037
160.	168	मनोज कुमार	रामविलास	9636983558
161.	169	बालू राम मेघवाल	श्री मांगीलाल	9929982034
162.	170	दुर्गालाल	रामनारायण	8955692246
163.	171	रणजीत	रमेशचन्द मीणा	8890701246
164.	172	अजय भील	श्री हरिसिंह भील	9024598591
165.	173	महेन्द्र सिंह	गोमा	7742507806
166.	174	राकेश कुमार	लालचन्द	6377224989
167.	175	गोविन्द	पुरीलाल	7340541251
168.	176	धर्मेन्द्र मेघवाल	श्री जगदीशचन्द्र	9928539277
169.	177	त्रिलोक गोचर	श्री नन्दकिशोर	8003447309
170.	178	रामनिवास भील	श्री बालचन्द भील	7232855961
171.	179	पुष्पेन्द्र सिंह	श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर	8000379463
172.	180	प्रवीण कुमार	नंदकिशोर	7426957890
173.	181	दयानन्द	रामलाल रेगर	9982392154
174.	182	योगेश कुमार	श्री मुकुट बिहारी	9602680246
175.	183	सुरज	जानकीलाल	9875806630
176.	184	करण	श्री जानकीलाल	9875806630
177.	185	नितेश	धनश्याम लोधा	8824729870

178.	186	दयानन्द	रामबिलास मेवाडा	9680871384
179.	187	निकेश कुमार मेघवाल	श्री चोधमल मेघवाल	8003195369
180.	188	भेरूलाल	कन्हैयालाल	8302359543
181.	189	मंयक व्यास	सुरज कुमार व्यास	9461786158
182.	190	गोकुल	बीरमलाल	8824692243
183.	191	दिलखुश	प्रकाश मीणा	8955638397
184.	192	सुनिल कुमार	विनोद कुमार	8000768809
185.	193	विजय प्रकाश मेवाडा	गिरधारीलाल	9928727506
186.	194	पवन कुमार सुमन	अमृतलाल	9649628623
187.	195	गोविन्द कुमार	मोतीलाल	9928723443
188.	196	नितेश नागर	जीतमल नागर	9116741168
189.	197	रविन्द्र नागर	बद्रीलाल	9785801068
190.	198	रोहित नागर	रामभरोस नागर	7340406047
191.	199	देवराज गुर्जर	भोजराज	
192.	200	धर्मन्द्र बैरवा	रामचरण	9571599235
193.	201	माजिद अली	महमूद अली	9413668931
194.	202	लक्की सिंह हाडा	प्रताप सिंह	6378139449
195.	203	छगनसिंह	बलवंत सिंह	9799367852
196.	204	सांवरिया गुर्जर	लटूरलाल	7023861978
197.	205	मुकुट बिहारी	देवलाल	9352749775
198.	206	ललित मेहरा	घनश्याम	9571221985
199.	207	राजेन्द्र कुमार मीना	रामकल्याण मीना	9119142411
200.	208	राकेश कुमार	फूलचंद	9549779761
201.	209	सतीश कुमार दसाया	कालूराम दसाय	9660953195
202.	210	दिलीप कुमार	श्रीलाल	9166243987
203.	211	महेन्द्र लववंशी	श्यामलाल लववंशी	6377324206
204.	212	अरविन्द कुमार	मुरलीधर	7878208606
205.	213	दिनेश कुमार मेहर	बीरमचन्द	9602646079
206.	214	मनोज कुमार लोघा	रामकल्याण लोघा	8949033593
207.	215	आरती कुमारी भील	लक्ष्मीनारायण	
208.	216	रामदयाल	शंकरलाल	7425038425
209.	217	देवेन्द्र सिंह राजपूत	भारत सिंह राजपूत	9672008712
210.	218	विक्रम सिंह	भरत सिंह	8696154501
211.	219	बजरंग सिंह	मेहबान सिंह	8003538213
212.	220	दुर्जन सिंह सिरोदिया	चेनसिंह	7014763680
213.	221	हेमराज सिंह	रामसिंह	8107533387
214.	222	दीपक गुर्जर	मांगीलाल गुर्जर	6367517333
215.	223	दिनेश कुमार	देवीलाल	9001952029
216.	224	शिवा भील	धन्नलाल	8302974961
217.	225	कृतिक रोशन	राधेश्याम	8239862624
218.	226	रामकल्याण	रामकिशन	9772391070
219.	227	सुरेन्द्र कुमार मेघवाल	रंगलाल	8290907834
220.	228	गिरिराज	दुलीचन्द	8824457806
221.	229	रतनलाल	मूलचन्द	7877277055
222.	230	ओम प्रकाश	बीरमचंद	8769579305

223.	231	रामबिलास लोधा	बीरमचन्द	7073411088
224.	232	गौतम नागर	पुरुषोत्तम नागर	7300374797
225.	233	ब्रजराज नागर	पुरुषोत्तम नागर	9982283017
226.	234	हरिविष्णु भील	रमेशचन्द	6367602715
227.	235	बिट्टू नागर	सम्पतराज नागर	9079066069
228.	236	अरविन्द	गोपाल मीणा	9587543031
229.	237	कनीराम	बीरमलाल माली	9785110261
230.	238	रामदयाल भील	शिवसिंह भील	7877051879
231.	239	दीपक भील	भूरालाल भील	9785060447
232.	240	मुकेश	रामनारायण	8769700636
233.	241	हरि कुमार महेलका	मनोहर लाल	9664307120
234.	242	सोनू गुर्जर	पुरीलाल गुर्जर	6376350681
235.	243	हेमराज भील	रामनारायण भील	9829685530
236.	244	जय सिंह	देवलाल	7568443174
237.	245	बाबूलाल भील	दौलतराम	6376978668
238.	246	श्यामलाल मेघवाल	भेरूलाल	7878631621
239.	247	जानकी लाल	रामेश्वर	9602201160
240.	248	भोलेश कुमार	घनश्याम बैरागी	9950184311
241.	249	विजेश कुमार मेघवाल	नानूराम	8209701391
242.	250	इन्द्रजीत	मोहनलाल	8005920402
243.	251	प्रेम प्रकाश	घनश्याम भील	7726910219
244.	252	संजय	राधेश्याम	6378046691
245.	253	अरविन्द लवनशी	श्यामलाल	8290430793
246.	254	रामबिलास	श्यामलाल लोधा	8290430793
247.	255	शिवानी कुमार	भगवानसिंह	7426977353
248.	256	पूजा कुमारी	रामेश्वर	7073991180
249.	257	मधु कुमार	भगवानसिंह	7426977353
250.	258	प्रदीप कुमार	लक्ष्मीनारायण	
251.	259	हेमन्त कुमार	गोपाल लाल	9216149647
252.	260	इन्द्रजीत गुर्जर	तेजकुमार	8239852108
253.	261	मोहनलाल	बालचन्द	8305357329
254.	262	दिनेश कुमार	शिवनारायण	8824961428
255.	263	लोकेश भील	शिवलाल	6375537959
256.	264	लखन भील	कालूलाल	9636641558
257.	265	नितेश कुमार भील	भवानी शंकर भील	6350372695
258.	266	विष्णु प्रजापति	मदनलाल	9468502886
259.	267	नोशाद / इरशाद	श्री मोहम्मद सलीम	9664149986
260.	268	चौथमल	ओमप्रकाश मीणा	
261.	269	अर्जुन सिंह	मांगीलाल	9079193010
262.	270	हरीश कुमार मेहर	केवल चंद	6375316451
263.	271	नीरज कुमार	शम्भुदयाल	8290950923
264.	272	भेरूलाल भील	रामलाल	8094979857
265.	273	विष्णुप्रसाद	किशनलाल	6350051791
266.	274	मनमोहन नायक	गोवर्धन लाल	7568991183
267.	275	नरेन्द्र गिर	गोरधन गिर	6376607697

268.	276	अब्दुल वाशिद	अब्दुल रशीद	9509370826
269.	277	करण सिंह रावत	जितेन्द्र सिंह रावत	9950151230
270.	278	शोहेल खान	मो. जफर खान	8949291144
271.	279	वीरेन्द्र पाल	चेतन प्रकाश	9636942716
272.	280	विजय सिंह	भारत सिंह	8302171713
273.	281	सूरज सिंह झाला	करण सिंह	8107581772
274.	282	अजय सिंह झाला	करण सिंह झाला	702386681
275.	283	श्री युवराज पारेता	श्री मुकेश पारेता	8302735369
276.	284	रोहित मीणा	रूपचन्द	6367383559
277.	285	बन्टी भील	सुरेश कुमार	6367987263
278.	286	रामबाबू भील	सुरेश कुमार	8905397020
279.	287	विजेन्द्र सिंह	विजय बहादुर	9929574586
280.	288	धीरज तेजस्वी	प्रहलाद	8852948077
281.	289	कुलदीप भील	कालूलाल	9256958966
282.	290	गोविन्द कुमार भील	धनराज भील	9119182841
283.	291	सिराज कुमार मेहर	रामगोपाल मेहर	9636757712
284.	292	फुलराज लोघा	कुंजबिहारी	9039838388
285.	293	मुकेश कुमार	श्रीलाल	9166658135
286.	294	हीरालाल लोघा	श्रीलाल लोघा	9602677013
287.	295	जगदीश प्रसाद	विनोद कुमार	8559926372
288.	296	अर्जुन कुमार	राजूलाल	9680191268
289.	297	जुगराज लववंशी	धन्नालाल	8290862578
290.	298	पानमल लोघा	धन्नालाल	8005568513
291.	299	रामबिलास	बीरमचन्द	9001223554
292.	300	देवेन्द्र जाटव	हेमन्त कुमार	9610467192
293.	301	आबिद मोहम्मद	चांद मोहम्मद	8233745011
294.	302	दुर्गालाल गुर्जर	कारूलाल	7300264426
295.	303	हरिओम भील	मांगीलाल	8890246970
296.	304	कन्हैयालाल	देवीलाल	9772929017
297.	305	हेमराज	जनकी लाल	9024519353
298.	306	बबलू मोर्य	रामकिशन	6378289547
299.	307	भंवरसिंह	प्रेमसिंह	9982746733
300.	308	रामेश्वर गुर्जर	बद्रीलाल	637625063
301.	309	शम्भु सिंह	मांगीलाल भील	9024118392
302.	310	श्यामलाल	कारूलाल	7742495933
303.	311	दुर्गालाल	भंवरलाल	8955814925
304.	312	राजू	शोभराम भील	8955345845
305.	313	सुखदेव बैरागी	दिनेश कुमार	9636768289
306.	314	देवेन्द्र कुमार बैरागी	बजरंगलाल	7877902787
307.	315	बाबूलाल भील	मनोहरलाल भील	7878548568
308.	316	लक्ष्मण सिंह	उम्मेद सिंह	8824846733
309.	317	श्याम सिंह	हट्टेसिंह	9950660419
310.	318	जुगराज मीना	बाबुमलाल मीना	6376215101
311.	319	प्रदीप	दोलातराम मीना	7878124557
312.	320	ईमरान	इकबाल	9680085695

313.	321	सुरेन्द कुमार	ज्ञानचन्द बागरी	6367128346
314.	322	ओमप्रकाश	पन्नालाल मीना	8058147220
315.	323	बिरमलाल	रामलाल मीना	7014364160
316.	324	भीमराज	फुलचन्द मीना	8302755324
317.	325	सुरेश कुमार	जगदीश	9636790833
318.	326	नीरज	रमेशचन्द	9166414225
319.	327	राकेश कुमार	दोलतराम	7023870507
320.	328	जय गौतम	सुरेश कुमार गौतम	9166311173
321.	329	आदित्य कुमार श्रृंगी	मुकेश कुमार श्रृंगी	8239953074
322.	330	लोकेश कुमार नाथ	रामगोपाल नाथ	8824778144
323.	331	शिवम सुमन	श्री मोहनलाल सुमन	9216664650
324.	332	गिरराज कुमार	श्री सीताराम	9001317080
325.	333	शेलेन्द्र कुमार मेघवाल	श्री सीताराम	7357259948
326.	334	सादान खान	फिरोज खान	7891195545
327.	335	योगेन्द्र सिंह कोहली	नवल किशोर	9950905420
328.	336	श्री आनन्द कुमार	श्री मोहनलाल बन्जारा	8769505957
329.	337	श्री महेन्द्र कुमार	श्री अमरसिंह	6378635041
330.	338	श्री अजय कुमार बैरवा	श्री रामबिलास बैरवा	8278642577
331.	339	दुर्गालाल गुर्जर	श्री कैलाशचन्द्र गुर्जर	9571128317
332.	340	श्री विशाल कुशवाह	श्री जगदीश चन्द्र	8094848268
333.	341	राहुल पारेता	श्री श्यामलाल पारेता	7414044066
334.	342	सोनू भील	दुर्गालाल	9664144690
335.	343	मनोज कुमार मीणा	श्री घनश्याम मीणा	7877612606
336.	344	विशाल सेजनवार	श्री जुगल किशोर	8955847203
337.	345	गोरधनलाल भील	दयाराम	8890201395
338.	346	मोना कुमारी	पत्नि श्री राहुल कुमार	7426972210
339.	347	सुरज कुमार मीणा	श्री घनश्याम मीणा	7073702161
340.	348	नीरज मीणा	शम्भूदयाल मीणा	8769072032
341.	349	प्रमोद मीणा	हेमराज	6367474865
342.	350	मुकेश कुमार	रतिराम	8003157563
343.	351	हेमराज सुमन	बजरंगलाल	8107000799
344.	352	सुरेश कुमार भील	मोहनलाल	9829441235
345.	353	जितेन्द्र कुमार	बलराम	6378779573
346.	354	दीपक पारेता	सीताराम पारेता	8955707089
347.	355	महावीर गुर्जर	लेखराज	8290069504
348.	356	यश गुर्जर	धनराज	7014817026
349.	357	लोकेश प्रजापति	श्री राधेश्याम प्रजापति	8824637597
350.	358	कुन्जबिहारी वर्मा	सत्यनारायण	7850883247
351.	359	रवि कुमार	भंवरलाल	9079781861
352.	360	देवांश गुर्जर	भीमराज	8949479459
353.	361	धर्मराज गुर्जर	हरलाल	9929644285
354.	362	गुमानलाल गुर्जर	कालुलाल	9982260261
355.	363	सुनील गुर्जर	बद्रीलाल	8302690781
356.	364	जगदीशचन्द	नारायण लाल	9784865195
357.	365	राजेश कुमार शर्मा	रमेश चन्द्र शर्मा	9928214558

358.	366	नरेन्द्र प्रजापत	राधेश्याम	9001106613
359.	367	बंशीलाल लोधा	फूलचन्द लोधा	8107902939
360.	368	अरबाज गोरी	राजू गोरी	9610937459
361.	369	हेमंत माली	कालूराम माली	8290158295
362.	370	भगवान दास नाथ	शिव कैलाश नाथ	8290450339
363.	371	मोहम्मद इस्लाम	मोहम्मद इंसाफ	7891088104
364.	372	गोविन्द	रोशनसिंह	9571183531
365.	373	विजय राज सिंह झाला	श्री जितेन्द्र सिंह	6376833940
366.	374	निकिता वर्मा	बंजरंगलाल	8107512947
367.	375	प्रेरणा वर्मा	बंजरंगलाल	8107512947
368.	376	गोर्वधन सिंह	श्री महेन्द्र सिंह	9664105951
369.	377	राजदीप (जयदीप) सिंह	श्री शिवराज सिंह	9571831506
370.	378	गजानन्द गुर्जर	देवकरण गुर्जर	9256434090
371.	379	मोहनलाल	नन्दकिशोर	8690608134
372.	380	गोवन्द कुमार पाटीदार	प्रभुलाल	8769112434
373.	381	गोविन्द	रामदयाल	9664482004
374.	382	सुधीन्द्र	राधेश्याम नामदेव	9950129143
375.	383	प्रिति	सतिश कुमार टेलर	9414884549
376.	384	नीरज कुमार गुर्जर	श्री रामप्रसाद गुर्जर	9928908032
377.	385	ओमप्रकाश मेघवाल	बालचन्द	7023757770
378.	386	बाबूलाल	गोपाललाल	6375749544
379.	387	आशीष कुमार	लालचंद भील	9511342559
380.	388	अनिल कुमार लोधा	मोहन लाल	9571676477
381.	389	तेजकरण रेगर	चैतन्य प्रकाश	7732841670
382.	390	घनश्याम सेन	फूलचन्द सेन	9166335369
383.	391	देवीलाल	भवानी लाल	7410834343
384.	392	सोनू भील	बंशीलाल	7726044896
385.	393	विनोद कुमार	कैलाशचन्द	9079362068
386.	394	इरफान खान	श्री नसीम खान	7737354785
387.	395	इरशाद	मोहम्मद सलीम	9950069820
388.	396	मुरली मनोहर बैरवा	श्री रामरतन	9461225478
389.	397	बादल शर्मा	जयनारायण शमा	7627091525
390.	398	रिंकल कुमारी प्रजापति	लोकेन्द्र पाल सिंह	9680572356
391.	399	श्री मोहम्मद शाकीर	श्री मोहम्मद युसुफ	8883980786
392.	400	लखन प्रजापति	श्री दिनेश चन्द्र प्रजापति	8058438588
393.	401	दिनेश भील	श्री भगवत भील	9664417535
394.	402	गोविन्द पाटीदार	कैलाशचन्द पाटीदार	8824839557
395.	403	भरतराज	मोतीलाल	8302379722
396.	404	लोकेश भील	श्री रामभरोस	8824211150
397.	405	बाबुभील	श्री मदनलाल	8076209281
398.	406	विजय देवडा	राजेन्द देवडा	9799657842
399.	407	हंसराज गुर्जर	फूलचन्द्र गुर्जर	9166946899
400.	408	रामबिलास	छोटुलाल	8890118855
401.	409	अर्जुन गुर्जर	हंसराज	8955530638
402.	410	लोकेश कुमार	हंसराज	8690330638

403.	411	दिनेश कुमार दांगी	श्री दौलतराम	9636015422
404.	412	नन्द लाल भील	बाबूलाल	8529765965
405.	413	मांगीलाल बागरी	रामप्रसाद	7340688236
406.	414	निर्भय सिंह	मुरली सिंह	6378415483
407.	415	नीरज गुर्जर	राधेश्याम गुर्जर	8952018450
408.	416	सुरेश चन्द	राधेश्याम	8107020017
409.	417	अनिल कुमार भील	रमेश चन्द	9119109935
410.	418	राकेश कुमार	रमेश चन्द	9772544326
411.	419	लेखराज सुमन	बृजमोहन सुमन	9784809537
412.	420	विशाल भील	दुर्गालाल	7023454455
413.	421	रतनीबाई	नानूराम	6367674788
414.	422	देवसिंह	नानूराम	7728939768
415.	423	लोकेश कुमार	देवलाल	9079389007
416.	424	राजेश कुमार	देवलाल	9549918456
417.	425	राजेश कुमार	राधेश्याम	7976242760
418.	426	सुरेशचन्द भील	बालाराम	9680439383
419.	427	रोहित मेघवाल	दिनेश मेघवाल	9079176959
420.	428	महावीर गुर्जर	भेरूलाल	9024854886
421.	429	राजेन्द्र कुमार	भेरूलाल	9928620387
422.	430	अब्दुल रिहान खान	अब्दुल रहीम खान	8290380733
423.	431	बबलु	बद्रीलाल	8003958812
424.	432	अजय सिंह जादौन	भेरु सिंह	9887737672
425.	433	आनन्द शंकर चौधरी	द्वारिका लाल चौधरी	6377330471
426.	434	सुनील भील	श्यामलाल	6350603883
427.	435	मोहम्मद रिजवान	मोहम्मद रशीद	7891089052
428.	436	दिलकुश बैरवा	रामप्रसाद बैरवा	8290724657
429.	437	भेरूलाल	रामगोपाल	8824236061
430.	438	दयानन्द लोध	पूरीलाल लोधा	9772729635
431.	439	लखन मेघवाल	मोहन मेघवाल	8302591045
432.	440	कुलदीप शर्मा	गोपाल लाल शर्मा	7568369797
433.	441	विशाल	देवीदानसिंह	6375545847
434.	442	अवीजोत सिंह	श्री अजीत सिंह	9664355291
435.	443	लोकेश कुमार	छोटुलाल	7791898863
436.	444	दिनेश कुमार	बालाबक्श	9024157471
437.	445	मुरली मनोहर	दुलीचन्द	6376631827
438.	446	मुरली मनोहर	नेमीचन्द	9784754816
439.	447	रामनिवास	मोहनलाल	7878759164
440.	448	शिवराज	हजारीलाल	7297064208
441.	449	श्री हैदर हुसैन	अख्तर हुसैन	9950253772
442.	450	मोहम्मद अलीम	मोहम्मद सलीम	7734823372
443.	451	शानु खान	जमील खान	6377307694
444.	452	अब्दुल फराज	श्री अब्दुल फइम	6377878248
445.	453	कैलाशचन्द	घीसालाल	8890756659
446.	454	अभिषेक यादव	धनराज यादव	7726842790
447.	455	बृजेश नागर	राजाराम नागर	7568925051

448.	456	मुकेश कुमार लोधा	श्री रामप्रसाद	7878864454
449.	457	रोहित कुमार भील	धन्नालाल	9116406068
450.	458	दिनेश कुमार सुमन	हीरालाल सुमन	9983192576
451.	459	मुकेश कुमार सुमन	हीरालाल सुमन	9680886025
452.	460	कालुलाल	बीरमचन्द	8003100371
453.	461	भारत तंवर	चेनसिंह तंवर	7742322769
454.	462	बसीम अकरम	शरीफ मोहम्मद	9782817952
455.	463	रफीक मोहम्मद	नुर मोहम्मद	9950253329
456.	464	अरशद मोहम्मद	इकबाल मोहम्मद	7738412460
457.	465	दीपक नायक	सत्यनारायण	6376214498
458.	466	राजकुमार भील	प्रभुलाल भील	8000198506
459.	467	सुरज कुमार भील	लक्ष्मीनारायण	7878160944
460.	468	अर्चना भील	लक्ष्मीनारायण भील	8219274124
461.	469	पुजा भील	सोनु कुमार	6376342958
462.	470	शेख सोहेल	शेख अनवर	9785948112
463.	471	आफताब मोहम्मदु	रफीक मोहम्मद	9413104356
464.	472	फहीम खान	अब्दुल सलीम	9252316010
465.	473	अवेस आबिद	आबिद खान	8209310995
466.	474	प्रदीप सुमन	राधेश्याम जी सुमन	8239090904
467.	475	सुरेन्द्र भील	भैरूलाल	
468.	476	रोहन प्रजापति	श्री सुरेश प्रजापति	9950540415
469.	477	संग्रामसिंह	नाथूलाल गुर्जर	7742671020
470.	478	रजनीश मेहरा	रामनारायण मेहरा	9799061730
471.	479	देवेन्द्र मेरोठा	देवकरण	8003213621
472.	480	युवराज गुर्जर	श्री नंदकिशोर	8432216362
473.	481	नोशाद मोहम्मद	ग्यास मोहम्मद	8209896742
474.	482	राकेश रेगर	रामकल्याण रेगर	9928989485
475.	483	कुलदीप सुमन	श्री मनीष कुमार	7877162650
476.	484	अक्षय कश्यप	श्री नंदकिशोर कश्यप	9664319058
477.	485	हैदर अली	शब्बीरअली	9602196105
478.	486	मुरली प्रजापति	मदनलाल	7742341747
479.	487	जावेद अब्बासी	जाहिद हुसैन	9829999548
480.	488	सदाम हुसैन	हुसैन खान	6375056227
481.	489	पुरीलाल	मांगीलाल	8302419613
482.	490	विनोद कुमार	भंवरलाल	7062097316
483.	491	मनीष कुमार	चतुर्भज	9257423095
484.	492	प्रवीण कुमार	रामकैलाश भील	8107757993
485.	493	शुभम सुमन	लेखराज सुमन	8107913515
486.	494	अजय पंचौली	मनमोहन पंचौली	9694396689
487.	495	फेजान अख्तर	अब्दुल हमीद	9784271178
488.	496	मोहम्मद सलमान	मोहम्मद गुफरान	7410921010
489.	497	अंकित कुमार	श्री विनोद कुमार	6350180529
490.	498	सुरेन्द्र नागर	दौलतराम	9602026635
491.	499	मोहम्मद शावेज खान	श्री अब्दुल मजीद	8107261117
492.	500	हेमराज रेगर	लालचन्द रेगर	8890761623

493.	501	इलियास अहमद	श्री अय्युब अहमद	9166335411
494.	502	अशरफ खान	हनीफ	9001556523
495.	503	नरेन्द्र कुमार कश्यप	मोतीलाल जी	9829371600
496.	504	शाहरुख अख्तर	अब्दुल गफुर	8890874451
497.	505	आरीश खान	ईशहाक खान	9166166807
498.	506	सुबोध कश्यप	श्री नन्दकिशोर कश्यप	7023383244
499.	507	कृपाल कश्यप	श्री नन्दकिशोर कश्यप	9521367710
500.	508	राहुल कश्यप	श्री नन्दकिशोर कश्यप	9950455244
501.	509	अमन संगत	श्री सोहनलाल	9216711607
502.	510	नवीन कुमार राठौर	श्री रतनलाल राठौर	8949940319
503.	511	तनिष्क राठौर	श्री बद्रीलाल राठौर	8619841915
504.	512	जितेन्द्र कुमार ऐरवाल	श्री रतनलाल	7300324972
505.	513	मोहम्मद शरीफ गौरी	श्री अब्दुल हम्मीद गौरी	7726930777
506.	514	जयदीप सिंह झाला	श्री लोकेन्द्र सिंह झाला	7742451307
507.	515	सुधीर कुमार मेहरा	श्री बालचन्द्र मेहरा	9929760660
508.	516	लोकेन्द्र सिंह	श्री नारायण सिंह	9799853724
509.	517	जसवन्त कश्यप	राजू कश्यप	6377560510
510.	518	गौरव कलोसिया	राकेश कलोसिया	8079096903
511.	519	अनीस खान	श्री फरीद खान	9829502714
512.	520	फेजाल खान	अब्दुल वहीद	8233528445
513.	521	राकेश कुमार	भंवरलाल मेघवाल	9784887592
514.	522	मोहम्मद जुनैद	मोहम्मद साबिर	7737250358
515.	523	प्रवीण पारेता	कुंजबिहारी	8767880387
516.	524	नगबा बी	पत्नि श्री फरीद मोहम्मद	9529156664
517.	525	हुसैन मोहम्मद	सलीम मोहम्मद	8290030459
518.	526	धारासिंह भील	श्री लक्ष्मीनारायण	8107270026
519.	527	हेमन्त सिंह	श्री तंवर सिंह	7357388720
520.	528	विशाल गुर्जर	श्री बंजरंग लाल गुर्जर	7878831148
521.	529	शाहरुख खान	अब्दुल शफीक	8104899754
522.	530	देवकरण गुर्जर	रामसिंह	8696353011
523.	531	देवेन्द्र भील	श्री रामगोपाल भील	9636522901
524.	532	धर्मराज	श्री जीतमल	6377750920
525.	533	देवराज भील	जीतमल भील	9521160083
526.	534	शाहरुख खान	श्री पीर मोहम्मद	9057539663
527.	535	अमन	उसमान खान	7878461830
528.	536	अक्षय कुमार मिश्रा	श्री धर्मेन्द्र मिश्रा	7229839998
529.	537	मोहम्मद तोसिफ	मोहम्मद हनीफ	9521619158
530.	538	खेमचन्द्र	रामचन्द्र	7742342234
531.	539	अरशद कुरेशी	श्री मो0 साबिर कुरेशी	9694132142
532.	540	मोनू नावटिया	पुनमचन्द्र	9587439113
533.	541	अनिल मेघवाल	पुरीलाल	9950546580
534.	542	लोकेश मेहर	रामप्रसाद मेहर	7296809911
535.	543	अजय कुमार राव	बनवारीलाल	9672321356
536.	544	अभिषेक	मुकटराम	8949884553
537.	545	नवीनशर्मा	चतुर्भुज शर्मा	9887494041

538.	546	मनोज खटीक	गंगाधर खटीक	8107140179
539.	547	धनरूप सुमन	मथुरालाल	8003087879
540.	548	हरिओम सुमन	शंकरलाल	7357515728
541.	549	कमलेश कुमार कहार	रामबिलास कहार	9680998644
542.	550	पुरुषोत्तम सुमन	बृजमोहन सुमन	9166648116
543.	551	राजेश कुमार	रमेशचन्द्र	7023979762
544.	552	विशाल नरवाल	श्री विनोद कुमार	8290606072
545.	553	अरबाज	रईस खान	7300488593
546.	554	कमल कश्यप	श्री लक्ष्मण कश्यप	9799701116
547.	555	रणजीत बैरवा	बसन्तीलाल	8107133412
548.	556	विनीत	श्री ओमप्रकाश गुर्जर	7023138925
549.	557	दानिश खान	सलीम खान	8078651903
550.	558	दीपक मण्डावरा	श्री राधेश्याम	9001496525
551.	559	ओमप्रकाश शर्मा	श्री टीकमचन्द्र शर्मा	9799186022
552.	560	बबलु	मोहम्मद ख्वाजु	6350106015
553.	561	रोहित मण्डावरा	श्री राधेश्याम	8114438510
554.	562	अंकुश कश्यप	श्री ब्रज किशोर	8078677511
555.	563	लखन भील	नन्दकिशोर	8852048975
556.	564	कुल्दीप शर्मा	रघुराज शर्मा	8502909333
557.	565	जितेन्द्र यादव	श्री रामप्रसाद जी	8107552904
558.	566	लालचन्द	लक्ष्मीनारायण	9828377744
559.	567	रामबिलास	हेमराज मीणा	9001770724
560.	568	लक्ष्मी	पत्नि श्री ताराचन्द भील	8764828863
561.	569	ललित कुमार रेंगर	श्री शंकरलाल रेंगर	8955918966
562.	570	कृष्ण कुमार सिंह	महेन्द्र सिंह गुर्जर	6376767212
563.	571	मनभर भाई भील	श्री प्रताप लाल	77260606211
564.	572	संजना कुमारी भील	श्री मुकेश कुमार	7568450048
565.	573	रवि गोचर	देवलाल गोचर	8619309669
566.	574	रोहन कश्यप	देवीशंकर	6375885483
567.	575	ललित कश्यप	श्री जगदीश चन्द्र कश्यप	7073091123
568.	576	आशु बैरवा	श्री रामप्रसाद बैरवा	7732841586
569.	577	युवराज मीणा	हेमराज मीणा	9680388360
570.	578	राजेश कुमार लोधा	दुलीचन्द	8696571082
571.	579	श्री मोहम्मद इसरार	बबु खां	9413923313
572.	580	रोहित कुमार	नन्दकिशोर	6375284489
573.	581	नबील खान	श्री फिरोज खान	9887882686
574.	582	राहुल	श्यामलाल	7849921204
575.	583	कुलदीप सिंह झाला	हरिसिंह झाला	7023589211
576.	584	मयंक सासना	राजेन्द्र कुमार सासना	8306037619
577.	585	ममता नागर	श्री इकलेश कुमार	9602456922
578.	586	विनोदकुमार	फूलचंद	9950768309
579.	587	कुलदीप गुर्जर	श्री लक्ष्मीनारायण	9784258606
580.	588	गोपाल लाल गुर्जर	श्री राधेश्याम गुर्जर	7877413406
581.	589	सुरेशचन्द्र सुमन	श्री पूरनलाल सुमन	9784611189

582.	590	राहुल कुशवाह	सत्यनारायण कुशवाह	7728090636
583.	591	शेख समीर	अय्युब अली	9887335529
584.	592	अरशद खान	श्री सलाम खा	9166893222
585.	593	जितेन्द्र	बृजमोहन	7726050777
586.	594	फरहान खान	रईस खान	7566200881
587.	595	नीरज गुर्जर	लटूरलाल	8955177184
588.	596	दिलीप कुमार	बालचन्द	7426894371
589.	597	अनुज कुमार	रामलाल	9079038702
590.	598	कन्हैयालाल	नन्दकिशोर माली	9680103061
591.	599	शाकिर हुसैन	साबिर हुसैन	8949660860
592.	600	सुनील मेहर	देवलाल	9660523746
593.	601	मोहनिश मिर्जा	मकसुद बेग	9079375331
594.	602	मोहम्मद जाहिद	श्री नसीर खा	7737470232
595.	603	विशाल कुमार	मुकेश कुमार	9785565358
596.	604	संजय कहार	अशोक कहार	8529902936
597.	605	हरिश पांचाल	रमेशचन्द	9694641960
598.	606	बन्टी दांगी	श्री रामप्रसाद दांगी	8005721171
599.	607	देवेशसांबला	जगदीश चन्द्र	9887030980
600.	608	जितेन्द्र गुर्जर	बद्रीलाल	9024654151
601.	609	धीरज कुमार	श्री कल्याण	9145890503
602.	610	विरेन्द्र	मंगु सिंह	9929161954
603.	611	साहिल खान	मोहम्मद शरीफ	9460705610

27. जिले में नागरिक सुरक्षा उपलब्ध बचाव उपकरणों व अन्य संसाधनों की सूची

क्र. सं.	उपकरण/सामग्री का नाम	उपकरण/सामग्री की मात्रा	खराब होने की मात्रा
1.	इन्फ्लेटेबल बोट विद ओबीएम	एक नग	
2.	लाईफ जैकेट	16	10
3.	बीओबी रोप 12 एमएम (60 मीटर)	03	
4.	बीओबी रोप 14 एमएम (60 मीटर)	09	
5.	फुल बोडी हॉरनेस	02	
6.	मास्क (मल्टीपरपज)	02	
7.	गम बूट	17 जोड़ी	
8.	हेलमेट	24	
9.	स्ट्रेक्चर (फोल्डिंग)	02	
10.	स्ट्रेक्चर (स्पाईन बोर्ड फाईबर)	03	
11.	काराबाईनर	02	
12.	हेण्ड ग्लब्स	14	05
13.	हेण्ड टूल सेट	01	
14.	ड्रेगन लाईट	07	06
15.	मेगा फोन	03	
16.	लाईफ बॉय	20	07
17.	कम्बल (रेड)	15	
18.	बॉलेरो केम्पर (वाहन 4X4)	01	
19.	ड्रोन	01	पलाईट नहीं हो पा रही है।
20.	केम्पिंग टेंट	01	
21.	केट हुक	01	
22.	चेन सॉ	01	
23.	कम्पास एण्ड मेप	01	
24.	फर्स्ट एड किट	03	
25.	बास्केट (बाल्टि)	03	
26.	गोगल्स	08	
27.	जीपीएस ट्रेक 10 Gramin	01	
28.	नेविगेशन लाईट रेड	01	
29.	वोकी टोकी	02	

'''

कार्यालय नियंत्रक (कलक्टर) नागरिक सुरक्षा झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

:: प्रमाण-पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम (revised Edition 2011) के Chepter VI. के बिन्दु संख्या 6.5 के तहत जिला झालावाड़ में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा जनशक्ति व संसाधनों की उपलब्धता एवं जिले में आपदा/विपदा व हवाई हमले की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों/स्थानों (VA/VP) के आधार पर जिला नागरिक सुरक्षा योजना को अद्यतन कर लिया गया है।

(अजय सिंह राठौड़)
नियंत्रक (जिला कलक्टर)
नागरिक सुरक्षा झालावाड़